खण्ड-147, अंक-3
बुधवार, 1 पौष, शक संवत् 1876
(22 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 147 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस राहुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री

चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवेंदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मलकी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री

सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
से वाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियम के हिन्दी अनुवाद की मांग

**१—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया आदि स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियम, जो अंग्रेजी में हैं, उनको हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये सोच रही है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी हां।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में यह अनुवाद अंग्रेजी से हिन्दी में हो जायगा?

श्री मोहनलाल गौतम—कहना मुश्किल है।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[१९ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-६—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३८-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

[illegible]नर्सों की ट्रेनिंग

*७—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नर्सों की ट्रेनिंग प्रदेश में कब से चल रही है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—उत्तर प्रदेश में नर्सों की ट्रेनिंग १९४४-४५ ई० से चल रही है।

*८—श्री जोरावर वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह ट्रेनिंग स्त्री और पुरुष दोनों को दी जाती है? क्या सरकार मर्दों के लिये इस ट्रेनिंग को बन्द करने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—जी हां।

मर्दों को इस ट्रेनिंग से वंचित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। हां, मर्द केवल उतनी ही संख्या में ट्रेनिंग में लिये जाते हैं जितनी कि विभागीय चिकित्सालयों में खपत हो सके।

*९—श्री जोरावर वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा (Service) से रिटायर होने पर इन लोगों को पेंशन दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। इन लोगों को Contributory Provident fund का लाभ प्राप्त है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ट्रेनिंग हर साल होती है? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने ट्रेनीज लिये जाते हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां, हर साल ही होती है और करीब-करीब डेढ़ सौ कैंडिडेट्स लिये जाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नर्सों की कमी को देखते हुए उनकी संख्या वह बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसी दास—वह तो ट्रेनिंग की कठिनाइयां हैं। डेढ़ सौ तो अब लेते हैं। और काफी तादाद में अब तो ली जा रही ह। आगे ज्यादा नर्सों की ट्रेनिंग करने का प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसमें कठिनाइयां हैं। इसलिये डेढ़ सौ से ज्यादा बढ़ाना अभी कठिन है।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्त्रियों में नर्सज अधिक संख्या में न मिलने के क्या कारण हैं और उन्हें वह दूर करने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास—इस वक्त कोई कठिनाई नहीं है। अब जितनी नर्सेज की आवश्यकता है बहुत काफी तादात में लड़कियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं वह ली जायंगी और अब कोई कठिनाई नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रेनिंग पीरियड में नर्सेज को कोई वजीफा दिया जाता है?

श्री बनारसी दास—जी हां, उनका पूरा खर्चा ट्रेनिंग के दौरान में दिया जाता है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितनी नर्सेज ट्रेंड हो चुकी ह।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। कब से कब तक यह आपने नहीं बतलाया है।

श्री बाबू नन्दन—१९५३-५४ में कुल कितनी नर्सेज ट्रेंड हो चुकी ह।

श्री बनारसी दास—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।]

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इनकी ट्रेनिंग करने के बाद सर्विस की तुरन्त ही गारंटी होती है?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस वक्त ऐसा प्रश्न ही नहीं है। इस वक्त तो काफी अनट्रेंड नर्सेज हैं जो कि ट्रेंड होती हैं। बल्कि उनसे कंट्रेक्ट लिखाया जाता है कि उनको सर्विस में रहना पड़ेगा। यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता क्योंकि सभी को ले लिया जाता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इन नर्सेज की पोस्ट को पेंशनेबिल बनाने की सोच रही है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अभी पेंशन का प्रश्न उठा नहीं है। उसके ऊपर विचार भी नहीं किया है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रांत में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं?

श्री बनारसी दास—कुल ६ सेंटर्स इस प्रकार के हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इनको ट्रेनिंग के समय में प्रत्येक को कितनी सहायता दी जाती है और कुल कितना व्यय इस संबंध में होता है?

श्री बनारसी दास—इसकी विस्तृत सूचना देने के लिये नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि करीब-करीब एक नर्स की ट्रेनिंग पर लगभग ८० रु० खर्च आता है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन नर्सेज का पे ग्रेड क्या है?

श्री बनारसी दास—ट्रेनिंग के बाद में जो उनको तनख्वाह दी जाती है वह करीब ८० रु० के होती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्त्रियां और पुरुष जो नर्सेज हैं उनके पे का ग्रेड एक ही है या कुछ अन्तर है?

श्री बनारसी दास—एक ही है दोनों का।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ६ ट्रेनिंग सेंटर्स प्रदेश के किन-किन नगरों में हैं?

श्री बनारसी दास—दो कानपुर में, दो आगरा में, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पूर्वी जिलों के किसी जिले में यह सेंटर खोलने का सरकार विचार रखती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि जहां उनकी ट्रेनिंग हो वह अस्पताल काफी बड़ा हो जिसमें बेड्स की संख्या काफी अधिक हो। अभी जिन अस्पतालों में नर्सेज की ट्रेनिंग हो रही है उनमें १०० या १०० से ज्यादा बेड्स की संख्या है इसलिये अभी किसी पूर्वी जिले में इस योजना के लागू करने का विषय नहीं उठता है। हमारी यह इच्छा है और अभिलाषा भी है कि गोरखपुर का जो अस्पताल है उसका विस्तार किया जाय और उसमें इस शिक्षा का भी चलाया जाय। ज्योंही वहां बेड्स की संख्या बढ़ जायगी त्योंही इस शिक्षा को वहां पर आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर के किन-किन अस्पतालों में दो ट्रेनिंग सेंटर हैं?

श्री बनारसी दास—एक तो उर्सिला हार्समैन अस्पताल और दूसरा लाला लाजपतराय अस्पताल।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उर्सिला अस्पताल में यह ट्रेनिंग सेंटर बन्द हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ट्रेनिंग सेंटर बन्द नहीं हुआ है। कानपुर में एक खास नर्सेज की शिक्षा का सेंटर स्थापित किया गया है और जो ट्रेनिंग नर्सेज की उर्सला अस्पताल में होती थी उसकी नर्सेज उस सेंटर पर भेज दी गई हैं। लेकिन यह निर्णय नहीं किया गया है कि उर्सला अस्पताल में ट्रेनिंग बन्द कर दी जाय। अभी इस प्रश्न पर डायरेक्टर महोदय को लिखा गया है और अगर कानपुर में इस योजना को चलाना है तो जो नर्सेज का स्कूल बनाया है उसके ऊपर हम विचार करें। उसको लेबोरेटरीज में परिवर्तित कर दें और होस्टल को कालेज के लिये इस्तेमाल करें और उन दोनों अस्पतालों में जहां नर्सेज रहती थीं वहां केवल कुछ और स्थान की वृद्धि करें और हम नर्सेज की संख्या बढ़ाने में कुछ आगे बढ़ें और उसके लिये जो अधिक व्यय हो वह करने के लिये तैयार रहें।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गोरखपुर के इस अस्पताल को इस योजना के अन्तर्गत लाने का कब तक विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोरखपुर का अस्पताल हमने बढ़ाने की योजना तीन-चार-पांच वर्ष पहले ही की थी कि उसमें वार्ड बढ़ायेंगे और वार्ड का निर्माण आरम्भ भी हो गया था। वह प्लिन्थ तक आ गया था लेकिन तीन साल हुए जबकि तमाम निर्माण करने के कार्य स्थगित कर दिये गये तो यह भी स्थगित कर दिया गया। अब फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य फिर से चलाने जा रहे हैं और उसी योजना के तहत में गोरखपुर का अस्पताल और उसके बेड्स की संख्या बढ़ाई जायगी और उसका विस्तार किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस ट्रेनिंग के लिये स्त्री और पुरुषों के लिये कुछ संख्या निर्धारित है या नहीं? और स्त्रियों को कोई प्रिफरेंस दिया जाता है या नहीं?

श्री बनारसीदास—कोई संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक स्त्रियां मिलती हैं पुरुषों का प्रश्न नहीं आता। पुरुषों को तो विशेष अस्पतालों के लिये ही लिया जाता है और उसकी संख्या सीमित रक्खी गई है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नर्सेज की ट्रेनिंग कौन से महीने से शुरू होती है और कब समाप्त होती है?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि यह केवल परीक्षा लेने के लिये प्रश्न पूछा गया है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नर्सिंग ट्रेनिंग के लिये और इस सर्विस के लिये कोई शादीशुदा होने का प्रतिबन्ध तो नहीं है स्त्रियों के लिये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक विभाग के कर्मचारियों द्वारा कहा जाता था कि यदि नर्सेज शादीशुदा होती हैं तो उनके काम में काफी दिक्कत आती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाया नहीं है। चूंकि नर्सेज की अभीतक कमी रही है शादीशुदा नर्सेज को भी काम करने और नौकरी करने की इजाजत दे दी जाती है। आज भी कई ऐसी नर्सेज हैं, जिन्होंने शादी कर ली है और सरकार के विभाग में वह काम कर रही हैं।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि भविष्य में ऐसा प्रतिबन्ध लगा पर सरकार विचार कर रही है या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं। ऐसा कोई प्रतिबन्ध सरकार लगाना नहीं चाहती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि पूर्वी जिलों में कोई ट्रेनिंग सेंटर न होने के कारण पश्चिमी जिलों को पूर्वी जिलों के उम्मीदवार बहुत कम पहुंच पाते हैं?

श्री बनारसी दास—इसका पता नहीं है कि कितने पूर्वी जिले या अन्य जिलों के उम्मीदवार हैं। लेकिन जैसा अभी बताया गया किसी पूर्वी जिले में ट्रेनिंग सेंटर नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के बाहर नर्सों को ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं और कोई सहायता भी करते हैं?

श्री बनारसी दास—इसका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता जब कि हमारे यहां ट्रेनिंग सेंटर्स हैं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नर्सों की ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो उससे पहले वह सूचना-पत्र प्रवेश के लिये प्रदेश में निकालते हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां, कई महीने पहिले इसका तमाम पेपरों में विज्ञापन दिया जाता है और एप्लीकेशन्स ली जाती हैं। उसके बाद उसका कम्पीटिशन होता है और उसके बाद ही रिजल्ट तैयार होता है।

मिर्जापुर नगर के सिविल लाइन्स वार्ड में ट्यूबवेल की स्थापना का आयोजन

*१०—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि अभी हाल में मिर्जापुर नगरपालिका के कुछ सदस्यों का एक शिष्ट मंडल स्वायत्त शासन मंत्री से लखनऊ में मिर्जापुर नगर के सिविल लाइन्स वार्ड में ट्यूबवेल की स्थापना के सम्बन्ध में मिला था? यदि हां, तो सरकार उस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। इस समय प्रदेश के अनेक नगरों में जलकल सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य हो रहा है। अन्य नगरों की भांति मिर्जापुर की नगरपालिका से भी आवश्यक धन कर्ज के रूप में लेने के लिये कहा गया है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि मिर्जापुर नगर की जनता की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र आया है?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रार्थना-पत्र तो आते रहते हैं, मैं नहीं कह सकता कि माननीय मित्र का इशारा किस खास प्रार्थना-पत्र की ओर है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—सिविल लाइन्स में ट्यूबवेल्स की स्थापना के सम्बन्ध में।

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय इस योजना पर भी कार्य होने जा रहा है।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय—क्या यह सही है कि मिर्जापुर नगरपालिका की ओर से प्रार्थना आई है कि मिर्जापुर नगरपालिका को जल-कल के लिये अनुदान दिया जाय?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, ५०,००० के अनुदान की आई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर नगरपालिका का एक बड़ा क्षेत्र जलकष्ट से पीड़ित है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसीलिये वहां जलकल की योजना बनाई जा रही है और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड से कहा जा रहा है कि वह इसके लिये कर्जा ले ताकि वहां कष्ट दूर हो ।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो प्रस्ताव मिर्जापुर म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से आया है उस पर सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आजकल जलकल के लिये अनुदान देने का नियम नहीं है। जो रुपया बजट में रखा है उसमें से जलकल के लिये नहीं दिया जाता है।

सड़कों तथा स्कूलों की मरम्मत के लिए आजमगढ़ जिला बोर्ड को सहायता देने पर विचार

*११—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि १९५३–५४ तथा १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़-पीड़ित सड़कों तथा स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिये सरकार ने कितना धन दिया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—१९५३–५४ में कुछ नहीं दिया गया था। १९५४–५५ के लिये आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़–पीड़ित सड़कों तथा स्कूलों की इमारत की मरम्मत के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को ज्ञात है कि सगड़ी और घोसी तहसील में घाघरा नदी के किनारे के गावों में स्कूलों आदि की इमारतें सन् ५२ की बाढ़ में गिर गयी और वह अब तक नहीं बनी हैं ?

श्री अध्यक्ष—सवाल सन् १९५२ का नहीं है, वह १९५३–५४ और १९५४–५५ का है ।

श्री उमाशंकर—वह सन् ५२ में ही गिर गया था। उसी के लिये पूछ रहा हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—सवाल साफ नहीं है, फिर से दुहरा दें।

श्री उमाशंकर—मैं पूछ रहा हूं कि वहां की जो इमारतें सन् १९५३ में ही गिर गई थीं, क्या सरकार को मालूम है कि वह अब तक नहीं बनीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १९५४–५५ में जो अनुदान देने का विचार है वह कितना है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला मैजिस्ट्रेट ७५ हजार रुपये के लिये लिख रहे हैं और आशा है कि इतना मिल जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३–५४ में जिला बोर्ड को सहायता क्यों नहीं प्रदान की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसलिये कि इस सदन के द्वारा उस कोष के लिये रुपया नहीं दिया गया था।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार के पास जिला बोर्डों के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के सड़कों तथा स्कूलों की इमारतों की कोई सूची है जो मरम्मत योग्य है?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सारी सूची यहां नहीं रखी जाती, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने पास रखती है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि किन किन जिलों में जिला बोर्डों को इस प्रकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों और स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिये सहायता प्रदान की गई है?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने कहा इसमें कोई भी प्राविजन पिछले वर्ष के बजट में नहीं था और वह इसलिये कि इस सदन ने स्वीकार नहीं किया था। इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता कि किस-किस जिले को कितना मिला।

टेहरी जिले के कीर्तिनगर में एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का विचार

*१२—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या टेहरी जिले की नियोजन समिति ने कोई सुझाव जिले के अन्दर समुचित स्थानों पर अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में भेजे हैं? यदि हां, तो क्या?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। जिला डिस्पेंसरी परामर्शदात्री कमेटी ने लस्सया, जखोली, भटवारी, गंगनानी तथा कीर्तिनगर में ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव भेजा है।

*१३—श्री सत्य सिंह राणा (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि टेहरी जिले के परगना भरदार व परगना कीर्तिनगर में कोई अस्पताल नहीं है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। परगना कीर्तिनगर व भरदार में निम्नलिखित आयुर्वेदिक औषधालय हैं:—

कीर्तिनगर	भरदार
(१) कीर्तिनगर	(१) लस्सया जखोली
(२) किलकिलेश्वर	(२) जाखल भरदार
(३) इंगचौरा	(३) सिद्धेश्वर करमा

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सही है कि कीर्तिनगर-बद्रीनारायण की यात्रा पर चलने वाली मोटरों का अन्तिम शहर है और वहां पर डिस्पेंसरी न होने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है?

श्री बनारसी दास—जी हां, सही है। बहुत जल्द कीर्तिनगर में एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जिले के पूरबगांव में जच्चा-बच्चा अस्पताल की आवश्यकता

*१४—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिले में पूरबगांव तहसील में १६ मील के अन्दर Maternity Centre नहीं है और जनता को बड़ी असुविधा हो रही है?

नोट—तारांकित प्रश्न १२-१३ श्री दीनदयालु शास्त्री ने पूछे।

श्री बनारसी दास—ग्राम पूरबगांव से लगभग १० मील की दूरी पर ग्राम सांगीपुर और लालगंज में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थित है।

*१५—श्री रामअधार तिवारी—यदि हां, तो क्या सरकार जनता की असुविधा को दूर करने के लिये वहां Maternity Centre खोलने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास—सरकार मातृहितकारी सेवाओं के संप्रसार के विषय पर सम्पूर्ण सचेतन है, और हर पांच मील व्यास पर एक केन्द्र स्थापना करने का विचार रखती है। इस योजना के अन्तर्गत भविष्य में पूरबगांव में केन्द्र स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पूरबगांव और सांगीपुर के बीच में नदी पड़ती है और यातायात की बहुत कठिनाई है?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही हो सकता है।

श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि माननीय मंत्री जी के पास जिले के कुछ माननीय सदस्य इस आशय का प्रार्थना-पत्र लेकर गये थे कि सांगीपुर से मेटरनिटी सेन्टर हटाकर ३० मील के फासले पर कर दिया गया है?

श्री बनारसी दास—उसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि वहां जब कठिनाई हुई तभी पूरबगांव में दूसरा सेन्टर खोलने का विचार किया जा रहा है।

श्री रामअधार तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५वें प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ शब्द "भविष्य" महीनों में नापा जाय या सालों में नापा जाय?

श्री अध्यक्ष—आप सीधा प्रश्न पूछें। जिनमें किसी तरह का व्यंग्य हो वह प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री रामअधार तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १५ के उत्तर का "भविष्य" निकट का भविष्य समझा जाय या बहुत दूर का।

श्री बनारसी दास—निकट भविष्य से ही इसका मतलब है।

पंचायत निरीक्षकों के पदों का स्थायीकरण

*१६—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज विभाग में पंचायत निरीक्षकों का पद किस तारीख से सरकार ने स्थायी घोषित किया?

श्री मोहनलाल गौतम—१ अगस्त, १९५२ से ११० तथा १ अप्रैल, १९५४ से ७० पंचायत निरीक्षकों के पद को स्थायी किये गये हैं।

१७—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक कितने पंचायत निरीक्षक स्थायी किये गये?

श्री मोहनलाल गौतम—अबतक ११० पंचायत निरीक्षकों को स्थायी किया जा चुका है।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ११० पंचायत निरीक्षक स्थायी किये गये हैं वह किस तारीख को किये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इसी महीने में और अभी किये गये हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ७० जगहें पंचायत निरीक्षकों को स्थायी की गयी हैं उनमें अभी तक पंचायत निरीक्षक स्थायी क्यों नहीं किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---पंचायत निरीक्षकों को स्थायी करने से पहले यह मुनासिब समझा गया कि उनके कार्य की अच्छी तरह से जांच कर ली जाय, उनको देख लिया जाय कि वह योग्य हैं या नहीं और इसके लिये जगह-जगह पर कैंप लगे, और उन लोगों के काम की जांच हुई, उनका इम्तहान हुआ और इसमें कुछ समय लगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने पंचायत इंस्पेक्टर अभी तक स्थायी नहीं किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---४४४ कुल हैं। ११० की स्थायी नियुक्ति की जा चुकी। ७० जगहें स्थायी की जा चुकी और ७० इन्सपेक्टरों को स्थायी किया जायगा और बाकी सब अस्थायी हैं।

श्री अब्दुल मोईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो इन्सपेक्टर स्थायी किये गये हैं, यह किस आधार पर किये गये हैं, उनकी नियुक्ति के हिसाब से या एफीशियेन्सी के हिसाब से ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि उनके कामों की जांच हुई, उनको अच्छी तरह से देखा गया, उसका इम्तहान लिया गया और ठोंक बजा कर जब ठीक पाया गया तो उनको स्थायी किया गया।

बिरहाना रोड, कानपुर में रेडक्रास की मातृ तथा शिशु हितकारी सेवाओं के लिए इमारत

*१८---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या स्वशासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि बिरहाना रोड कानपुर में रेडक्रास की ओर से maternity and child welfare के काम के लिये कोई इमारत बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। जी नहीं। जिला रेडक्रास सोसाइटी ने म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर को maternity and child welfare के कार्य के लिये अभी तक आवश्यक equipments और Fund नहीं दिये हैं। इसलिये बोर्ड इस इमारत का उपयोग उक्त कार्य के लिये नहीं कर सका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस इमारत में आजकल कोई अफसर रह रहा है ? यदि हां, तो उनसे क्या किराया लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उस इमारत के एक हिस्से में म्युनिसिपल डिस्पेंसरी और जिला रेडक्रास आफिस है और बाकी हिस्से में मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ रहते हैं जो अपने वेतन का १० फीसदी किराया देते हैं।

कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड में मोटर एलाउन्स पाने वाले कर्मचारी

*१९---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से किन-किन पदाधिकारियों को मोटर एलाउन्स मिलता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से निम्नलिखित पदाधिकारियों को मोटरकार एलाउन्स मिलता है :—

(१) एक्जीक्यूटिव आफिसर।
(२) सेक्रेटरी।
(३) मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ।
(४) अतिरिक्त मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ।
(५) लेडी सुपरिंटेंडेंट आफ एजूकेशन।
(६) टर्मिनल टैक्स सुपरिंटेंडेंट।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन अफसरों में से कितने ऐसे हैं कि जिनके पास खुद की कार नहीं है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह जो एलाउन्स दिया जाता है वह किन अफसरों और कितना-कितना दिया जाता है?

श्री मोहनलाल गौतम—एक्जीक्यूटिव अफसर को १०० रुपये, सेक्रेटरी को ५० रुपये, मेडिकल अफसर आफ हेल्थ को ७५ रुपये, लेडी सुपरिंटेंडेंट आफ एजूकेशन को ७५ रुपये और टर्मिनल टैक्स सुपरिंटेंडेंट को १०० रुपया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नियमानुसार जिन लोगों के पास अपनी निजी कार नहीं है उनको भी मोटर एलाउन्स मिल सकता है?

श्री मोहनलाल गौतम— यह मोटर एलाउन्स उसी वक्त मिलता है जब कि वह अपनी मोटर रखते हों।

कुम्भ दुर्घटना जांच कमेटी की रिपोर्ट

*२०—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कुम्भ दुर्घटना जांच कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब?

श्री मोहनलाल गौतम—कुम्भ दुर्घटना जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार को अभी मिली है और वह इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

*२१—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुम्भ जांच कमेटी में सरकार का कितना व्यय हुआ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस सम्बन्ध में पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को कुम्भ दुर्घटना जांच कमेटी रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री मोहन लाल गौतम—वह जब पब्लिश होगी और आउट होगी तो सदन के मेम्बरों को भी उसका ज्ञान हो जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कितने मरे हुये आदमियों की संख्या बतायी है?

नोट—तारांकित प्रश्न २०—२१ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

श्री मोहनलाल गौतम---अब उसके डिटेल्स में शायद, अध्यक्ष महोदय, जाना आप मुनासिब न समझें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट के प्रकाशित न होने तक उसे गोपनीय समझते हैं?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस हो गयी। वह उचित नहीं समझते कि उसे फिलहाल प्रकाशित करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुम्भ दुर्घटना जांच कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने कब प्रस्तुत कर दी जायगी?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी हो सके।

गाजीपुर जिले में करीमुद्दीनपुर पंचायत निरीक्षक सर्किल के ग्राम सभापतियों का निलम्बन

*२२---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पंचायत निरीक्षक सर्किल, करीमउद्दीनपुर, जिला गाजीपुर के ग्राम सभा के कितने सभापति निलंबित तथा पदच्युत किये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सर्किल के केवल २ प्रधान (सभापति) निलम्बित हैं, परन्तु पदच्युत कोई प्रधान नहीं किया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह दो गांव के सभापति क्यों मुअत्तल हैं और कब से?

श्री मोहनलाल गौतम---इनमें से एक के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप था और दूसरे ने मालगुजारी वसूल करने में बाधा डाली थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या उन गांव के सभापतियों की गांव-सभा का नाम माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम---ग्राम सभा गोंडहुर के प्रधान श्री नैपालराय तथा गांव सभा अमहट के प्रधान श्री हरनन्दन सिंह।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो गांव का सभापति मुअत्तल किया गया है उसने ज्यादा मालगुजारी वसूल करने की मनाही की इसलिये मुअत्तल किया गया?

श्री मोहनलाल गौतम---इन डिटेल्स के लिये सूचना चाहिये।

फतेहपुर जिले में किशुनपुर टाउन एरिया क्षेत्र की वृद्धि

*२३---श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के किशुनपुर टाउन एरिया में ग्राम समाज महावतपुर, अमहट व रामपुर शामिल कर दिये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

*२४---श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)---अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त दोनों ग्राम समाजों से जिलाधीश फतेहपुर के पास इस बात के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं कि वह ग्राम समाज अलग ही रखे जायं और टाउन एरिया में सम्मिलित न किये जायं?

श्री मोहनलाल गौतम—केवल प्रधान ग्राम समाज महावतपुर असहट का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ था।

*२५—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—अगर हां, तो सरकार उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रार्थना-पत्र अनाधार पाने से जिलाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

फ़ीरोज़ाबाद नगरपालिका का आगामी चुनाव

*२६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह फिरोजाबाद नगरपालिका का चुनाव कब तक कराने का विचार रखती है?

श्री मोहनलाल गौतम—शासन का विचार फीरोजाबाद नगरपालिका में यथा सम्भव शीघ्र चुनाव कराने का है। किन्तु चुनाव की कोई निश्चित तिथि अभी से निर्धारित करना कठिन है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस नगर-पालिका का चुनाव न कराने के क्या कारण हैं, विशेष कर पिछले आम चुनाव के समय?

श्री मोहनलाल गौतम—पिछले आम चुनाव में तो कबाल टाउन्स को छोड़कर २ नगरपालिकायें जो उसी समय सुपरसीड की गई थीं उनका चुनाव नहीं हुआ, अलीगढ़ और फीरोजाबाद। इस वक्त क्या कारण है वह दूसरी बात है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९५५ तक इनका इलेक्शन करा दिया जायगा?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय जो ऐक्सटेंशन हुआ है वह ३१ मई, १९५५ तक के लिए है। लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि निकटवर्ती कुछ गांवों में विवाद खड़ा हो गया है कि वे उस म्युनिसिपल लिमिट में रहें या नहीं और उसका फैसला किये बगैर चुनाव कराना कठिन है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी को विदित है कि चुनाव न होने से वहां की जनता में काफी असन्तोष है और वहां से मंत्री जी के पास इस तरह की मांगें आती रहती हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो राय का सवाल है क्या कहा जाय। मुश्किल है अभी कहना।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन कुछ गांवों का म्युनिसिपल लिमिट में शामिल होने या न होने का गम्भीर मसला सरकार कितने दिनों में तय करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव करा दिया जाय।

बदायूं जिले में सहसवान के जनाना व मर्दाना अस्पताल

*२७—श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—क्या सरकार को मालूम है कि जनाना शफाखाना, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में लेडी डाक्टर अरसे से नहीं हैं, जिसकी वजह से जनता को इलाज की सुविधा नहीं है?

श्री बनारसी दास---लेडी डाक्टर वहां काम कर रही है।

*२८---श्री मुश्ताक अली खां---क्या सरकार को विदित है कि सहसवान के मरदाने शफाखाने में दवाइयों की बहुत कमी है और मरीजों को बाजार से दवा खरीदने की हिदायत दी जाती है? क्या सरकार इस शफाखाने को ज्यादा मिकदार में दवा देने का इन्तजाम कर रही है?

श्री बनारसी दास---मरदाने अस्पताल सहसवान में दवाइयों की कोई कमी नहीं है।

श्री मुश्ताक अली खां---क्या मंत्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि मौजूदा लेडी डाक्टर की पोस्टिंग कब हुई?

श्री बनारसी दास---१३ नवम्बर, १९५४ को भेजी गई है।

श्री मुश्ताक अली खां---इससे पहले जो लेडी डाक्टर थी उसका ट्रांसफर कब हुआ?

श्री बनारसी दास---ट्रांसफर तो नहीं हुआ। अप्रैल के महीने में उस लेडी डाक्टर ने पहले कैजुअल लीव ली बाद को मेडिकल लीव पर चली गई, फिर बाद में ऐक्सटेंड भी कर दी फिर सर्विस से अलग हो गई और बाद में जब कन्डेस्ड कोर्स पूरा हुआ तो दूसरी लेडी डाक्टर वहां भेजी गई और वही काम कर रही है अभी।

श्री मुश्ताक अली खां---क्या माननीय मन्त्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि मौजूदा साल में दवाइयों के लिए जो रुपया बजट किया वह पिछले साल से अधिक है?

श्री बनारसी दास---अधिक का तो कोई सवाल नहीं है। वह तो एक स्केल होता है, उसके मुताबिक हरएक डिस्पेंसरी को रुपया मिलता है। अगर दवाइयों की कमी होती है तो अधिक रुपये के लिये डाइरेक्टर को वह लिख सकते हैं और समय-समय पर जब आवश्यकता होती है तो डाइरेक्टर देता है। वहां से कोई मांग नहीं आयी है ज्यादा रुपये के लिए इसलिये हमारा अनुमान है कि वहां कोई दवाइयों की कमी नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो अभी उन्होंने स्केल बतलाया तो वह स्केल किस आधार पर कायम किया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---स्केल जो निर्धारित किये गये हैं, कई वर्ष पूर्व वह निर्धारित किये गये हैं। जैसे पहले मरीज आया करते थे उनकी संख्या को देखते हुये ये स्केल्स निर्धारित किये गये हैं। अब मरीजों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है और उस स्केल के अनुपात में अभी वहां जो ग्रान्ट है उसमें वृद्धि नहीं हुई है।

आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल में शय्याओं की कमी

*२९---श्री देवकी नन्दन विभव---क्या स्वास्थ्य मंत्री को विदित है कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में शय्याओं की कमी के कारण देहात से आने वाले मरीजों को भर्ती के लिये काफी इन्तजार करना पड़ता है और उन्हें ठहरने के लिये बड़ी असुविधा होती है?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार की कठिनाई मरीजों की संख्या अधिक होने पर कभी-कभी हो जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचनायें मिली हैं कि ज्यादातर मरीज काफी तादाद में बाहर से आने पर वहां भर्ती नहीं हो पाते और वह सड़क पर ही पड़े रहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सम्भव हो सकता है। कैटेगोरिकली तो नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे बड़े-बड़े अस्पतालों में भी जितने बेड्स इत्यादि की मांग है, उसके अनुपात में वे बेड्स नहीं हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि अभी बजट में उतना रुपया जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है, नहीं रखा जा सकता है जितने की आज रखने की आवश्यकता है?

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव उपस्थित किये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे उन सुझावों का जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से आये हैं, पता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ सुझाव रखे हों, प्रदेश की विभिन्न प्लानिंग कमेटीज से सुझाव आते रहते हैं और जब हम उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उद्यत होते हैं तो वही रुपये की कमी आकर हमारे बीच में अड़चन के रूप में खड़ी हो जाती है?

फतेहपुर-मानिकपुर ग्राम पंचायत का चुनाव

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, फतेहपुर मानिकपुर के, जो पंचायत राज्य इन्सपेक्टर, सर्किल जलालपुर, जिला फैजाबाद में स्थित है, चुनाव के विरुद्ध चुनाव होने के बाद ही प्रार्थना-पत्र दिया गया था और ५ वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी उस प्रार्थना-पत्र पर निर्णय नहीं हुआ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला फैजाबाद में फतेहपुर मानिकपुर नाम की कोई ग्राम पंचायत नहीं है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फतेहपुर मानिकपुर, गांव जिस ग्राम पंचायत में है उसका चुनाव क्या अंडर पेटीशन है?

श्री मोहनलाल गौतम—उसकी सूचना चाहिए।

रानीखेत तहसील में पंचायती अदालत, गाड़ी के मंत्री का बकाया वेतन

*३१—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा की पंचायती अदालत गाड़ी के भूतपूर्व पंचायत मंत्री का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।

श्री मोहनलाल गौतम—भूतपूर्व पंचायत मंत्री से २१४ रुपये २ आने ९ पाई वसूल होना था और उनका बकाया वेतन १०, नवम्बर १९५० से १४, अप्रैल १९५१ का केवल १२४ रुपया होता था। इस प्रकार बजाय पंचायत मंत्री को बकाया वेतन देने के अब उनसे ९० रुपये २ आने ९ पाई वसूल होना बाकी है।

*३२—श्री सीताराम शुक्ल—क्या स्वशासन मंत्री के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत उस मंत्री की ओर से आई है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, उस पर जांच कराया गयी है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उसके जिम्मे जो बकाया है वह किस मद का है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो रुपया पंचायतों के सम्बन्ध में उसके हाथ में आया होगा वही होगा। मैं अभी ठीक नहीं कह सकता।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २१४ रुपये का हिसाब जो उनकी तरफ था वह किस मद का था ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह जो गांव सभाओं का रुपया मंत्री के हाथ में आता है उसमें से होता है।

राजकीय कृषि विद्यालय प्रसार शिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में बस्ती जिले के प्रशिक्षणार्थी पंचायत मंत्रियों को भत्ता न मिलना

*३३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या यह बात सही है कि राजकीय कृषि विद्यालय प्रसार शिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में जो पंचायत मंत्री बस्ती जिले से सन् ५३ में ट्रेनिंग पाने के लिये भेजे गये थे, उनका यात्रिक तथा दौरे का भत्ता नहीं दिया गया जब कि गोरखपुर देवरिया आदि पड़ोसी जिलों में भत्ता दे दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—बिल गलत बने थे।

श्री राजाराम शर्मा—कब तक यह भत्ता दिया जायगा और कितना-कितना दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—बिल ठीक करा कर शीघ्र ही दिया जायगा।

गौरा रुपई, जिला रायबरेली की पंचायती अदालत

*३४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास अम्बारा पश्चिम नामक स्थान पर गोरा रुपई, जिला रायबरेली की पंचायती अदालत का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में जनता का कोई प्रार्थना-पत्र आया है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़ संबंधी सहायता

*३५—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला बोर्ड ने सरकार से बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिये गत वर्ष ४ लाख रुपये के अनुदान की मांग की थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्ड की मांग ३,६५,८२५ रुपयों की थी परन्तु जिलाधीश ने केवल ७५,००० रु० अनदान देने के लिये लिखे थे।

*३६—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या यह सही है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण गत वर्ष सरकार ने इसके लिये कुछ सहायता नहीं दी ?

श्री मोहन लाल गौतम—बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं था जिसके अन्तर्गत उक्त सहायता दी जाती।

*३७—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार इस वर्ष जिला बोर्ड आजमगढ़ को इस सम्बन्ध में कुछ विशेष अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री व्रज विहारी मिश्र—क्या जिले के बाढ़ क्षेत्र को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय इस अनुदान में कुछ और वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करने को प्रस्तुत हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—आजमगढ़ जिला तो बहुत ही खुशकिस्मत है कि ७५ हजार रुपया जितना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा उतना मिल रहा है। उससे ज्यादा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार जिलाधीश आजमगढ़ के सुझाव के अतिरिक्त आजमगढ़ जिले की प्लानिंग कमेटी से भी इस सम्बन्ध में सुझाव मांगना चाहती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला प्लानिंग कमेटी के भी मुकाबिले में अगर ज्यादा नहीं तो फिर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नुमाइन्दा जमात है जो कि जिले को रिप्रजेंट करती है। उसी की तरफ से मांग थी जिसको जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत यहां पहुंचाया गया।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड ने जो ३,६५,८२५ रुपये की मांग की थी उसमें क्षति का ब्योरा दिखाया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—बगैर ब्योरे के तो मांग हो नहीं सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश आजमगढ़ ने जो इतने रुपये की सिफारिश की है उसमें कमी करने के क्या कारण अपनी रिपोर्ट में बतलाये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यही कि इतने रुपये से जितना बाढ़ का नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत हो जायगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिलाधीश आजमगढ़ की राय मांगने का पुनः इरादा रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—बात यह है कि इस सम्बन्ध में कुल ५ लाख रुपया जो बाढ़ से क्षति हुई है उसके लिये रखा गया है और उसे ११-१२ जिलों में बांटना है। यदि दुबारा पूछा जाय तो मुमकिन है कि मांग और ज्यादा आ जाय और मुझे सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांगना पड़ जाय।

हमीरपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों के वेतन मिलने में विलम्ब

*३८—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने हमीरपुर जिला बोर्ड को कुछ आर्थिक सहायता इसलिये दी थी कि वह

शीघ्रातिशीघ्र बोर्ड के अध्यापकों को सन् १९४८ से पिछले वेतन चुका दे ? यदि हां, तो वह धन कितना था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं।

*३९—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दी गई उक्त धनराशि का वितरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड हमीरपुर के अध्यापकों का कितने महीने का वेतन बाकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे आशा है कि किसी बोर्ड में किसी महीने का किसी का वेतन बाकी नहीं होना चाहिये। अगर कहीं है तो मुझे सूचना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सही नहीं है कि जिला बोर्ड हमीरपुर को इस वर्ष ४०,००० रुपया इसी काम के लिये दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस वर्ष तो नहीं दिया गया पिछले वर्ष दिया गया होगा।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार को ज्ञात है कि बोर्ड को जो सरकार ग्रांट जुज करके देती है अगर वह एक साथ दे दे तो उसकी समस्याओं का एक साथ हल हो जाय जैसे अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप कृपा करके सुझाव भेज दीजिये। यहां यह प्रश्न नहीं हो सकता।

बस्ती जिले में अपर्याप्त चिकित्सा साधन

*४०—श्री शिव मंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय कितने हैं और वे कहां-कहां हैं ?

श्री बनारसी दास—बस्ती जिले के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१३ पर।)

*४१—श्री शिव मंगल सिंह कपूर—क्या चालू अथवा आगामी पंचवर्षीय योजना में कोई नया अस्पताल बस्ती जिला में खोलने का विचार है ?

श्री बनारसी दास—बस्ती जिले में चालू अथवा आगामी पंचवर्षीय योजना में खोले जाने वाले नये अस्पतालों के स्थान तथा संख्या अभी निश्चित नहीं है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार को मालूम है कि तहसील डुमरियागंज के उत्तर और पश्चिम में सिंगारजोत, नयाडीह तथा जगदराम रमवापुर में जहां आबादी बहुत ज्यादा है वहां आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, आप कहते हैं, सही होगा।

श्री शिव मंगल सिंह कपूर—क्या सरकार इस देहाती इलाके में यूनानी चिकित्सा का इन्तजाम करने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त बस्ती जिले में ३९ अस्पताल हैं जो सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त हैं और सरकार की नीति यह है कि ५ मील के दायरे में एक अस्पताल हो। इस हिसाब से बस्ती जिले में ३६ अस्पताल होने चाहिये। यह जरूर है कि इस समय कुछ अस्पताल अधिक दूरी पर हैं। इसलिये सलाहकार समिति से कहा गया है कि वह ठीक तरह से इन्तजाम करे जिससे ५ मील से अधिक दूरी पर कोई अस्पताल न रहे।

टिहरी जिले में उत्तर काशी सिविल अस्पताल की मरम्मत के लिए सहायता

*४२—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि वर्षा होने पर टिहरी जिले के उत्तरकाशी सिविल अस्पताल के छत से पानी कमरों में टपकता है जिससे मरीजों को कष्ट होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस इमारत की मरम्मत की व्यवस्था करेगी?

श्री बनारसी दास—जी हां। १९५२-५३ में मरम्मत हुई थी और फिर १,०००) रु० दिया गया है।

*४३—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त अस्पताल में एक्स-रे तथा रक्त परीक्षण के हेतु कोई यंत्र तथा सामान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करेगी?

श्री बनारसी दास—जी हां, छोटे अस्पतालों में यह सामान साधारणतः नहीं दिया जाता। आवश्यकता होने पर रोगी को जिला अस्पताल भेज दिया जाता है।

*४४—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन में विलम्ब की शिकायत

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे कल इस बात के लिये आज्ञा दी गयी थी कि मैं आज उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के संबंध में कुछ निवेदन करूं। आपको याद होगा और शायद मेरी याददाश्त भी गलत साबित न हो कि माननीय मंत्री जी ने मेरे पूरक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि दिसम्बर, सन् १९५४ तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट उसके संबंध में आ जायगी। मैं उस सेलेक्ट कमेटी का मेम्बर हूं परन्तु आज तक उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है और आज दिसम्बर की २२ तारीख हो गयी है अगर २८ तारीख तक असेम्बली स्थगित हो गयी तो उसके बाद यह निश्चित है कि शायद गवर्नर महोदय इसको प्ररोग करें तो सब नोटिसेज के लैप्स हो जाने की संभावना है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन को दिया है उसको पूरा करने के लिये आप कोई कार्यवाही करें। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी के सामने क्या दिक्कत है लेकिन मैं यह समझता हूं कि अब समय अधिक हो गया है। साल भर पूरा बीत चुका है और पिछले साल भी सेलेक्ट कमेटी ने काम किया था।

श्री अध्यक्ष—आपने अभी यह कहा कि प्ररोग होने से उसके लैप्स होने की संभावना है यदि ऐसा है तो अब वह कई बार लैप्स हो गया होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह कोई मैंने एक कारण नहीं बतलाया वह तो दूसरी बात कही थी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि साल भर बहुत है और आंकड़े भी इकट्ठा हो गये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होंगे और उनका विभाग इतना तत्पर है कि उसने इस संबंध में सब आवश्यक कार्यवाही कर ली होगी। आप कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही और आदेश देने की कृपा करें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैंने किसी पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था या नहीं कहा था कि दिसम्बर तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आजायगी? इसका कोई असर मेरे इरादे पर नहीं पड़ता। मेरा इरादा है कि वह जल्द से जल्द आजाय लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं और वह यह हैं कि जैसे आंकड़े हमारे देहाती इलाके के लिये उपलब्ध थे, वह शहरी इलाके के लिये उस तरह से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। २३ जिलों से गवर्नमेंट की तरफ से पूरी डिटेल के आंकड़े मांगे गये। ८ महीने तक वहां से जवाब प्राप्त नहीं हो पाया। इसमें सरकारी कर्मचारियों का दोष नहीं है क्यों कि लैंड रिकार्ड शहरी इलाके के मेंटेन नहीं किये जाते। इन सब बातों की कहीं इन्फारमेशन मौजूद नहीं थी इसलिये इसमें बहुत कठिनाइयां आईं जिनकी वजह से सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी क्योंकि डेटा मौजूद हो, अदादोशुमार हों, तो उसके ऊपर ही राय कायम की जा सकती है। अब कुछ आ गये हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि जनवरी के आखिर तक सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग शायद मैं बुला सकूं। ऐसी सूरत में मुमकिन है कि फरवरी के आखिर तक रिपोर्ट सदन के सामने आ जावे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मुमकिन है। क्योंकि सेलेक्ट कमेटी खुद ही यह कह सकती है कि फलां चीज और मंगवाई जाय जिसको हम फौरन रेकार्ड से नहीं निकाल सकते हैं। मैं खुद बहुत उत्सुक हूं जल्दी के लिये और कई बार जिलाधीशों को रिमाइन्डर्स भेजे हैं। मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि इतना थोड़ा वह इलाका है कि वह कोई ऐसी समस्या के रूप में नहीं है जिससे हमारे माननीय मित्र को कोई परेशानी हो। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जल्दी वह हो जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल आपके द्वारा मैंने सरकार से निवेदन किया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल के बाद के सब बिल स्थगित करके पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और जमींदारी अबालीशन और चकबन्दी विधेयक के नियम ले लिये जावें। माननीय वित्त मंत्री ने वादा किया था कि वह आज उसका जवाब देंगे। मैं उनका उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कल यह तय हुआ था कि वह आपसे बातें करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह बात तो मेरी और आपकी हुई और उसकी बिना पर मैं अर्ज करता हूं। जैसा आपने फरमाया था, हम यही चाहते थे और चाहते हैं कि २७ और २८ तारीखों में ये रख लिये जावें। मैं भी यही चाहता था कि आपकी इरशाद की तामील हो जाय। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि २७ और २८ दोनों तारीखों में इस हाउस में और गालिबन दूसरे हाउस में भी इन बिलों और रिपोर्टों के अलावा एक और भी काम भी होने वाला है जो हमारे लीडर साहब के यहां से जाने और हमारे नये लीडर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के आने के मुताल्लिक होगा।

श्री अध्यक्ष—२७ को जाने के बारे में होगा?

श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम—२७ को जाने के बारे में और २८ को आने के बारे में। २८ को नयी गवर्नमेंट बनकर आयेगी और मिनिस्टर साहेबान भी नये-नये रूप में आवेंगे। और मैं समझता यह हूं कि उसमें बहुत काफी वक्त लगेगा। मुझे इसमें एतराज नहीं है कि इन बिलों को छोड़ दिया जाय। रिपोर्टों को मैं नहीं समझता कि कहां तक यह हाउस इस वक्त उठाना मुनासिब समझेगा। यह सोचा गया था कि अगले सेशन में वक्त मुकर्रर करके इनको ले लिया जाय। वैसे एजेंडा पर तो ये होंगे ही।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि चकबन्दी के नियम २७ को ले लिया जावे और सरकार के आने जाने के झगड़े में मैं तो ज्यादा पड़ना नहीं

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

चाहता। उसके लिये एक ही दिन काफी हो जाना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि चकबन्दी के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे पहले ले लिये जावें। जब सेशन फरवरी में हो तो पहले यह कार्य-क्रम ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके सुझाव के अनुसार यूनिवर्सिटी विधेयक कल समाप्त होगा? फिर परसों का एक दिन बाकी बचेगा?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—परसों गैर सरकारी दिन है।

श्री अध्यक्ष—तो यह २७ को ही आ सकता है। २७–२८ को जो वक्त बचे उसमें चकबन्दी नियम ले लिये जायं तो शायद ठीक होगा।

श्री चरण सिंह—जमींदारी अबालीशन नियम अथवा चकबन्दी कुछ भी ले लिया जाय, मैं सब के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष (श्री रामनारायण त्रिपाठी से)—चकबन्दी नियमों के खत्म होने पर आप किसको लेना चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में मंत्री जी कह ही चुके हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो जमींदारी अबालीशन ले लिया जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जहां तक जमींदारी अबालीशन के नियमों का ताल्लुक है वे तो लिये नहीं जा सकते क्योंकि उसके लिये बहुत थोड़ा समय बचेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मोटर वेहिक्लिस रूल्स ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—परिवहन मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं। आप फिर इसके बारे में विचार कर लीजिए।

*लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ८ क्रमागत

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं १५वां संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं अगर आज्ञा हो तो १६ वां प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष—कर दीजिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"The Chancellor of the University shall be elected in a joint session of the court and fifty representatives of the registered graduates of the University of at least three years' standing."

अध्यक्ष महोदय, इस लखनऊ युनिवर्सिटी बिल के सिलसिले में वादविवाद के समय इसी बात पर जोर दिया गया था कि इस यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में अगर कोई दखल दिया जा रहा है तो वह चांसलर के जरिये से दिया जा रहा है। मुझे माननीय गुप्ता जी से यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि वे भी आटोनोमी की बड़ी भारी इज्जत करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस रहा कि वे मेरे भाषण के समय यहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह कहा कि आटोनोमी होनी चाहिये। परन्तु लोगों को यह शिकायत है, उन लोगों को जो इस बिल पर विचार कर रहे हैं, तथा प्रोफेसर्स को कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा के संबंध में जो आटोनोमी है उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†२१ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

और वह हस्तक्षेप चांसलर के जरिये से होता है क्योंकि वह एक कांस्टीट्यूशनल हेड है और हमेशा मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है। इसलिये जो कुछ काम चांसलर महोदय करते हैं सरकार की सलाह से करते हैं ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, कल जो वर्मा जी का संशोधन था उसमें भी चांसलर के चुनाव की व्यवस्था थी कि उनका चुनाव रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स द्वारा हो और यह जो संशोधन उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है उसमें भी यही व्यवस्था है। वर्मा जी का संशोधन यह सदन अस्वीकार कर चुका है। क्योंकि वैसा ही एक संशोधन नामंजूर हो चुका है इसलिये दूसरा संशोधन उसी के बारे में नहीं लिया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष---पहला संशोधन कौन सा है ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव---वह यह है--

"The Chancellor shall be elected by all the registered graduates of the University in the manner prescribed by the statutes, and shall hold office for six years."

जो वर्मा जी का संशोधन था वह और भी व्यापक रूप में था और यह सीमित दायरे में है जो पहले वाले से कवर हो जाता है। इसलिये यह नहीं लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---यह हो सकता था कि उसके साथ ही इसको ले लेते। अगर एक ही साथ ले लेते तो एक साथ लेना संभव था लेकिन अलहदा लेना भी अवैध नहीं है क्योंकि उसमें कोई सिद्धांत नहीं बतलाया गया ह और सदन ने चुनाव के सिद्धांत को नहीं मान लिया है बल्कि उन्होंने तो यह तय किया कि सब रजिस्टर्ड ग्रेजुएट द्वारा न चुने जायं। तो उसे थोड़ा अमेंड करके दूसरा अमेंडमेंट आ सकता है। जब खंड का प्रश्न आता है तब सिद्धांत का प्रश्न आ सकता है कि "दि चांसलर शैल बी एलेक्टेड" अगर यह होता तो इस बात को मान लेता कि इसको डिलीट कर दिया जाय। लेकिन यह बात इसमें नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि किसी को भी कोई इस बात की शिकायत न हो कि हमारी यूनिवर्सिटी आटोनोमी में सरकार की ओर से हस्तक्षेप हो रहा है। मैं यह भी समझता हूं कि जितनी इम्पारटेंस हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को देते हैं उतनी इम्पार्टेंस अपने चांसलर को नहीं दे सकते। और वह इसलिये नहीं दे सकते हैं कि चांसलर तो तभी यूनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप करता है जब कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल वाइस चांसलर द्वारा छांटे हुये आदमी के लिये एक राय से मुहर नहीं लगाती है और इसी तरह से सेलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर वह छोटे-मोटे मामले में दखल दे सकते हैं। अगर कोई नाम छांटा जाय और लोगों की यह शिकायत हो कि सरकार अपने चांसलर के जरिये यूनिवर्सिटी के मामले में दखल देती है तो मैं समझता हूं कि अगर चांसलर चुन होगा तो हमारी यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर जो हम समझते हैं कि एफेक्ट होता है वह नहीं होने पावेगा। और मैं यह भी चाहता हूं कि आखिर यह कोर्ट जो बना है उसका क्या काम होगा ? एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वे ही इस तरह की पार्टीबन्दी करके यूनिवर्सिटी के वातावरण को बिगाड़ते हैं। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के लिये माननीय मंत्री जी ने कल भी और उस दिन भी बड़े जोरों से गुरुओं की तारीफ करते हुये कहा कि हम उन्हीं के चरणों में बैठ कर शिक्षा पाये हैं और इस तरह से उन्होंने गुरुओं की बड़ी तारीफ की। गुरू काफी समझदार लोग हैं, वे बच्चे नहीं हैं जो किसी के बहकाने में आ जायं। गुरू भी सब समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी बिल के जरिये इन गुरुओं की सारी प्रैस्टिज को गिरा दिया गया है। टीचर्स के लिये इस बिल के अन्दर जैसा है, अगर यह पास हो जाय तो इससे उनका कोई फायदा नहीं हो सकता है। और जहां तक यूनिवर्सिटी के बिगड़ने और भला होने की बात है इसके जिम्मेदार प्रोफेसर्स और टीचर्स ही नहीं हैं। और प्रोफेसर्स और टीचर्स का जो रेप्रेजेंटेशन कोर्ट के अन्दर है कम से कम कोर्ट को तो यह अधिकार दे ही दिया

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जाना चाहिये कि जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हेड है और जिसको वे नामिनल हेड समझते हैं और सरकार भी कहती है कि उनका कोई काम नहीं है तो फिर चांसलर की क्या आवश्यकता है कि वह हमारा गवर्नर ही हो ? कोई भी हो सकता है । जहां तक नामिनेशन का संबंध है, अगर कोर्ट कुछ मेम्बरों को छांटती है तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है । यह यूनिवर्सिटी की सबसे सुप्रीम बाडी है । मैं पढ़ कर सुना देता हूं कि कोर्ट क्या काम करती है—

"of considering and passing resolution on any matter of general policy relating to University education and administration."

केवल इतना ही काम कोर्ट का है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि उसमें १६० मेम्बर्स होंगे और उसमें से करीब आधे के हिसाब से टीचर्स को रिप्रिजेंटेशन दिया है । तो मैं कहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी को उन टीचर्स पर विश्वास है जिन के चरणों में वह इतनी श्रद्धा रखते हैं तो फिर इस को मानने में क्या हर्ज है ? मैंने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की बात रखी है, वह तो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको मैंने इसी लिये एड किया है ताकि आप जब कहते हैं कि जनता का विश्वास हो तो जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उन पर आप क्यों विश्वास नहीं करते ? इस तरह से मैंने तो उनकी ही इच्छा की पूर्ति के लिये यह रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की बात यहां रखी है ताकि वह भी इस एलेक्शन में हिस्सा ले सकें, क्योंकि वह लोग यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं । और इस चुनाव में अगर उनका हाथ रखा जायगा तो मैं समझता हूं कि हम बेटर आदमी को चांसलरी के लिये एलेक्ट करा सकेंगे । वाइस चांसलर के चुनाव में तो एग्जिक्यूटिव का फैसला होगा । वह पहले एक नाम भेजेगी और अगर नहीं तय कर सकेगी तो ३ नाम भेजेगी तो वैसे भी ३ गलत आदमी भी छट सकते हैं हालांकि मुझे आशा है कि जिन गुरुओं के चरणों में माननीय गुप्ता जी ने शिक्षा पाई है वह कभी गलत काम नहीं कर सकते लेकिन जब उनको इलेक्शन में भाग लेने के लिये कहा जाता है तो वह उसके लिये तैयार नहीं होते । इसलिये इस तरह क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने से क्या लाभ ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है, क्या चांसलर कोई बाहर का अच्छा एजूकेशनिस्ट नहीं बनाया जा सकता ? मेरा जो इससे पहले का संशोधन था वह मैंने इसीलिये पेश नहीं किया कि फिर गुप्ता जी कहते कि वही बात कही जा रही है । मैंने इसीलिये इस संशोधन को रखा है ताकि कोर्ट को और वहां के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को किसी अच्छे योग्य आदमी को चांसलर के पद पर लाने का एक मौका मिले । ऐसा करने से कम से कम ऐसा तो न होगा कि जो नामिनेटेड होंगे और जो डीन आफ दि फैकल्टी के बराबर नम्बर से होंगे वह हमेशा हां में हां करेंगे । आज तो यह है कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी की जो राय होगी और जो उनका कहना होगा, जैसा वह चाहेंगे वह होगा, और जो वह नहीं चाहेंगे वह नहीं होगा । मैं समझता हूं कि अब तो सरकार को अक्ल आ गई होगी और समझ आ गई होगी कि वहां ठीक आदमी को रखे । लेकिन अगर फिर भी उसका वही ख्याल है और वह चाहती है कि जलूस निकालने का मौका दे और फिर कहें कि बड़ा गजब हो गया, तो क्या किया जाय ।

यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात की जाती है । कल एक साहब कह रहे थे एलेक्शन कम से कम होने चाहिये । लेकिन हमें देखना चाहिये कि यहां पर हर कमेटी के लिये एलेक्शन होते हैं, तो कोई झगड़ा आपस में हमारा नहीं होता और जिसको हम लोग ठीक समझते हैं भेज देते हैं । ठीक है, हो सकता है कि एलेक्शन कम किये जायं । लेकिन जहां तक चांसलर का सवाल है अगर टीचर्स को यह अधिकार नहीं दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया या जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं उनको मौका नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि वह उचित न होगा । लेकिन जहां तक चांसलर के इलेक्शन का सवाल है मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा कि चांसलर का कोई काम नहीं है । इसलिये अगर उसको बाहर के किसी आदमी पर या किसी एजूकेशनिस्ट पर छोड़ दें तो इसमें सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है । जहां तक वाइस चांसलर का चुनाव था उसमें मैं

इसके लिये हामी नहीं था इसलिये कि वह एक पार्टी का आदमी होता है। टीचर्स का ग्रूप हो गया या प्रोफेसर्स का या किसी का ग्रूप हो गया, तो उसी तरह से जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई कोर्ट की वजह से, तो मैं नहीं चाहता कि वह हो क्योंकि मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोर्ट वालों से उसके ताल्लुकात पड़ेंगे तो वह आदमी कोर्ट से एलेक्टेड नहीं होना चाहिये लेकिन जिस आदमी का कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिवाय उस वक्त जब सेलेक्शन कमेटी में किसी के एप्वाइंटमेंट के सिलसिले में कंफ्लिक्ट हो जाय और एक्जीक्यूटिव कौंसिल उससे डिसएग्री करे तब वह चांसलर को रिफर किया जायगा। जब यह बात है तब गवर्नर महोदय ही फैसला करें ऐसी कोई बात तो है नहीं। उसमें आटोनामी वालों को शक होता है कि गवर्नर महोदय का जो फैसला होगा वह हो सकता है उसी आदमी के लिये होगा जो गवर्नमेंट का हो और गवर्नमेंट की मदद करने के लिये वह वहां पर होगा। इसलिये इस तरीक पर भी जहां टीचर्स के सेलेक्शन का सवाल आता है वहां भी यही ठीक है कि चांसलर प्रोफेसरों से और टीचरों से ही छांट कर आया हो। एक मौका उन लोगों को देना ही चाहिये और अगर ठीक नहीं होगा तो बदल लेंगे जैसे जमींदारी उन्मूलन बिल में रोज हम बदलते ही रहते हैं तो उसी प्रकार हम फिर उसको बदल लेंगे। मैं किसी चांसलर के लिये यह नहीं कहता कि गवर्नर महोदय जो होते हैं वह खराब होते हैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं तो प्रोफेसरों को मौका दीजिये। हमारा जो कोर्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन टीचरों का होगा। उसमें प्रोफेसर्स होंगे, डीन्स आफ फैकल्टीज होंगे इसलिये अगर हम उनको मौका दे देते हैं कि चांसलर को छांटें तो कल अगर गड़बड़ी होती भी है पहले तो चांसलर दखल देंगे ही नहीं और अगर गड़बड़ होती ही है तो हम जिम्मेदारी उनपर डाल सकेंगे कि आप ही लोगों ने तो चांसलर को छांटा था और उसने ऐसा गड़बड़ किया था। इसलिये इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर जरा डिस्पैशनेटली विचार करें और अपने क्रोकोडाइल टीयर्स को कार्यरूप में परिणित करें ताकि लोगों को मालूम हो जाय जब वे अखबारों में पढ़ें कि माननीय मंत्री जी दिल से चाहते हैं और उन्होंने गुरुजनों को बड़ी इज्जत का पद दिया है कि वे चांसलर को छांटें। ऐसी मेरी प्रार्थना है और मुझे आशा है कि इस संशोधन को वे कृपा करके स्वीकार करेंगे।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्याय जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह यह है :—

"The Chancellor of the University shall be elected in a joint session of the court and fifty representatives of the registered graduates of the University of at least three years' standing."

इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह का संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने रखा है इस प्रकार का पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव में हम तरीका पाते थे और उसका यह परिणाम निकाला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अन्दर इतनी पार्टीबन्दी हैं जिसका परिणाम सब लोगों को मालूम है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—वह वाइस-चांसलर के लिये था।

डाक्टर सीताराम—अच्छा, अब मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि अगर मूथम कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमको यह देखना चाहिये कि चांसलर की केपेसिटी क्या है। वास्तव में वह यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो इस सम्बन्ध में जिस तरह से आपने यह रखा है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स और कोर्ट के मेम्बर्स के ज्वाईंट डिस्क्रिशन से चांसलर को चुना जाय तो इस तरह के चुनाव से काम में कुछ ज्यादा कमजोरी आयेगी और इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। साथ ही साथ चांसलर जो होता है वह गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में मध्यस्थ बनने वाला एक आदमी

[डाक्टर सीताराम]

होता है। इस परिस्थिति में अगर चांसलर गवर्नर न हुआ तो फिर वही बात आ पड़गी जैसी कि बीच में मैंने आपके समक्ष कही । इसके अतिरिक्त इस संबंध में मैं एक वह कोटेशन आप के सामने पढ़ना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कि जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पर बहस के दौरान में श्री नारायणदत्त जी ने पढ़ा था। वह इस प्रकार है :—

"The alternative of an elected Chancellor gives rise to a number of difficult problems, of which the most outstanding would be division of the powers now exercised by the Chancellor between an elected Chancellor and the Government, for we think it must be recognized that the Government cannot be wholly excluded from having some voice in the affairs of the University. It is sometimes overlooked that even in the United Kingdom, where the Universities possess a degree of academic freedom which is probably second to none, the State has wide powers over all major University legislation."

इसके सम्बन्ध में मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इंग्लैंड में, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ले लीजिये, वहां पर जितने लेजिस्लेशन्स हैं उनको हर मैजेस्टी एप्रूव करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, लीवरपूल और ब्रिस्टल आदि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके संबंध में भी मुझे कहना है कि उनको प्रीवी कौंसिल से एप्रूवल मिलता है। इसके साथ ही आप दूसरे देशों की यूनिवर्सिटियों को अगर लें तो, जैसे जर्मनी में ऐक्टर होता है, वही यूनिवर्सिटी का होल सोल मालिक होता है और उसको मिनिस्टर लोग नामिनेट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को फुल कंट्रोल ऐक्टर के जरिये यूनिवर्सिटी पर मिलता है। फ्रांस में १७ यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर भी ऐक्टर उसी तरह से काम करता है जैसे कि जर्मनी में। अमरीका में भी यूनिवर्सिटी की सब से बड़ी अथारिटी को प्रेसीडेन्ट कहते हैं। तो वहां पर भी, चाहे वह जर्मनी हो, फ्रांस हो या अमरीका हो, एकेडेमिक फ्रीडम नहीं है। रूस की बात तो क्या कहूं वहां पर तो अधिनायकवाद की व्यवस्था है। मैं उनकी बात को आप के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता और जहां तक भारतवर्ष की यूनिवर्सिटियों के बारे में बात है तो यहां सिर्फ आन्ध्र, सागर और विश्वभारती यूनिवर्सिटी को छोड़ कर, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें अधिकतर गवर्नर ही चांसलर रहता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम गवर्नर को ही चांसलर नहीं मानते और उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे हमारे यूनिवर्सिटी के कार्य में एक बड़ी अड़चन आ जायगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि हम यहां की आटोनामी में दखल दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के पिछले ३० साल के इतिहास को देखें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितनी जनतंत्र की भावना है और उसको बढ़ाने में माननीय गुप्ता जी ने जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी की सेवा की है, अगर उतनी सेवा सब लोग मिल कर दस साल भी करें तो हम इस देश को एक बहुत बड़े देश में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय उपाध्याय जी ने या और लोगों ने माननीय गुप्ता जी पर कटाक्ष किया है वह उचित नहीं है और मेरा विश्वास है कि जितनी सेवा गुप्ता जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की की है उतनी अब तक किसी ने नहीं की, शायद भविष्य में भले ही करें। उन्होंने कह भी दिया था कि यूनिवर्सिटी मेरी पहली सेवा थी और यूनिवर्सिटी ही आखिरी सेवा होगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर को ही होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय उपाध्याय जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध इस लिये भी करना चाहता हूं कि मैंने यह महसूस किया कि अपोजीशन की तरफ से जो विरोध हुआ उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है क्योंकि

अपोजीशन के पास कोई एक डेफिनिट आल्टरनेटिव नहीं है। जब हम देखते हैं अमेंडमेंट्स को तो स्वयं उपाध्याय जी के नाम में दो किस्म के अमेंडमेन्ट्स हैं जिससे स्पष्ट है कि स्वयं उनकी इस मसले पर कोई डेफ़िनिट राय नहीं है। दूसरा श्री नारायणदत्त तिवारी जी का अमेंडमेंट है। वह इस बात का सबूत है कि अपोजीशन को चूंकि किसी चीज का अपोजी शन करना है, वह अपोजीशन कर रहे हैं। लेकिन चांसलर कौन हो, उसकी बाबत कोई स्पेसिफ़िक राय उनके पास नहीं है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोपोजल आये, उसके विरोध में अपोजीशन को एक आल्टर्नेटिव प्रोपोजल पेश करना चाहिये। क्योंकि मान लीजिये कि उपाध्याय जी को इस तरफ़ बैठने का मौका हो तो उपाध्याय जी कहेंगे कि चांसलर इस तरह का हो और तिवारी जी कहेंगे कि चांसलर इस तरह का हो, तो कैसे हो सकता है। अगर आप देखें तो जो उपाध्याय जी का अमेंडमेंट है उसमें दो चुनाव होते हैं। वह कहते हैं कि:—

"The Chancellor of the University shall be elected in a joint session of the court and fifty representatives of the registered graduates of the University of at least three years' standing."

इसके माने यह हुये कि पहले रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स में से हमको ५० रिप्रेजेन्टेटिव चुनने होंगे, एक दल-दल वहां चुनाव की पैदा हो जायगी, उनमें आपस में गुटबन्दी बनेगी और किसी तरह से खींचातानी होने के बाद वह ५० आदमियों को चुनेंगे, और उनके साथ में कोर्ट के मेम्बर बैठ कर चांसलर का चुनाव करेंगे। श्रीमन्, बहुत बातें यहां कही जाती हैं कमीशन्स की। यह भी शिकायत की जाती है कि आप कमीशन्स की बात नहीं मानते हैं। मैं कहता हूं कि जहां सभी कमीशन्स ने इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव की पद्धति जहां तक हो कम से कम की जाय और यूं भी चांसलर का चुनाव आज तक हमारे देश में कभी नहीं हुआ, फिर भी यह चाहते हैं कि चांसलर का भी चुनाव हो। तो मैं समझता हूं कि कमीशंस की इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें हैं यह उनके बिल्कुल विपरीत हैं। इसके अलावा स्वयं उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्र देव जी की राय को अगर देखें तो उन्होंने चांसलर की ड्यूटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और पालिसी मेकिंग। उन्होंने यह अपना मत दिया है कि जहां तक पालिसी मेकिंग का ताल्लुक़ है वह तो गवर्नर के हाथ में होनी चाहिये 'एज दी हेड आफ़ दी गवर्नमेंट'। ऐडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में यह कहा है कि चूंकि उसके पास बहुत काम होता है तो यह उचित होगा कि अगर वह कोई अपना नौमिनी चांसलर बना दे। उपाध्याय जी ने यह जो पद्धति रखी है उसका कहीं भी जिक्र आचार्य जी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया। इसके सिलसिले में एक बात यह भी है कि आगरा यूनिवर्सिटी में हमने उस उसूल को माना कि गवर्नर हमारा चांसलर हो, इलाहाबाद में भी माना। तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी के नाते भी मैं समझता हूं कि हमें यहां भी मान लेना चाहिये कि गवर्नर ही चांसलर हो।

इस सिलसिले में श्रीमन्, बहुत सी बातें यह भी कही गयीं कि अगर चांसलर को चुन कर हम भेजेंगे तो आटोनामी के बारे में जो शिकायतें आये दिन होती रहती हैं वे खत्म हो जायंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि अब तक जब ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में थी तब तो गवर्नर ही चांसलर होता था और किसी ने शिकायत नहीं की कि गवर्नर के चांसलर होने से यूनिवर्सिटी की आटोनामी खत्म हो गई है। तो आज के जनतंत्र युग में आटोनोमी को क्या अन्देशा हो सकता है जब कि हमारे देश का कोई बड़ा व्यक्ति ही हमारा गवर्नर होता है? उपाध्याय जी ने यह भी कहा कि एक तरफ़ तो गुप्ता जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ सीखा टीचर्स के चरणों में बैठ कर सीखा और मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो विधेयक अब पास किया जा रहा है उससे तमाम प्रेस्टीज टीचर्स की खत्म हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आया कि टीचर्स की प्रेस्टीज इस बिल से कहां खत्म हो गई? मैं इन चन्द शब्दों के साथ कहना चाहूंगा उपाध्याय जी से कि कम से कम चांसलर जैसे व्यक्ति को जिसका पद, जिसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च मानी जाती है, इस चुनाव की दलदल में न घसीटें और अब तक की जो परम्परा रही है, जो प्रथा रही है, उसमें कोई कठिनाई अभी तक हम लोगों के सामने पेश नहीं हुई, तो उसी पद्धति को वह कायम रखें और गवर्नर ही चांसलर हो, इसी पद्धति को अपनायें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने रखा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं । जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है यहां पर चांसलर करीब-करीब हर एक यूनिवर्सिटी का गवर्नर ही होता रहा है। इसके अलावा चान्सलर यूनिवर्सिटी के अन्दर सब से प्रमुख पुरुष है। यह उचित मालूम होता है कि जो सब में प्रमुख हो वह चुनाव के दलदल में, कीचड़ में न फंसे। एलेक्शन में कितनी गन्दगी होती है, कितना दलदल होता है उससे हम सभी परिचित हैं। एलेक्शन के लिये भिन्न-भिन्न आदमियों के पास जाना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा उस कोर्ट में, और ५० जो ग्रेजुएट्स चुन कर आयेंगे उनको मिला कर २०० से अधिक व्यक्ति होंगे। इनको अप्राच करने के लिये काफी सिरपच्ची करनी पड़ती है। जो बहुत बढ़िया पुरुष होते हैं वह कभी यह पसन्द नहीं करते कि हम एलेक्टर्स के पास जावें और उनसे वोट मांगें। तो इन चुनावों में अच्छे व्यक्ति नहीं पड़ा करते हैं और अगर पड़ते हैं तो उनके जो मददगार होते हैं उनका कुछ लिहाज करना पड़ता है। हम यह चाहते हैं कि जो कुलपति हो वह इतना ऊंचा हो कि उसको न किसी का लिहाज हो और न किसी की परवाह। परन्तु वह अपने कर्त्तव्य की ओर रह कर यूनिवर्सिटी का ध्यान रखे, ऐसा पुरुष होना चाहिये। इस एलेक्शन में काफी खराबियां हैं। जो सबमें प्रमुख पुरुष यूनिवर्सिटी में है उसके लिये यह एलेक्शन होना कभी भी उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में और चन्द रिपोर्टें हुई हैं जो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट है और मूथम कमेटी की रिपोर्ट है उनमें उन्होंने कभी नहीं रखा है कि चांसलर का चुनाव एक एलेक्शन से हो। हमारा जो अनुभव है उससे भी यह प्रतीत होता है और जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं उनका अनुभव भी यह बतलाता है कि यह जो सब से प्रमुख व्यक्ति है उसको एलेक्शन के कीचड़ में नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये यह जो प्रणाली उपाध्याय जी ने रखी है, वह किसी तरह से भी उचित नहीं है। इसलिये मैं इस प्रणाली का विरोध करता हूं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—एकाध भाषण अभी और हो जाने चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। अभी माननीय डाक्टर सीताराम जी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के उदाहरण दिये और रतनलाल जैन जी ने भी विरोध करते हुये बतलाया कि जिस एलेक्शन की कमी करना चाहते हैं विश्वविद्यालय से, यदि हम इस संशोधन को मान लेंगे तो एलेक्शन और बढ़ेगा और एक कठिनाई पैदा हो जायगी। जहां तक चांसलर का सवाल है उसके सम्बन्ध में सर राधाकृष्णन् जी की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है –

"In most Provincial Universities the Governor of the Province is ex-officio Chancellor. This arrangement has worked well."

उनका कहना है कि जितनी भी हमारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं वहां जो गवर्नर होता है वह चांसलर रहता है और यह तरीका बहुत ही अच्छा कारगर हुआ है। इसी संबंध में हमारे सदन में मूथम कमेटी की बड़ी चर्चा की जाती है। अगर उस रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भी इसी सिफारिश को माना गया है कि जो प्रदेश का गवर्नर हो वही चांसलर होना चाहिये। उसमें स्पष्ट लिखा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :–

"Upon the whole we are of the view that the Governor should continue to be Chancellor of the University. (i) Governors are likely to be men of broad outlook and with a wide experience of public affairs extending beyond the confines of a single State. (ii) A Chancellor who is also Governor will be an invaluable link between the University and the Government, and in so far as he is also Chancellor of other Universities in the State between all such Universities. (iii) The alternative of an elected Chancellor gives rise to a number of difficult problems."

अगर हम एलेक्शन का तरीका मानें तो बड़ी कठिनाइयां उसमें पैदा होंगी यह भी मूथम कमेटी ने इशारा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारा गवर्नर है वही चांसलर होना चाहिये क्योंकि वह गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का एक लिंक होगा। उसका इतना तजुर्बा होगा कि जिस से यूनिवर्सिटीज भी लाभ उठा सकती हैं। मान लीजिए हमारे गवर्नर अगर चांसलर नहीं रहते तो जो स्टेच्यूट्स हैं, आर्डिनेंसेज हैं, जिन पर कि उसका एसेंट मिलना जरूरी है, अगर एलेक्शन का तरीका रहेगा तो वह लिंक खत्म हो जायगा। जहां तक एलेक्टेड चांसलर का सवाल है जो गवर्नर है, वह एक तरह से एलेक्टेड ही है क्योंकि गवर्नर का एप्वाइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसीडेंट करता है और प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के एलेक्टेड मेम्बर चुनते हैं जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो गवर्नर भी एक तरह से जनता से ही एलेक्ट हो कर आते हैं क्योंकि वह जनता के द्वारा चुने हुये मेम्बर आफ पार्लियामेंट और उनके द्वारा बनाये गये प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर बनाये जाते हैं। इसलिये अगर इस संशोधन को मान लेंगे तो यह बड़ा घातक सिद्ध होगा। हां, अगर उपाध्याय जी एक बात रखते कि चांसलर की जगह एक कमेटी ऐसी बना दी जाय जिसमें हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, या उसका नामिनी या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या उसका नामिनी और एक गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव हो, तो जितने भी झगड़े यूनिवर्सिटीज में हों, उनको तय किया जा सकेगा। तो ऐसे संशोधन का मैं अवश्य समर्थन करता, विचार किया जा सकता था। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि संशोधनों के विषय में विरोधी दल के नेता और उनके साथी भी एक मत नहीं हैं तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि यह तो फ्रीडम आफ थाट है और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है। इसके माने नहीं हैं कि सब एक से मत के ही हो जायं। तो उनकी यह दलील हल्की सी लगी। लेकिन आन दी होल उपाध्याय जी का जो संशोधन है वह अगर मान लिया जायगा तो बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मदन मोहन जी ने रखा है, उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसका यह भी एक कारण है जैसा कि मेरे मित्रों ने बतलाया कि चांसलर गवर्नर को रहना जरूरी है तो उसके साथ मैं यहां यह भी जोड़ देना चाहता हूं कि चूंकि हमारे प्रान्त की लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, वह हेडक्वार्टर पर पड़ती है और यहां हमारे राज्यपाल रहते हैं तो यह एक जरूरी बात हो जाती है कि चाहे और यूनिवर्सिटियों में गवर्नर चांसलर न हों लेकिन लखनऊ के विश्वविद्यालय के लिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि यहां के गवर्नर का चांसलर होना अनिवार्य है। मैं यह भी समझता हूं जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि चूंकि गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता है और उनका कार्य निष्पक्षता से होता है इसलिये अगर गवर्नर के बजाय दूसरा आदमी रखें तो वह ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। यह प्रथा भले ही अंग्रेजों की चलाई हुई हो लेकिन अगर कोई चीज अच्छी हो तो उसे मान लेना चाहिये। यदि हम किसी को राज्यपाल बनाते हैं और उनमें विश्वास करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि उनको बदलें और खास कर लखनऊ के लिये। हां, अगर दूसरी जगह राज्यपाल उस भार को न सम्हाल सकें तो दूसरी बात है। वहां भले ही जैसा कि हमारे नारायण दत्त जी ने कहा कि चीफ जज को कर दिया जाय, वह दूसरी बात है।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदन-मोहन उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने जो बहस सुनी है उसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि चांसलर साहब जो हों, उनको किसी चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिये। पहले तो मुझे अपने दोस्तों में यह भ्रांति मालूम होती है कि वह चुनाव को दलदल कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। इस कीचड़ और दलदल में रोज ही कुश्ती करते हैं और एक दूसरे को पछाड़ते हैं और पूरे दंगल के साथ दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि कौन सब से बहादुर रहा और जो इस दंगल का सब से बहादुर आदमी है वह सारे हिन्दुस्तान का निर्माता बनता है। मैं सब से पहले अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने दिल से इस चीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिह]

को निकाल दें कि चुनाव कीचड़ है, दलदल है और इसमें किसी भले आदमी को नहीं जाना चाहिये। मैं इसे बड़ा दुर्भाग्य समझता हूं कि चुनाव को इस तरह से एक दलदल या कीचड़ समझा जाय।

मैं यूनिवर्सिटी विधेयक के संबंध में कुछ और ज्यादा जानता नहीं हूं और मैं इसकी बहुत ज्यादा बारीकी में जा नहीं सकता। लेकिन सुनते-सुनते मोटी बात मेरी समझ में आयी है कि अगर गवर्नर साहब को किसी और प्रत्यक्ष चुनाव में आने का अवसर न मिलता हो तो उनको अपनी लोकप्रियता और कारगुजारी और अपने बारे में भी कुछ सोचने समझने का अवसर मिला करे और इस जनतांत्रिक युग में सब से अच्छी कसौटी यही है और लोग सोचते हैं अपने बारे में कि इस तरह का मौका आ जाय तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि वह बहुत ही थोड़े से संभ्रांत लोगों में, मुट्ठी भर लोगों में आयेंगे और उनकी कारगुजारी और लोकप्रियता का इम्तहान होगा और उनको फिर एक सबक मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी कसौटी पर उतरना किसी भले आदमी का ही काम है और बुरे आदमी तो इससे हमेशा भागा ही करते हैं। जो समझते हैं कि हमने कुकर्म किया है वह इस द्वार में नहीं जाते हैं जिसमें फंसने का डर दिखता हो। हम लोगों के यहां गया में पिंडदान दिया जाता है। वहां एक दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने अपनी जिन्दगी में कोई गड़बड़ी की होगी वह वहां फंस जाता है इसलिये जिनके मन में चोर रहता है वह वहां नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मोटे आदमी तो कोई वहां नहीं जाते होंगे।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मोटी अक्लवाले नहीं जा सकते हैं। जो समझते हैं कि उसमें कोई खतरा नहीं है वह चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नर महोदय इस कसौटी में बोध गया के दरवाजे में जाने से घबड़ायेंगे नहीं। मैं अपने दोस्त माननीय मिश्र जी और वीरेन्द्र शाह जी से कहूंगा कि वह मोटे होने से घबरायें नहीं। मैं समझता हूं कि अवसर मिल सकता है, मौका मिल सकता है, दूसरे लोगों को भी जो अपने भाग्य विधाता को चुनने में अपनी राय का इजहार कर सकें और इसमें भी बहुत से लोगों से कहने की गुंजायश नहीं है, बहुत दूर तक मोटर दौड़ाने की गुंजायश नहीं है क्योंकि मदन मोहन उपाध्याय जी कहते हैं कि उनमें ही चुनाव होगा कि कोर्ट के लोग होंगे और ग्रेजुएट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और यहां लखनऊ में ही चुनाव होगा। मैं वीरेन्द्रशाह जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लखनऊ की तहजीब और संस्कृति सारे भारतवर्ष की तहजीब और संस्कृति से कैसे शेखी मारूं, बहुत ऊंची समझी जाती है। (एक आवाज--देवरिया की भी ऊंची समझी जाती है।) जी हां, देवरिया भी तो लखनऊ के पैरों के नीचे है। उसकी मैं भी इज्जत करता हूं और उसको इज्जत की निगाह से देखता हूं। लखनऊ में ऐसी बात की जाय। सारे हिन्दुस्तान में होती हो या न होती हो। यह मुनासिब है कि यहां से होनी चाहिये। बहुत सी चीजों में लखनऊ अगुआ बना हुआ है तो अगर इसमें भी अगुआ बने तो क्या हर्ज है? हमको बहुत सी बातों में फ़ख्र है जिनको हम यहां गिनाना नहीं चाहते क्योंकि उसके गिनाने से दूसरे लोगों को डाह हो सकती है। लेकिन इसमें भी हमको एक फ़ख्र हासिल हो सकता है कि हमारी राजधानी की यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन कर आता है। हमारे पड़ोसी और हमारे मित्र डाक्टर साहब ने विदेशों का, जर्मनी, इग्लैंड और-और जगहों का नाम लिया। मैं यहां की यूनिवर्सिटी की बाबत नहीं जानता हूं वहां की बात मैं क्या कहूं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि और देशों का अनुकरण अच्छी चीजों में करना चाहये, कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने भी अनुकरण किया था कुछ चीजों का जैसे कि उन्होंने कई जगह कहा था कि टाल्सटाय आदि से कुछ बातें सीखी थीं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, दूसरी जगहों से भी हम सीखें। लेकिन कुछ हम भी ऐसे आदर्श स्थापित करें कि दूसरे भी हमसे सीखें। यह कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह जो चीज होती है बिल्कुल उसी को हम करते चले

जायं। डाक्टर साहब ने कहा कि मदनमोहन जी ने गुप्ताजी की कुछ आलोचना कर दी थी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मदनमोहन जी ने तो बड़ी प्रशंसा की थी और प्रशंसा के स्थान पर हम यह चाहते हैं कि गुप्ता जी इसको स्वीकार कर लें। उनकी सारी बुद्धिमत्ता रहते हुये लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर कुछ लोगों को अपने चांसलर को चुनने का मौका दे दिया जाय तो मैं नहीं उम्मीद करता हू कि गुप्ता जी के जीवन में वह काम ही खराब हो जायगा अभी तो मैं समझता हूं कि गुप्ता जी बहुत दीर्घजीवी होंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मदन मोहन जी के इस संशोधन को गुप्ता जी स्वीकार करें ताकि हम एक नया आदर्श यहां पर स्थापित कर सकें।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस और दुःख है कि माननीय डाक्टर सीताराम जी ने या तो मेरा भाषण सुना नहीं या समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने न मालूम किस वजह से माननीय गुप्ता जी की यूनिवर्सिटी की सेवाओं की चर्चा यहां पर की, यह मेरी समझ में नहीं आया? यह मैं खुद कहता हूं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे माननीय गुप्ता जी के व्यक्तित्व पर कोई आक्षेप हुआ हो। मैं तो रोज कहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से उनका इतने दिनों का सम्पर्क है और उनकी डामिनेटिंग पर्सनालिटी के कारण ही वहां की एक्जीक्युटिव कौंसिल के अन्दर आज यूनिवर्सिटी दिखायी दे रही है, इसमें कोई आक्षेप का सवाल नहीं है। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल को भी गुप्ता जी यहां लाए होते तो इतनी कटुता इस सदन के अन्दर न आयी होती। यहां जो बात वह कहते हैं हम भी वही कहते हैं कि प्रशंसा जो उन्होंने टीचर्स की की थी उसे कार्यरूप में परिणित करें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि डाक्टर साहब कुछ और समझाने की कोशिश करते।

उन्होंने १०–५ यूनिवर्सिटीज के नाम ले लिये, ब्रिस्टल, लिवरपूल, आक्सफ़ोर्ड, फ्रान्स, जर्मनी, रशा सब के नाम ले लिये। इनके नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? कहीं का पढ़ते कि उसमें क्या है तो पता चलता। मुझे दुःख है अध्यक्ष महोदय, इस बात का कि माननीय डाक्टर सीताराम जी ने ऐसी बातें कीं। कौन नहीं कहता कि माननीय गुप्ता जी ने बड़ी सेवायें कीं? लेकिन अगर हम कल यह प्रपोजल रखें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम गुप्ता यूनिवर्सिटी रख दिया जाय तो यही डाक्टर साहब विरोध करेंगे। उनके भाषण को सुन कर, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख हुआ। वह मुझसे कहने लगे कि मैंने गुप्ता जी पर आक्षेप किया, मैंने गुप्ता जी पर कोई आक्षेप करने की कोशिश नहीं की और न करूंगा। जहां तक माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि मदनमोहन जी का यह प्रस्ताव सीरियस नहीं है, क्योंकि वे हंसते रहते हैं मुझे यह सुन कर बहुत दुःख हुआ। जब मैं उन्हें गाली दूं तभी वह समझते कि मेरा प्रस्ताव बड़ा सीरियस है, या तमाम किताबें खोल कर रख देता? मूथम कमेटी ने यह कहा है, सैडलर कमीशन ने यह कहा है, नरेन्द्र देव कमेटी ने यह कहा है। चूंकि माननीय नरेन्द्रदेव जी ने यह बात कह दी इसलिये मैं भी मानता हूं और चूंकि यह बात नहीं कही इसलिये नहीं मानता हूं। अगर आचार्य नरेन्द्रदेव शाम को खाना न खायें तो मैं न खाऊं। मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, अपने दिमाग से काम लेता हूं, किसी दूसरे के दिमाग़ से काम नहीं करता हूं। किताबों की बातें हमसे कही जा रही ह कि मूथम की राय तो यह नहीं थी। माननीय नेकराम शर्मा जी ने एक नयी बात और कह डाली कि इतने बड़े पद के लिये चुनाव? वह हमें सिखा रहे हैं? खुद राष्ट्रपति का चुनाव उनके हाथों हुआ, जिनको गरीब जनता ने छांटा। आज वह कहते हैं कि यह तरीका ही गलत है कि इतने बड़े पद के लिये चुनाव हो, यह कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का होता है जब लोग अपने दिमाग़ से काम नहीं करते और मुझसे शिकायत हो रही है कि मैं पढ़ता नहीं हूं। मैं पढ़ कर क्या करूं? मेरा दिमाग ख़राब हो जायगा। माननीय आचार्य नरेन्द्र

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

देव जी की कमेटी में यह कहा, राधाकृष्णन् के कमीशन ने यह कहा, मूथम ने यह कहा, सेडलर ने यह कहा, बहुत से माननीय सदस्यों से यह सुना और उनके कोटेशंस भी सुने। उससे तत्व निकालने की कोशिश की। शायद यह चीज ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे संशोधन के विरुद्ध कोई आर्गूमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ यह कहा गया कि हेड का चुनाव नहीं होना चाहिये। लेकिन जब आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यह क्यों नहीं हो सकता है? कौन सी ऐसी भारी बात है?

फिर नवल किशोर जी ने कहा कि डबल चुनाव हो जाता है। यहां डबल ही चुनाव हुआ। पहले हमको जनता ने छांटा फिर हमने राष्ट्रपति को छांटा। पहले प्रोफेसर और डीन आफ फैकल्टी छांटे जाते हैं फिर वही कोर्ट में आते हैं। पहले सेलेक्शन कमेटी प्रोफेसर या डीन को छांटेगी, जब वह वहां से छंट जाते हैं तब वह कोर्ट में आते हैं। पहले यहां की मेम्बरी का चुनाव होता है, फिर मिनिस्टर बनाया जाता है कि कौन एजूकेशन मिनिस्टर होगा और कौन पुलिस मिनिस्टर होगा, फिर वह कोर्ट के अन्दर बैठता है। यह तो तीन-तीन बार चुनाव हो गया। आज देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको बे पढ़े-लिखे लोगों ने छांट कर भेज रखा है। लेकिन पढ़े-लिखे लोग जो शिक्षा का काम करते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे पढ़े-लिखे लोग विद्वानों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि चूंकि गुप्ता जी ने कह दिया, चूंकि गवर्नमेंट ने एक कागज रख दिया। अगर गुप्ता जी यह कह दें कि इस वक्त रात हो रही है तो सारे मेम्बर कह देंगे कि रात है? हम उनमें नहीं हैं। हम तो हर हालत में दिन बतायेंगे चाहे हमें लड़ना पड़े। मेरी समझ में यह बातें नहीं आयीं। जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा, क्या मैंने कहीं यह भी लिख रखा है कि गवर्नर महोदय न चुने जायं? मैं उनकी गवर्नर की हैसियत से ही नहीं माननीय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी की हैसियत से भी इज्जत करता हूं। अगर वह इस पद के योग्य हैं तो उनको चांसलर क्यों न बना दिया जाय? जो हमारे गवर्नर हैं, हमारी स्टेट के सब से बड़े हेड हैं और उनकी इज्जत सब करते हैं। गुप्ता जी अपनी सारी ताकत लगा देंगे। जितने टीचर्स उनके काबू के होंगे उन सब के वोट दिलायेंगे यह आप इत्मीनान रखिये। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा गुप्ता जी लखनऊ में रहे हैं और उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी की जितनी सेवा की इसमें कोई छिपी बात नहीं है, इसे हम डिनाई नहीं करते। हम गुप्ता जी से कहना चाहते हैं कि कोई मिसाल तो दीजिये। अगर गुप्ता जी चांसलर के चुनाव के लिये लड़ें तो कौन विरोध करता है, कोई नहीं कर सकता। गुप्ता जी की सेवाओं को कौन नहीं जानता? हम तो साफ बात करते हैं। जो गलत है उसे गलत कहते हैं और जो सही है उसे सही कहते हैं और जो तारीफ का काम है उसकी तारीफ करते हैं। देश की आजादी में हम व गुप्ता जी साथ-साथ भाग लिये हैं। उनके गट्स को मैं जानता हूं कि गुप्ता जी ने क्या-क्या सेवायें की हैं। कहा जाता है कि मदन मोहन जी ने बड़ा भारी आक्षेप किया, कौन सा आक्षेप किया है? खैर, बहस तो बहुत हो चुकी है लेकिन एक भी आर्ग्युमेंट मेरे आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ़ पेश नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को जरूर स्वीकार करेंगे।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, इस धारा के विषय में कई लोगों ने अपने-अपने मत प्रकट किये और माननीय उपाध्याय जी ने भी अपना मत प्रकट कर दिया। मुझे खेद इस बात का है कि आज उनके नेता की अनुपस्थिति में उन्होंने उस गद्दी पर बैठ कर वह भाषण कर दिया जैसा कि १२ बजे के बाद जब कभी भाषण होता है और जो दाढ़ी के साथ १२ बजे का सम्बन्ध रहता है। मैं समझता हूं कि उपाध्याय जी कम से कम उस दाढ़ी की १२ बजे वाली बात की परम्परा को इस सदन में दोहरायेंगे नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार से उनके संशोधन के विषय में आलोचना करूं। कई भाइयों ने संशोधन के पीछे जो कमियां छिपी हुई हैं उनका जिक्र सदन में कर दिया है। माननीय उपाध्याय जी चाहते हैं कि तमाम कोर्ट के सदस्य और ५० रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स चांसलर का चुनाव करें। कदाचित् वह भूल जाते हैं कि कोर्ट में

तमाम रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के प्रतिनिधि स्वयं बैठते हैं। तो अब इस संशोधन के द्वारा वे और एक संशोधन ५० चुने हुये प्रतिनिधियों को कोर्ट में रखना चाहते हैं यानी एक तीसरी संस्था या इंस्टीट्यूशन वह बनाना चाहते हैं पूर्व इसके कि यह कोर्ट या ५० प्रतिनिधि बैठ कर चांसलर महोदय की नियुक्ति करें।

मैं यह समझता हूं कि यह सारा विधेयक जो हमने तैयार किया है वह तो इस बुनियाद पर किया गया है कि चुनाव में जितनी कमी कर सकें उतनी कमी हमें करनी चाहिये क्योंकि चुनावों का विश्वविद्यालय में जो तजुर्बा कई जगह पर हमें हुआ है, वह ऐसा है जो कटु है, जो विश्वविद्यालय की परम्परा और उसके शुद्ध और सत्य वातावरण के विरुद्ध है, जो कि विश्वविद्यालय में सदा रहना चाहिये और जिसके प्रसार में प्रत्येक विश्व-विद्यालय के हितैषी को काम करना चाहिये। सब से बड़े विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता को इस प्रकार के चुनाव के झमेले में डाला जाय यह दूरदर्शिता की बात नहीं है, मैं इसे अदूरदर्शिता की बात कहूंगा। थोड़ा बहुत जो मेरा तजुर्बा रहा है और उन बड़े बड़े विशेषज्ञों और पंडितों का जो वर्षों से विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। अगर उनके तजुर्बे से हम फायदा उठाना चाहते हैं, उनकी जानकारी से और उनके अनुभव से, तो हमें चांसलर महोदय को इस चुनाव के झमेले में नहीं डालना चाहिये जब कि हम चांसलर महोदय को वे अधिकार दे रहे हैं जो कि विदेशों के विश्वविद्यालयों में क्राउन के द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। मैं इस सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि जहां तक इंगलैन्ड के विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है वहां पर स्टैट्यूट विश्वविद्यालय बनाते हैं। उनको विटो करने का अधिकार क्राउन को रहता है यानी वहीं की सरकार को रहता है। परन्तु हमने यहां वह अधिकार प्रदेश की सरकार को प्रदान नहीं किया है। वह उस चांसलर महोदय को है जोकि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता है और किसी दल से सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिये हमने ऐसे व्यक्ति को चांसलर नियुक्त करने की सिफारिश की है जो किसी दल से सम्बन्ध न रखता हो और जिसको सारे यूनिवर्सिटी के लेजिस्लेशन को यूनिवर्सिटी की मर्यादा के तहत में विटो करने का अधिकार रहे। क्या आप चाहते हैं कि यह जो अधिकार विदेशों में दो अथारिटीज में बंटा हुआ है, उस विटो के अधिकार को इस सरकार को दे दिया जाय ? यदि आप चाहते हैं कि इस सरकार को दे दिया जाय तो आप इस बात को तय कर सकते हैं कि चांसलर दूसरा व्यक्ति हो और विटो की पावर सरकार को हो। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो कि विश्वविद्यालय की आटोनामी में विश्वास करता है, वह इस बात की मंजूरी प्रदान नहीं कर सकता कि सरकार विटो की पावर को अपने हाथ में रखे। जैसा कि मैंने अभी बताया चांसलर को दो प्रकार के अधिकार होते हैं। एक अधिकार वह होता है कि जो लेजिस्लेशन विश्वविद्यालय बनाता है, विश्वविद्यालय की मर्यादा के तहत में उसको विटो करने का उसको अधिकार रहता है। दूसरा अधिकार उसको उन निर्णयों पर रहता है जो मौजूदा अधिनियम के अनुसार पूरे करने होते हैं। जब वाइस चांसलर की नियुक्ति या ट्रेजरार की नियुक्ति करते हैं तो कार्यकारिणी की सिफारिश के द्वारा उनकी नियुक्ति करते हैं और जब कभी सेलेक्शन कमेटी और एक्जिक्यूटिव में कोई मतभेद होता है तो उस मसले पर अपना निर्णय वह देते हैं। यदि कुछ व्यक्ति नामजद होते हैं विभिन्न विश्वविद्यालय की कमेटी के ऊपर, कार्यकारिणी के ऊपर या कोर्ट के ऊपर, और जो लेजिस्लेशन विश्वविद्यालय बनाता है, कायदे कानून आदि, उन सब को विटो करने का अधिकार चांसलर को रहता है। क्या आप चाहते हैं इन अधिकारों को, जो कि आज किसी चांसलर को दोनों तरह के अधिकार प्राप्त हैं, वह दो व्यक्तियों में विभाजित कर दिये जायं ? यदि आप दो व्यक्तियों में विभाजित नहीं करना चाहते हैं तो बुद्धिमत्ता यही है कि ऐसे व्यक्ति को जो नजदीक रहता है जो प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों से चांसलर के रूप में सम्बन्ध रखता है, हम वह सारे अधिकार ऐसे व्यक्ति को दें जो सारे अधिकारों को बरतता हुआ जो दिक्कत विश्वविद्यालयों की हो, जो स्टेट्यूट एक विश्वविद्यालय बनाता है, दूसरे विश्वविद्यालय बनाते हैं, उनमें सामन्जस्य लाकर उनको सही सलाह प्रदान कर सके। अगर आपने एक चांसलर एक व्यक्ति को एक विश्वविद्यालय का बनाया और दूसरे विश्वविद्यालय का दूसरे व्यक्ति को बनाया तो जो स्टेट्यूट विश्वविद्यालय बनाता है और उसमें विश्वविद्यालयों में आपसी सम्बन्ध रहना चाहिये उसमें कुछ

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सामन्जस्य नहीं रहेगा। एक व्यक्ति इलाहाबाद में रहेगा और एक व्यक्ति लखनऊ में रहेगा। एक दूसरे का कोई सामन्जस्य नहीं होगा। उससे विश्वविद्यालय जो नियम बनाते हैं उनमें सामन्जस्य लाने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि एक ही व्यक्ति को यह दोनों प्रकार का अधिकार प्रदान किया जाय। इसके साथ-साथ जो गवर्नर किसी दल का नहीं होता है वह इस अधिकार को बर्ते।

मैंने खुद भाषण देते हुये इस बात की घोषणा की थी कि जहां तक इस प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है इस मामले में वह अपने चांसलर को कोई सुझाव नहीं रखना चाहती है और न उसकी स्वतंत्रता पर, उसके कार्य में और उसके अधिकार बरतने में कोई रुकावट डालना चाहती है। वह चाहती है कि चांसलर महोदय अपने अधिकारों को स्वतः और स्वतंत्रतापूर्वक बरतें सिवाय जिन समस्याओं का रुपये पैसे से सम्बन्ध है। तो मैं नहीं समझता कि एक दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करा के कैसे विश्वविद्यालयों के संचालन में वह सहूलियत पैदा करेंगे? मैं उपाध्याय जी की इस राय से सहमत नहीं हूं कि हम चुनाव में विश्वविद्यालयों के विद्वानों को गलती करने का मौका दें। चुनाव में हमने बहुत सा मौका दिया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत अनुभव हम लोगों ने प्राप्त किया है उनसे हम उन गलतियों को दोहराने की चेष्टा नहीं कर सकते। समय आयेगा कि जब उपाध्याय जी इधर बैठेंगे और वह अपने अनुभव को भुला देने की चेष्टा करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारा कर्तव्य है कि हम विश्वविद्यालय के हित की बातें यहां रखें। मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि चांसलर महोदय को चुनाव के पचड़े में डाला जाय। विश्वविद्यालयों को चुनावों की उन दिक्कतों और दोषों से, जो कि राजनैतिक क्षेत्र में हम रोजमर्रा देखते हैं, बचाना चाहिये और इसी प्रकार हम वहां शुद्ध वातावरण पैदा कर सकेंगे जिसके पैदा करने की आज नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकार के किसी संशोधन को, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के पंडितों ने भी जिक्र नहीं किया है। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने और अध्यापकों ने अपनी राय दी है, तो फिर नये डाक्टर की राय हम लेना आवश्यक नहीं समझते। मदनमोहन जी और दूसरे साथी जो राय देते हैं वह अनुभव की राय नहीं है। वह उन विद्वानों की राय नहीं जिनके तहत में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। विश्वविद्यालय के मामलों में निर्णय लेने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि पूरी आदर्शवादिता से हम काम न लें परन्तु अनुभव से भी काम लें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्याय जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Chancellor of the University shall be elected in a joint session of the Court and fifty representatives of the registered graduates of the University of at least three years' standing."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Chief Justice of Uttar Pradesh High Court shall be the Chancellor."

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि कोई "उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट" इस प्रदेश में नहीं है। इसलिये यह संशोधन आउट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—यह सही बात है। इसे जरा दुरुस्त कर दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, वैसे तो आपका ऐतराज शाब्दिक था लेकिन मैंने इस सम्बन्ध में बहुत देखने की चेष्टा की और जैसा मैंने सब जगहों पर पाया उसके अनुसार ही इसमें रख दिया। आप जरा उसको दिखवा लें तो अधिक उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—आप बोलना जारी रक्खें यह चीज आफिस से भी करेक्ट हो सकती है।

† "Uttar Pradesh" के स्थान पर "Allahabad" होगा।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुये।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, प्रश्न यह है कि चांसलर के पद पर गवर्नर को सुशोभित होना चाहिये या नहीं। मेरा संशोधन यह है कि गवर्नर के बजाय चीफ जस्टिस को चांसलर होना चाहिये। इसमें सबसे पहला ऐतराज तो यह है कि विधान के अनुसार गवर्नर चांसलर हो ही नहीं सकता। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १५४ (२) (ए) की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि—

154 (2) (*a*) Nothing in this article shall be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority;

इस धारा के अनुसार हम गवर्नर को कोई भी ऐसा अधिकार किसी कानून के अनुसार नहीं दे सकते जो किसी दूसरी आथारिटी के ऊपर मुनहसिर हो। इसका मतलब है कि चांसलर को कोई और अथारिटी का ओहदा नहीं दिया जा सकता। जब विधान इजाजत नहीं देता तो गवर्नर, जिसके पास स्टेट की एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कोई दूसरा ओहदा नहीं दिया जा सकता। अगर यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट चला जाय तो मैं समझता हूं कि बाद में एतराज हो सकता है। इसलिये हमें अभी से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि कोई ऐसी परिस्थिति न आये जैसी की रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के बारे में आयी और उस समय कहें कि अब गवर्नर को चांसलर नहीं रख सकते इसलिये अब और किसी को देखना चाहिये। अतः हमें भी अभी से वही व्यवस्था करनी चाहिये।

*समय—१ बजकर १५ मिनट

इसके अतिरिक्त एक और भी सिद्धांत का प्रश्न इस सदन में उठता है और वह यह कि यह सर्वमान्य है कि एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलहदा रखना चाहिये। कई बार इस सदन में भी माननीय मंत्रियों द्वारा भी इस प्रकार के उद्गार प्रकट किये गये हैं कि न्याय के काम को और शासन व्यवस्था के काम को अलहदा रखना चाहिये, इस बात को सभी मानते हैं। इसीलिये आपने देखा होगा कि तमाम ऐडमिनिस्ट्रेशन में जुडीशियल आफिसर्स की नियुक्ति की जा रही है। राज्य सरकार भी कर रही है और नये-नये मजिस्ट्रेटों की पोस्ट्स बनायी जा रही हैं, ताकि एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलहदा रक्खा जा सके लेकिन हम यहां पर एक बात भूल जाते हैं कि गवर्नर हमारी स्टेट का ऐक्जीक्यूटिव हेड है, इसलिये वह जुडीशियल हेड नहीं हो सकता। उसको इस विधान के अनुसार जुडीशियल पावर्स नहीं होनी चाहिये। क्योंकि यूनिवर्सिटी के विधान में इंटरप्रिटेशन में और तमाम बातों में चांसलर का हाथ होगा। जब यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स के ऊपर डिफरेंसेज आफ ओपीनियन होंगी तब वह यूनिवर्सिटी में न्यायाधिकारी का काम करेगा और वह एक जुडीशियल फंक्शन है। इस प्रकार से एक एक्जीक्यूटिव हेड को अगर हम जुडीशियल हेड बना देते हैं तो वह ठीक नहीं होगा। हम गवर्नर को इस बात का मौका न दें कि वह जुडीशियल मेटर्स का इंटरप्रिटेशन करे, यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स और यूनिवर्सिटी के अधिनियम को इंटरप्रेट करे। इसलिये इस प्रकार के फंक्शन बजाय इसके कि गवर्नर महोदय को दिये जायं, चीफ जस्टिस को दिये जाने चाहिये। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वहां की यूनिवर्सिटी के चांसलर के फैसले के खिलाफ डा० ईश्वरी प्रसाद ने रिट पिटीशन दाखिल की है और वह मामला अभी तक चल रहा है। इससे भी स्पष्ट होता है कि चांसलर के जुडीशियरी फंक्शन को गवर्नर के एक्जीक्यूटिव अथारिटी के द्वारा कार्यान्वित करना उपयुक्त नहीं है और यह गवर्नर की एक प्रकार से जो वैधानिक मर्यादा है (एक्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करने की) उसके भी खिलाफ है।

---

† श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यालय ने ठीक किया।

* सदन जवपान के लिये अस्थगित नहीं हुआ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तीसरी बात यह है कि जैसा माननीय रतनलाल जैन जी ने कहा कि चांसलर को दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिये, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन आप पिछले ६,७ वर्ष के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि गवर्नर आमतौर पर बहुमत दल के सदस्य या उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति ही रहे। इसके अलावा कौन-सा गवर्नर किस दिन मिनिस्टर हो जायगा यह भी पता हमें नहीं चलता। मिसाल के लिये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे लेकिन फिर वे केन्द्र में विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर भी रहे और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो कोई भी पोजीशन गवर्नर की आज की व्यवस्था में नहीं है कि वह निष्पक्ष या निर्दलीय कहा जा सके। वह आज गवर्नर है, कल मिनिस्टर हो सकता है। श्री जयरामदास दौलतराम ही मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर केन्द्र में रहे और बाद को आसाम के गवर्नर हो गये। जो आज हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं, वे ही कांग्रेस मिनिस्ट्री में केन्द्र में मिनिस्टर थे और फिर यहां के गवर्नर हो गये। उसी तरह से डाक्टर कैलासनाथ काटजू बंगाल के गवर्नर थे और फिर वे सेंटर में मिनिस्टर हो गये। तो जब हम देखते हैं कि इस देश की परम्परायें ऐसी बन गयी हैं कि किसी पोस्ट को सेकेरेट नहीं समझा जाता और उसे हम निर्दलीय नहीं बनाना चाहते, उसे अब्रव पार्टी पोलिटिक्स नहीं बनाना चाहते और जब इस फंक्शन को देना चाहते हैं तो गवर्नर के लिये यह कहना कि वह पार्टी पोलिटिक्स के ऊपर उठ जायगा, यह नहीं हो सकता है। जैसा कि मेरे मित्र माननीय रतनलाल जैन ने कहा कि गवर्नर को पार्टीबन्दी से ऊपर उठना होगा और हमको ऐसा व्यक्ति चांसलर के लिये ढूंढना होगा जो पार्टीबन्दी से दूर हो। तो ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस के सिवा और कोई मिल ही नहीं सकता है। चीफ जस्टिस मिनिस्टर भी नहीं हो सकते और उनका जुडीशियल फंक्शन हमेशा रहेगा। इसलिये उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये पार्टी पोलिटिक्स, पावर पोलिटिक्स, पोलिटिकल आइडिओलाजी के इनफ्लुएंस में आये और तब अपना निश्चय किया। उनकी जुडीशियल इंटरप्रिटेशन की भी अथारिटी होगी, स्टेट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन की भी अथारिटी होगी और उनकी जो अथारिटी होगी उसको सभी पक्ष के लोग मानेंगे भी। श्रीमन्, ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस ही हो सकता है। पिछले दो तीन सालों में हमारे देश के बड़े-बड़े विद्वानों की भी, जिनका सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से रहा है, गवर्नर और चांसलर के सम्बन्ध में यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़ा है कि अब जो गवर्नर हो वह चांसलर नहीं रहना चाहिये। पिछले वर्षों में गवर्नर चांसलर का एक अनुचित हस्तक्षेप तमाम विश्वविद्यालयों में बढ़ता जा रहा है और इस सम्बन्ध में डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी और श्रीमती हंसा मेहता जो सागर और बड़ौदा के वाइस-चांसलर हैं, उनकी खुली हुयी लिखित रूप में राय मौजूद है कि चीफ जस्टिस को ही वाइस-चांसलर होना चाहिये। एक निश्चित धारणा इस प्रकार की बनती जा रही है और उसका कारण यह है, मैं एक लाइन में ही इसकी मिसाल दे दूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक के वक्त भी मैंने यह मिसाल दी थी कि जो वर्तमान गवर्नर चांसलर साहब हैं उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे एप्वाइंटमेंट तो रोकवा दिये और कहा कि जब सेलेक्शन कमेटी बनेगी तो वही नियुक्ति करेगी लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ एप्वाइंटमेंट होते रहे, जबकि दोनों के कांस्टीट्यूशन करीब-करीब एक से हैं। इस तरह से गवर्नर चांसलर द्वारा एप्वाइंटमेंट के सिलसिले में दो यूनिवर्सिटियों में डिस्टिंग्विश करना और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बीच में इंटरवेंशन करना ठीक नहीं है। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस तरह का जो एक्जीक्यूटिव पावर का हस्तक्षेप होता है उसको किसी तरह से रोकने की चेष्टा होनी चाहिये। इस तरह से जो सर्वोच्च राज्यसत्ता का प्रभाव है वह वहां सदा बना रहेगा और हम तो चाहते हैं कि चांसलर पद को जो महत्ता है, जो उस पद का महत्व है, वह भी बना रहे। इसलिये मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और मैं समझता हूं कि सदन गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करेगा और वह इस सुनिश्चित निश्चय पर पहुंचेगा कि यहां के चीफ जस्टिस ही चांसलर बनाये जायं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विचार करते समय भी इसी प्रकार का एक संशोधन आया था और उस समय उस पर जो

विचार व्यक्त किये गये थे प्रायः वही विचार इस समय भी व्यक्त किये गये हैं और मैंने उस समय भी इसी माननीय सदन में उस संशोधन का विरोध किया था। मैं समझता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय बिल में इससे अधिक और कोई हानिकारक बात नहीं हो सकती जब हम अपने प्रदेश के सब से प्रधान जूडीशियरी के व्यक्ति को राजनीतिक दलदलों में खींच लायें। इसमें संदेह नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस सबसे निष्पक्ष व्यक्ति हो सकता है परन्तु इसमें भी दो राय नहीं हो सकतीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इतने काम हैं और इतना उत्तरदायित्व है कि उसको इतना समय ही नहीं मिल सकता कि वह इस प्रदेश के ५–५ विश्वविद्यालयों या आगे और भी अधिक बढ़ने वाले विश्वविद्यालयों का चांसलर रहकर उस भार को वहन कर सके। यदि यह संशोधन लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये उचित है तो इलाहाबाद, आगरा आदि दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये भी उचित हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि विरोधी दल के सज्जनों का तर्क स्वीकार किया जाय तो यह मानना होगा कि जितने भी विश्वविद्यालय इस प्रदेश या अन्य प्रदेशों में हैं उनके चांसलर गवर्नर न होकर चांसलर हाईकोर्ट स के चीफ जस्टिस हुआ करें। ऐसे व्यक्ति जिनका सम्बन्ध न्याय से और न्याय प्रणाली से होता है वह इनेगिने होते हैं और उनका जीवन न्याय के मामलों से ही संबंधित होता है और वह लोग प्रशासकीय कामों से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे आदमी से कोई प्रशासकीय कार्य लेना मैं समझता हूं, उचित नहीं हो सकता और दूसरी तरफ जो हमारे गवर्नर होते हैं वह बहुधा इस प्रकार के प्रशासकीय कार्यों में निपुण होते हैं और ऐसे कामों को अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। दूसरे विरोध इस लिये भी है कि चीफ जस्टिस को एक विशेष प्रकार का आदर और सम्मान की भावना से देखा जाता है और उसको अगर विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाया जाय तो उस आदर और सम्मान को ठेस लगेगी और आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या अवस्था होगी। आजकल विद्यार्थी चांसलर के प्रति जो आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं, जो सड़कों पर उन के जलूस निकलते हैं और उनमें विद्यार्थी जिस प्रकार के आदर के भाव व्यक्त करते हैं क्या उस प्रकार के भाव चीफ जस्टिस के प्रति व्यक्त किये जाने को विरोधी दल के सदस्य पसन्द करेंगे? जब कभी कोई ऐसी बात होगी जिसे विद्यार्थी पसन्द नहीं करेंगे उसी समय इस तरह से उनके प्रति भी नारे लगाये जायेंगे और ऐसे शब्द कहे जायेंगे जिस प्रकार लखनऊ और इलाहाबाद की गलियों में विद्यार्थी चिल्लाते हैं कि "मुन्शीशाही नहीं चलेगी।" तो कल को वही यह भी कहेंगे, "चीफ जस्टिसशाही नहीं चलेगी"। इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही न की जाय कि जिससे जो आदर और सम्मान के भाव आज चीफ जस्टिस के प्रति हैं उनको इस तरह से ठेस लगायी जाय। विश्वविद्यालयों का कुलपति होने के लिये प्रदेश के गवर्नर से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी प्रदेश का गवर्नर जो भी होगा वह देश का एक सर्वमान्य व्यक्ति होगा और वह सदैव एक कुशल प्रशासक होगा और वह हर क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति होगा, इसलिये उस पद के लिये गवर्नर से अधिक उपयुक्त और कोई नहीं हो सकता।

विरोधी दल की ओर से जितने भी तर्क दिये गये हैं उनमें कहा गया है कि कुलपति जो होगा वह गवर्नर होने के कारण सरकार की राय से चलेगा। मैं कहता हूं कि प्रथम बात तो यह है कि प्रदेश की सरकार जनता की सरकार है। उसके उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य दोनों हैं कि देश की शिक्षा और दीक्षा से सम्बन्धी मामलों में अपनी एक राय रखे और जो उसके उद्देश्य हों उस दिशा में शिक्षा को प्रसारित करने की चेष्टा करे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शिक्षा में अनुचित हस्तक्षेप करती है। जहां पर सरकार प्रदेश के शासन के लिये जिम्मेदार होती है वहां वह शिक्षा के लिये भी जिम्मेदार है। इसलिये उचित ही है कि प्रदेश की सरकार इस बात को देखे कि शिक्षा उसी उद्देश्य के लिये दी जा रही है या नहीं जो उद्देश्य उसने अपने सामने देश के निर्माण के लिये रखे हैं। ऐसी स्थिति में यही उचित है कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के उच्चाधिकारी, कुलपति वही व्यक्ति हों जो माने हुए प्रशासक हों और प्रत्येक स्थिति में अपने अनुभव से उसका संचालन प्रशासकीय ढंग से कर सकें और उसके लिये गवर्नर से बढ़कर और कौन व्यक्ति हो सकता है? मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनुभव-रहित है और उद्देश्यरहित है। समाज के निर्माण का उद्देश्य सामने रखा जाय तो निश्चित-

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

रूप से विरोधी दल के लोग भी पसन्द करेंगे कि जब उनका शासन हो तब समाज का जो रूप वह चाहते होंगे उसी के अनुरूप शिक्षा को चलना होगा। क्या वह यह नहीं देखेंगे कि शिक्षा उसी के अनुरूप चल रही है या नहीं? मैं समझता हूं कि प्रजा समाजवादी दल और भी इस चीज को देखेगा क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि समाज का जो निर्माण हो वह उनके उद्देश्यों के अनुरूप हो। यदि इस दृष्टिकोण को सामने रखा जाय तो इस से अधिक सुन्दर प्रस्ताव विधेयक में और हो नहीं सकता जिस प्रकार का प्रस्तुत है और यह संशोधन उस उद्देश्य के बिलकुल विरुद्ध है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल अब इस संशोधन को वापस ले लेगा।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक चांसलर का सम्बन्ध है यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद विश्वविद्यालय के अन्दर है और मैं सोचता यह था कि विरोधीदल के सभी सदस्य और विशेषतौर से माननीय नारायणदत्त जी, जिन्होंने इस विषय में काफी अध्ययन किया है और जिनको यूनिवर्सिटी का काफी अनुभव भी है, जब इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे तो कुछ इससे ज्यादा गम्भीरता के साथ विचार करेंगे जितना कि आज उन्होंने किया है। चांसलर के पद पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लाकर बिठा देना एक बड़ी भयंकर भूल होगी। पहला एतराज तो मेरा इस सम्बन्ध में यह है कि जो चाहे जिस जगह पर आप कहें कि इंडिपेंडेंट चांसलर हों या न हों लेकिन यह चीज आवश्यक है कि देश के अन्दर जुडीशियरी इंडिपेंडेंट हो और इसलिये जैसा कि मेरे मित्र महावीर प्रसाद जी ने कहा कि जुडिशियरी को ऐसे स्थानों पर खींचना बहुत उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त माननीय अधिष्ठाता महोदय आप जानते होंगे कि आज विश्वविद्यालयों के अन्दर जैसे कि प्रांत के और भाग में समाज के और अंगों में प्रतिदिन तरह-तरह के रिट्स फाइल हुआ करते हैं या मुकदमे दायर हुआ करते हैं, उसी तरह यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मुकदमे दायर हो सकते हैं, होंगे और हो रहे हैं। यहां तक कि अधिष्ठाता महोदय, अभी मेरे जिले से १२ लड़कों ने इस बात के लिये हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि उनको पास डिक्लेयर कर दिया जाय। ऐसी दर्जनों घटनाएं प्रतिदिन हमें समाचार-पत्रों के द्वारा पढ़ने को मिला करती हैं कि अमुक प्रोफेसर, अमुक विद्यार्थी या अमुक दल ने हाईकोर्ट में इस बात के लिये रिट अप्लीकेशन दी है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस स्थिति पर आप विचार करें कि चांसलर के स्थान पर चीफ जस्टिस हो और उसी यूनिवर्सिटी के विषय में उन्हीं के हाईकोर्ट में यह मुकदमा तय किया जाय। तो उस समय यह भी भ्रम हो सकता है, चाहे चांसलर महोदय यानी चीफ जस्टिस महोदय उसमें कोई मदाखलत करें या न करें। लेकिन एक पक्ष जिसके विरुद्ध फैसला होगा उसको यह शुबहा हो सकता है कि यह फैसला उसके विरुद्ध इसलिये हुआ कि चीफ जस्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। ऐसी स्थित में यूनिवर्सिटी की मर्यादा नहीं बढ़ती है और इसके अतिरिक्त सबसे भयंकर बात तो यह होती है कि चीफ जस्टिस का महत्वपूर्ण पद जो है उस पर भी लोगों को उंगली उठाने का अवसर मिल जाता है और विशेषतौर पर आज के वातावरण के अंदर। आज का वातावरण यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक दौड़ मची हुयी है कि देखें कौन सा दल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को अपने कब्जे में कर लेता है और धीरे-धीरे वहां पर छोटी-छोटी पार्टियां बन रही हैं और इन संशोधन विधेयकों को लेकर वहां के विद्यार्थियों को, जिनका कि कोई सम्बन्ध इससे नहीं है, एक्सप्लायट किया जा रहा है। इनके सम्बन्ध में दारुलशफा में लगभग प्रतिदिन कोई न कोई परचा लेकर दो चार आदमी टहला करते हैं, जबकि उचित बात यह है कि इनमें से किसी का विद्यार्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये और न उन्हें इस पर कोई आंदोलन करना चाहिये। लेकिन उन्हें बाहर के लोग जा-जा करके, भड़का करके ऐसे कार्यों में लगाते हैं। अगर, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी के विरुद्ध हाईकोर्ट का फैसला हुआ तो उस समय क्या इस प्रकार की स्थिति न होगी जैसी कि अभी श्री महावीर प्रसादजी ने बतायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन तो चीफ जस्टिस की मर्यादा और शान के विरुद्ध पड़ता है और इसलिये मैं नारायणदत्त जी प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम इसको अवश्य वापस ले लें चाहे अभी तक कोई संशोधन वापस लिया हो या न लिया हो।

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने अपने इस संशोधन के पक्ष में जो कुछ वैधानिक आपत्ति जाहिर की उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने इस संशोधन के सपोर्ट में इस बात को कह कर के और इसको बिला किसी प्वाइंट आफ आर्डर के जरिये से इस आपत्ति को न उठा कर के यह जाहिर कर दिया कि उसमें उनको स्वयं कोई तथ्य मालूम नहीं हुआ। अगर उनका खयाल यह रहा हो जैसा कि उन्होंने पढ़ा कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया का आर्टिकल १५४, क्लाज २ (ए) के जरिये से किसी तरह से गवर्नर को कोई अधिकार नहीं रह जाता है कोई आफिस लेने का, तो उनको इसमें गलतफहमी हुयी है, क्योंकि उसका पहला भाग अगर पढ़ेंगे १५४ तो वह इस प्रकार है :—

"The executive power of the State shall be vested in the Governor.."

उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लाज (२) (a) यह है कि :—

"Nothing in this article shall (*a*) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority;"

१५४ (१) में सीधी बात कही गयी है कि स्टेट के अन्दर जो ऐक्जीक्यूटिव अथारिटी है वह गवर्नर की होगी। लेकिन इससे यह सम्भावना हो सकती थी कि अगर किसी दूसरे आफिसर को किसी कानून के जरिये से अथारिटी दी गयी हो तो यह न ख्याल हो जाय कि वह अथारिटी भी गवर्नर को हासिल हो जायगी, 'बाई वर्चू आफ दिस आर्टिकल'। केवल इस चीज को दूर करने के लिये यह क्लाज (२) (a) रखा गया है :

"Nothing in this article shall (*a*) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority;"

और आइन्दा को अगर कोई कानून बने और उसके जरिये कोई फंक्शन दिये जायं तो वही लागू होगा जो (बी) में दिया गया है :—

"the State from conferring by law (*b*) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor."

तो माने यह हुये कि स्टेट की एक्जीक्यूटिव अथारिटी जो है वह गवर्नर की हो। लेकिन इसके अलावा अगर बाई ला (कानून द्वारा) पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लचर कोई फंक्शन किसी दूसरे अफसर को देना चाहती है तो वह बार नहीं होगी और उसे वह गवर्नर के अख्तियारात हासिल नहीं हो जायेंगे। मीयरली बाई वर्चू आफ दिस आर्टिकल, लेकिन यह कहां से साबित हो जाता है कि गवर्नर महोदय को कोई और दूसरा फंक्शन ही लेने का अधिकार नहीं है ? शायद थोड़ी सी उनके मतलब की बात आर्टिकल १५८ क्लाज (२) में आ सकती थी कि "गवर्नर शैल नाट होल्ड ऐनी अदर आफिस आफ प्रोफिट" लेकिन उनको यह स्वयं मालूम है कि यह आफिस आफ प्रोफिट नहीं है। सिर्फ एक यह कन्डीशन आफ सर्विस जो गवर्नर की दी गयी है, आर्टिकल १५८ में, वही एक ऐसा प्राविजन है जिसके जरिये से प्रतिबन्ध लगाया गया है कि गवर्नर अपने इस आफिस के जमाने में कोई दूसरा आफिस आफ प्राफिट नहीं होल्ड करेगा। इसके अलावा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, और मेरा ख्याल है कि नारायण दत्त जी ने अपने इस संशोधन के पक्ष में एक नयी बात कहने की चेष्टा की जो पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट के सिलसिले में नहीं कही थी और उन्होंने यहां पर कहा कि दो नयी बातें हमने कही ह। शायद इनमें से एक नयी बात यह थी। अब उनको मालूम हो गया होगा कि यह चीज बिलकुल एक भूल सी है और वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय तिवारी जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। आपने जो आपत्ति उठायी थी उस आपत्ति का उत्तर तो माननीय सदस्य ने दे दिया । उस सिलसिले में मुझे इतना और जोड़ देना है कि इस १५४ धारा में जो बात कही गयी है उससे यही अर्थ निकलता है, मैं उसको पढ़े देता हूं :—

"154 (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution."

इस धारा में जो बात कही गयी है उसके अनुसार उसी कानून में यह नहीं होगा कि कोई पावर, कोई फंक्शन जो किसी दूसरी अथारिटी को सौंपा गया है, वह इनको ट्रांसफर कर दिया जाय। यह दूसरी बात है कि दूसरे कानून द्वारा अगर ट्रांसफर कर दिया जाय तो किया जा सकता है । इसमें यह जो कह दिया गया है कि एक्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर को होंगे, उसका अर्थ यह न लगाया जाय कि दूसरे जो पावर्स कानून द्वारा दूसरे लोगों को प्राप्त हों वह सब गवर्नर महोदय को ट्रांसफर कर दिये गये हैं। दूसरे कानून बनाये जा सकते हैं और उनके द्वारा गवर्नर महोदय को और अधिकार दिये जा सकते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है। हां, गवर्नर महोदय को चांसलर बनाने में जो दरअसल आपने वैधानिक आपत्ति उठायी है, उसके खिलाफ आप जो संशोधन दे रहे हैं, उसमें अलबत्ता एक वैधानिक आपत्ति है। वह यह है कि चीफ जस्टिस को हमारे जो इस सदन के अधिकार हैं, उनके अधीन हम उनको कोई आदेश नहीं दे सकते हैं कि वह चांसलर पद को अवश्य मंजूर करें। मान लीजिये यह सदन इस संशोधन को स्वीकार कर लेता है और स्वीकृति के बाद गवर्नर की अनुमति लेते हैं और सब कुछ हो जाता है और चांसलर का काम चीफ जस्टिस को सौंप दिया जाता है तो क्या होगा ? क्या कोई प्राविजन या कानून है जिसके मुताबिक आप उसको वाध्य कर सकते हैं कि वह इस पद को अवश्य ग्रहण करे ? आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप क्या किसी कानून द्वारा गवर्नर को वाध्य कर सकते हैं कि वह इस कार्य को करे। किन्तु इसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि गवर्नर को अधिकार कांस्टीट्यूशन के द्वारा मिले हुए हैं। अगर कोई नया कानून बनेगा तो वह गवर्नर की स्वीकृति से ही बन सकता है। जब यह विधेयक सदन से पास होकर गवर्नर महोदय द्वारा स्वीकृत हो जायगा तो उसमें उनकी स्वीकृति निहित हो जाती है। इसलिये हम गवर्नर महोदय के ऊपर लाद तो नहीं सकते किन्तु अपनी स्वीकृति से स्वतः वह इसको मान लेते हैं। यदि स्वीकृति न मिले तो केवल एक धारा ही नहीं बल्कि कोई भी धारा लागू नहीं हो सकती। हम तो यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ विधेयक यहां पास किया जाता है, वह तभी अधिनियम बनेगा जब गवर्नर महोदय की स्वीकृति आ जायगी ।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया सदन में अखबार न पढ़ें।

श्री केशभान राय—लेकिन गवर्नर महोदय की स्वीकृति आने पर भी क्या इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को कोई वाध्य कर सकता है कि वह इस पद को स्वीकार करें। मैं समझता हूं कि कोई भी विधान नहीं है, कोई भी अधिकार इस गवर्नमेंट को नहीं है कि चांसलर पद को स्वीकार करने के लिये चीफ जस्टिस को वाध्य करे।

इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है कि शुरू से अन्त तक देखने से और विरोधी दल की दलीलों को सुनने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि सारी दलीलों का एक आधार है और वह है सरकार के प्रति अविश्वास। जितनी भी धारायें आयी हैं और उन पर जितने भी संशोधन पेश हुये हैं, अधिकांश के अन्दर अगर देखा जाय तो एक ही प्रिंसिपुल डामिनेट करता है और वह यह है कि सरकार युनिवर्सिटी में हस्तक्षेप न करे और इसी में शंका पैदा की जाती है। मुझे यह बतलाना है कि यह मनोवृत्ति वांछनीय नहीं है। लोकतंत्र में रहकर जनता द्वारा चुनी हुयी सरकार के प्रति खुले तौर से हम अविश्वास की बात कहकर कोई शोभा की बात नहीं करते। हां, यह अवश्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है कि चार पांच वर्ष के बाद जब चुनाव का प्रश्न आयेगा, तो उस अवसर पर हम अपने वोटरों के द्वारा इस सरकार के प्रति अविश्वास कायम करके उसे हटा सकते हैं और सरकार हट सकती है। जो कोई सरकार उसके बाद आयेगी फिर उस सरकार का अधिकार हो जाता है। यह मानना या कहना कि सरकार को युनिवर्सिटी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये अवांछनीय है। सरकार क्यों हस्तक्षेप न करे? एक दिन हो सकता था जब कि विश्वविद्यालय का सरकार से सम्बन्ध नहीं होता, केवल सांस्कृति शिक्षा का भार विश्वविद्यालयों को सौंपा गया होता तो कहा जा सकता था कि सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और तब यह सुन्दर बात होती। लेकिन आजकल की सरकारें हमारी लोक कल्याणकारी हैं। हम उनसे यह आशा नहीं करते कि वह शांति ही व्यवस्था कायम करेंगी बल्कि यह भी कि वह देश की उन्नति करेंगी। हम जानते हैं कि आजकल हमारा सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा ऐसा हो गया है कि उसको चलाने के लिये हमें उच्च शिक्षा के शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। अगर इसमें उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त लोग अपना हाथ न बटायें तो यह मुमकिन नहीं हो सकता है कि आजकल का सामाजिक ढांचा चल सके। केवल शासन चलाने के लिये ही नहीं बल्कि देश के उद्योग धंधे, व्यापार और साधारण से साधारण चीजें भी इतनी जटिल हो गयी हैं कि सब में उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। कोई भी सरकार देश का कल्याण नहीं कर सकती है यदि वह उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान न दे। ऐसी स्थिति में आजकल की शिक्षा पर नियंत्रण रखना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। यदि हम इस विधेयक पर विचार करते समय सरकार में शंका न करते बल्कि विधेयक की मेरिट पर अगर बहस की गयी होती तो बहुत सी बातें ऐसी आयी होतीं जिन पर सरकारी पक्ष के लोगों को और विरोधी पक्ष के लोगों को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ता। साधारणतया होना तो यह चाहिये था कि हम सरकार की नेकनीयती में विश्वास करते और यह कहते कि सरकार जो कुछ भी कानून बनाने जा रही है उसकी नेकनीयती में विश्वास करते हुये जिस उद्देश्य के लिये बनाने जा रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। यदि इस लाइन पर इस ढंग से विचार हुआ होता तो कोई मतलब होता। हम यह मान लें थोड़ी देर के लिये कि सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है और हस्तक्षेप करना वांछनीय है। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार जो कुछ भी चाहती है, युनिवर्सिटी में सारे का सारा हस्तक्षेप करके भी जिस फल की आशा रखती है क्या उसकी पूर्ति इस विधेयक के द्वारा हो सकती है? तब हम उसके ऊपर विचार करते और हमारे सामने बहुत से मसले आते। हम यह चाहते हैं कि चांसलर का एक ऊंचे स्तर का पद रहे। साथ ही चांसलर के जरिये से हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप होगा और गवर्नर के आने से स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा नहीं चलेगी और स्तर नीचे गिर जायगा।

मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटीज़ की शिक्षा, उसका स्वतंत्र वातावरण आज नहीं, आज से कई हजार बर्ष पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। हमें गौर से अपने बीते हुए इतिहास पर ध्यान देना चाहिये। महाभारत के समय में हम यह जानते हैं कि हमारे यहां दो प्रकार के विश्वविद्यालय थे। एक सांदीपन का और दूसरा द्रोणाचार्य महाराज का।

इस राज्य दरबार में यानी कौरवों के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में द्रोणाचार्य थे। इन दोनों की परिस्थितियों में अंतर जान पड़ेगा। उससे हम देखते हैं कि एक युनिवर्सिटी से श्री कृष्ण और सुदामा निकलते हैं। उनके सम्बन्ध में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के लिये त्रिलोक के राज्य पर भी लात मारने को तैयार हैं और लात मार देते हैं और दूसरी ओर सुदामा अत्यन्त दीन अवस्था में भी होने पर हाथ पसारने के लिये मांगने को तैयार नहीं होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो द्रोण के आश्रम से जो राज्य द्वारा पालित है, उनके यहां से दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति निकलता है लेकिन जहां एक इतना दुष्ट आदमी निकलता है वहां पर धर्मराज जैसे महान् धर्मात्मा को देखते हैं जो उन्हीं के आश्रम से निकलते हैं। धर्मराज अपने कर्तव्य में सक्रिय नहीं होते। अगर श्री कृष्ण, जो सांदीपन ऋषि के आश्रम से निकले, वहां नहीं होते, धर्मराज अपना कार्य नहीं कर सकते थे। इसके कहने का हमारा मतलब यह नहीं है कि राज्य द्वारा पालित युनिवर्सिटी अच्छी नहीं हो सकती। इसकी उपमा हम राजा दशरथ के दरबार में जो युनिवर्सिटी है उससे देते हैं जिसकी देखरेख वशिष्ठ जी करते हैं .. ..

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि बजाय राजा दशरथ के दरबार में जाने के इस युनिवर्सिटी के दरबार में आजायं तो अच्छा है ।

श्री केशभान राय—मैं यह कह रहा था कि राजा दशरथ के दरबार में वशिष्ठ जी की देख-रेख में जो युनिवर्सिटी थी उसके सम्बन्ध में हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र जी ने श्री रामचन्द्र जी को मांगा तो सब से प्यारे और विद्वान् होने पर भी वह दे देते हैं यानी उनके यहां मोह की मात्रा बिल्कुल नहीं है ।

इससे हमारे कहने का मतलब यह है कि चांसलर के लिये जो शंका की जाती है कि यदि गवर्नर चांसलर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट युनिवर्सिटी के कार्य में हस्तक्षेप करेगी । यह शंका करना अच्छा नहीं है । इसलिये नहीं है कि अगर राज्य अच्छा होगा तो हस्तक्षेप का नतीजा भी अच्छा ही होगा और अगर राज्य बुरा होगा तो उसके हस्तक्षेप का नतीजा भी बुरा होगा । प्रश्न यह पैदा होता है कि थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि स्टेट गवर्नमेंट चांसलर द्वारा हस्तक्षेप करेगी क्योंकि यदि गवर्नर चांसलर होगा तो वह सोलह आने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा । अगर यह मान लिया जाय तो भी बुरी बात नहीं है । बुरी बात तो यह होगी कि क्या उनके पास समय होगा, उनको फुरसत होगी, क्या जो नियम बनाये जा रहे हैं उनके द्वारा सरकार अपना अभीष्ट सिद्ध कर सकती है ?

हम नहीं कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य बुरा ही हो सकता है, उनकी नीयत बुरी है । इसका मापदंड क्या है । हम कैसे समझें कि उनकी नीयत बुरी है और जो दूसरे किसी आदमी को अधिकार दिया जायगा उसके सम्बन्ध में कैसे समझेंगे कि इसकी नीयत बुरी नहीं होगी ? इसका मापदंड तो वह है जिसको हम शिक्षा देते हैं वह प्रति ५ वर्ष बाद ही हो सकता है और वह हमारी जनता है, जनता के हित को आगे बढ़ाना है, वह बढ़ता है या नहीं इसका अंतिम निर्णय तो पांच वर्ष बाद ही होगा और जनता द्वारा होगा । इसलिये यह कहना कि उनकी नीयत खराब है, इस विधेयक को लाकर और गवर्नर को चांसलर बनाकर राज्य सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है और सारे अधिकारों को चांसलर को देकर वह बदनीयती से काम करना चाहती है, मैं कहता हूं कि यह नहीं होना चाहिये क्योंकि उनकी बदनीयती का कोई प्रश्न नहीं है । थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि पार्टीबंदी है तो क्या कोई ऐसी दवा है जिससे हम इसको दूर कर सकें ? कहां पार्टीबंदी नहीं है ? जब दलबन्दी है तो उसकी क्या दवा है ?

इस शंका की एक ही दवा है और वह है एलेक्शन । जैसे अब तक हमारे मन में कोई बदनियती नहीं है, सब नेकनीयिती है, लेकिन चुनाव में हम खदेड़ दिये जाते हैं, तो हम बदनियत हैं । लेकिन चुनाव में जब हम चुन कर आये हैं, तो जनता के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, वह सही है । यह अवश्य है कि नेकनियती के साथ भी यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो कार्य हम करते हैं, उससे देश का हित ही हो । इसलिए हमने यह बतलाया कि आया जो विधेयक लाया जा रहा है, उससे सरकार जो अपना अभीष्ट रखती है, क्या उसकी सिद्धि होगी ? बार-बार नियत पर शंका करना और आक्रमण करना ठीक नहीं है । इसलिए मैं इस संशोधन का, जिसमें चीफ़ जस्टिस के लिए चांसलर के पद की बात कही गयी है, विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उन सब तर्कों को समझने की चेष्टा की जो कि हमारे माननीय मित्रों ने मेरे संशोधन के विरोध में प्रस्तुत किये । पहली वैधानिक आपत्ति मेरे माननीय मित्र अब्दुल मुईज खां साहब को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुई। उन्होंने कहा कि विधान की धारा १५४(२)(a) के अनुसार गवर्नर चांसलर न हो सकने की बात जो हमने की थी, वह उचित नहीं है। इस बात को शायद माननीय अब्दुल मुईज खां और शायद सारा सदन अवश्य मानेंगे कि गवर्नर के फंक्शन्स क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, इस सम्बन्ध में लेजिस्लेट करने का अधिकार तो हम लोगों को है ही नहीं। गवर्नर क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, इन सब के बारे में केवल प्रेसिडेंट को अधिकार–विधान के अनुसार है। मैं विधान की धारा १६० की ओर माननीय अब्दुल मुईज खां का ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रेसिडेंट, गवर्नर के फंक्शन्स के बारे में अगर कोई आवश्यकता हो, तो कोई विधान बना सकता है। स्टेट लिस्ट हमारे पास मौजूद है। उसमें हमारे मित्र कहीं पर दिखला दें। इस बात का अधिकार केवल विधान को है, हमको नहीं है। यह एक कामनसेन्स की बात है। एक बार ऐड्रेस करेंगे असेम्बली को, यह भी विधान में लिखा हुआ है। अब कल को अगर हम लेजिस्लेट करने लगें कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर लखनऊ कारपोरेशन के हेड होंगे, या परसों एक विधान बना दिया कि वे किसी ट्रांस्पोर्ट अथारिटी के हेड होंगे, या हमने कोई ऐसा विधान बना दिया है कि जो संस्कृत युनिवर्सिटी है, उसके चांसलर होंगे, तो ये तमाम बातें ऐसी हैं, कि जिनके बारे में हमको लेजिस्लेट करने का कोई अधिकार ही नहीं है।

दूसरी बात माननीय केशभान राय जी ने कही कि चीफ जस्टिस के बारे में तो हम कोई संशोधन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे हाथ की बात नहीं है। इसको तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, तभी होगा। यह बात हो सकती थी अगर इस सम्बन्ध में पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई होती। मैं माननीय केशभान राय जी का ध्यान आंध्र में पास हुए विधान की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें आंध्र की स्टेट असेम्बली ने चांसलर पद के लिए चीफ जस्टिस को नियत किया और प्रेसिडेंट ने बाद को असेंट दी। वैसे ही अगर आज उत्तर प्रदेश असेम्बली भी चांसलर के पद पर चीफ जस्टिस को नियत करे, तो प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देंगे और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार प्रेसिडेंट महोदय ने आंध्र विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में असेंट दे दी, अगर हमारे मामले में भी असेंट दे दें, तो यह जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है, वह दूर हो जायगी।

मेरे मित्र माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने एक बात कही कि यह तो डिगनिटी के खिलाफ है कि हम किसी चीफ जस्टिस को चांसलर बना दें। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट होता रहे। उनके खिलाफ नारे लगाये जायं, एक साहब ने यह भी कह दिया। चीफ जस्टिस यूनिवर्सिटी की बाडीज में पहले से सदस्य हैं। मैंने यह प्वाइन्ट इसलिए नहीं कहा कि बार-बार दोहराना नहीं चाहता था। मैंने पिछले दिनों एक लम्बी लिस्ट पढ़कर सुनायी थी, जिसमें दिखलाया था कि हमारे चीफ जस्टिस फैकल्टी आफ ला के मेम्बर हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के दस जजेज या तो एक्जीक्युटिव काउन्सिल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेम्बर हैं या कोर्ट के मेम्बर हैं या फैकल्टीज के मेम्बर हैं। यह एक लम्बी चौड़ी लिस्ट मैंने सुना दी। तो जब हाईकोर्ट के जज कोर्ट के मेम्बर हो सकते हैं और उनकी इज्जत में बट्टा नहीं लगता, अगर वह फैकल्टी आफ ला के मेम्बर हो सकते हैं, एक्जीक्युटिव काउन्सिल के मेम्बर हो सकते हैं, तो चांसलर क्यों नहीं हो सकते? मेहरबानी करके शुक्ल जी यह बता दें अगर वह उनको चांसलर के पद से बंचित रखना चाहते हैं, और सारे पदों के लिए उचित समझते हैं, तो उनकी यह बात तर्क पर उचित नहीं दिखलायी देती। हाईकोर्ट के जज सेलेक्शन कमेटी के मेम्बर होंगे, यह संशोधन विधेयक में भी लिखा हुआ है। उसमें उनको यह खयाल नहीं रहा कि उनके खिलाफ रिट हो सकता है। तो हाईकोर्ट के जज तो कदम-कदम पर हमारे विधेयक में मौजूद हैं। इसलिए मैं दोबारा गुप्ता जी से कहूंगा कि वह विश्वविद्यालयों को दलबन्दी से ऊंचा उठाने के लिए ऊंची शिक्षा का आदर्श कायम करने के लिए व्यक्तिगत और पार्टीगत आदर्शों से ऊपर उठाने के लिए चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) को चांसलर बनाने की सम्मति दे दें, तो यह समयानुकूल होगा।

डाक्टर सीताराम—जिस संशोधन को माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। नारायणदत्त तिवारी जी ने एक वैधानिक आपत्ति उठायी कि गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिए। कांस्टिट्यूशन आफ इन्डिया की धारा १५४ (२) के सम्बन्ध में श्री मुईज खां और केशभान राय ने अपनी विचार धाराओं को अच्छी तरह से प्रकट किया है। अभी उन्होंने १६० का हवाला दिया जिसमें साफ लिखा है :—

"The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided in this Chapter."

इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को एक्जीक्युटिव पावर्स देता है, और युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो आपकी मंशा है प्रेसिडेंट इसको स्वीकार करता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें यह है कि गवर्नर जो है चांसलर की कैपेसिटी में अपनी सब पावर्स का इन्डिपेंडेंटली डील करता है और इसमें कोई अड़चन भी नहीं है। तो जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे वापस ले लें, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास इतना अधिक काम रहता है कि उसको मौका नहीं मिलेगा कि वह ऐसे कामों को देख सके। साथ ही साथ चांसलर की ड्युटी है एप्वाइन्टमेंट, इलेक्शन, लीगल इन्टरप्रिटेशन और बहुत सी बातों का देखने की। मान लीजिये हम वाइस चांसलर चीफ जस्टिस को बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर युनिवर्सिटी में कोई बात हुई, जिसके लिए वह चांसलर के रूप में अपना फैसला देता है और उसके खिलाफ कोई व्यक्ति, वह स्टूडेंट हो या टीचर, हाईकोर्ट में जाकर रिट दाखिल करता है, तो चीफ जस्टिस फिर चीफ जस्टिस की हैसियत से उस पर फैसला दें, जिस पर कि वह चांसलर की हैसियत से फैसला दे चुके हैं। यह दोनों बातें असंगत सी मालूम देती हैं। माननीय तिवारी जी यह भी जानते हैं कि इन्डिया भर में सिवा एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में करीब-करीब हर जगह चांसलर गवर्नर ही हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

अधिष्ठात—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"The Chief Justice of Allahabad High Court shall be the Chancellor."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १० का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"10 (1). The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) No person who has at any time previously held the office of Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for appointment.

(5) The Executive Council shall, as far as may be, at least forty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him, and if it fails to decide unanimously the name of any person it shall adjourn to a date within ten days next following. At the adjourned meeting if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person he shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him; or

(*b*) is unable to decide unanimously the name of any three person it shall in the same meeting decide names not more than three in number of persons suitable for being recommended to the Chancellor: Provided that if more than three names are proposed in that behalf it shall choose three out of them according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The names so chosen shall then be recommended to the Chancellor.

(6) On receipt of the recommendation under clause (*b*) of sub-section (5) the Chancellor may, in his discretion—

(*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council, or

(*b*) return the names to the Executive Council for reconsideration.

(7) Where the Chancellor has returned the names for reconsideration under clause (*b*) of sub-section (6) the Executive Council shall be free—

(*a*) to recommend to the Chancellor the name of any person decided unanimously in which case the person whose name is so decided shall be appointed by the Chancellor, or

(*b*) to recommend to the Chancellor, in case it is unable to decide unanimously the name of any person, the names previously recommended by it or any names, not exceeding three in number, decided

in the manner laid down in sub-section (5) and the Chancellor shall appoint anyone out of the names so recommended.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the Office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause [other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term] the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) , (5) to (7) shall, in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Unitil arrangements have been made under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the Office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities".

श्री मदनमोहन उपाध्यक्ष––अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"10. (1) The Vice-Chancellor shall be a wholetime Officer of the University and be selected and appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) A Committee of three educationists two of whom shall be persons not connected with the University or any college, nominated by the Executive Council, and one person nominated by the Chancellor, who shall also appoint one of the three as Chairman of the Committee shall select not less than three persons and shall report its selection to the Executive Council. The Executive Council shall make recommendation to the Chancellor, on the persons so selected, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor."

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि हम लोग बहुत कह चुके हैं, यूनिवर्सिटी की जो सारी जिम्मेदारी है, वह हमारे वाइस-चांसलर पर है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर काबिल हो, अच्छा हो, देश का बड़ा आदमी हो, एजुकेशनिस्ट हो तो उसकी यूनिवर्सिटी में गड़बड़ होने की बहुत कम सम्भावना रहती है। प्रश्न इस बात का है कि कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय, जिससे हम यूनिवर्सिटी को एक सबसे अच्छा वायस-चांसलर दे सकें। मैं समझता हूं कि जो संशोधन इस सिलसिले में इस समय आया है, उसी तरह की राय राधाकृष्णन कमीशन, मूथम कमेटी और जितनी भी एजुकेशन पर कमेटी बैठी हुई हैं उन सब ने राय जाहिर की है कि ऐसा भी एक तरीका वायसचांसलर को छांटने का हो सकता है। मैं समझता हूं कि जब तक और

कोई अच्छा रास्ता वाइस-चांसलर को छांटने का न ला सकें, तब तक जो संशोधन हमारे सामने हैं, उसमें कुछ जान अवश्य है। अगर इस संशोधन को मान लिया जाय, तो जो कमी वाइस-चांसलर के छांटने मे महसूस की जाती है, वह दूर हो सकती है। अगर इसको मान लिया जाय, तो मैं समझता हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हम एक अच्छे से अच्छा वाइस-चांसलर छांट सकते हैं। वह इसलिए कि एक्जीक्युटिव कौंसिल एक काफी बड़ी बाडी है। वहां पालिटिक्स भी रहती है, इसको सभी मानते हैं। अलग-अलग दल के लोग रहते हैं। अगर उन लोगों को ही एक वाइस-चांसलर छांटने की इजाजत दी जाय, तो हो सकता है कि उसमें ३ आदमी ऊपर से भेजे जायं और वह एक-एक दल का एक-एक आदमी हो और इन ३ ग्रुप के आदमियों के नाम चांसलर के पास पहुंच जायं और उसमें से वह एक आदमी को छांट लेगा। अब दो दल के जो रह जाते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है। उस वाइस-चांसलर को यूनिवर्सिटी में रहकर उन दलों का, जिनके द्वारा नाम चांसलर के पास भेजे गये, लेकिन नहीं छांटे गये, उनका सहयोग नहीं मिल सकता है। इसके लिए एक्जीक्युटिव कौंसिल का सहयोग वाइस-चांसलर को मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि हमारे जो बाहर के एक्सपर्ट हों, वह एक्जीक्युटिव के सामने तीन आदमियों के नाम पेश करें, जिसमें से वह अपना वायस-चांसलर छांट ले। मैं समझता हूं कि बाहर की जो एक्सपर्ट कमेटी बने, उसमें एक वाइस-चांसलर का नुमाइन्दा हो जो एजुकेशनिस्ट हो और दो प्रतिनिधि हमारी एक्जीक्युटिव कौंसिल के उसमें हों। हो सकता है कि दो दल के एक्जीक्युटिव कौंसिल के आदमी उस एक्सपर्ट कमेटी में जा सकें। वह तीन आदमी भेजकर एक वाइस-चांसलर के लिए क्या क्वालीफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है, वह ठीक तरह से यूनिवर्सिटी को चला सकता है या नहीं, उसको ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है या नहीं और उन्होंने क्या शिक्षा हासिल की है और युनिवर्सिटी की शिक्षा से उनका क्या सम्बन्ध पहले रह चुका है और वाइस-चांसलर के साथ उनका क्या सहयोग रहेगा, ऐसी जो बातें वाइस-चांसलर में होने की आवश्यकता है, उनकी जांच करने के लिए यह कमेटी बने।

समय—२ बजकर १५ मिनट

पहले जो अमेंडमेंट रामनारायण त्रिपाठी जी ने यहां रखने की कोशिश की, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वह उसे न रखें। वह कहते थे कि जिस प्रकार आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में डीन होते हैं, वे बाई रोटेशन, एक के मरने के बाद दूसरा हो जाता है वैसे ही हो, तो मैंने कहा था कि हमारे शिक्षा मंत्री जी टीचर्स से नाराज हैं, इसलिए उनका नाम सुनना पसन्द नहीं करेंगे। मैं भी समझता हूं कि उसमें झगड़े का अन्देशा है। हम उस परिस्थिति में नहीं पहुंचे हैं, जिसमें आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है। उनका नाम लेना बड़ा आसान है। और अगर आज यूनिवर्सिटियों में गड़बड़ न हुई होती, तो शायद गवर्नमेंट इस बिल को न लाती। मैं अब भी कहता हूं कि अगर यूनिवर्सिटीज फिर सुधर जावें और हमारे प्रोफेसर्स पर हमारा विश्वास हो जाय, तो फिर अमेंडमेंट करने में क्या देर लगती है। मैंने अखबार में पढ़ा कि अपर हाउस की सेलेक्ट कमेटी ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी बिल में कुछ संशोधन किया है, उन्हीं लाइन्स पर जैसा कि हमने यहां विचार प्रकट किया है और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी उसे मान लेंगे। पहले तो यह था कि न तो वे टीचर्स कोर्ट में हो सकते हैं और न टीचर्स कोर्ट से आने वालों को छांट सकते हैं। लेकिन जो संशोधन मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें टीचर्स का हाथ होगा। मुझे अफसोस है कि शायद वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसर्स को बुरा लगे, जिन्होंने उस पुराने कागज पर दस्तखत कर दिया था, जिसकी चर्चा माननीय गुप्ता जी ने की थी। अगर उनको और ताकत मिल जाय, तो बुरा नहीं लगना चाहिए और उनका रिप्रेजेन्टेशन एक्जीक्युटिव काउन्सिल में चाहे 'इन परसन' न हो सके, लेकिन उनके वोटों से छटे हुए लोग जब एक्जीक्युटिव काउन्सिल में आवेंगे, तो वह इस बात की कोशिश जरूर करेंगे, कि वह अपने विश्वास के लोगों को छांट कर भेंजे। यही प्रथा दिल्ली और राजस्थान में है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि चूंकि वहां है, तो हम भी इसी लिए अपनावें। मैं तो मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश सब से आगे हैं और कुछ और आगे बढ़ने की बात करें। मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूं। हम

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी गाइड होते हैं। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जरा अपने से कम अकल का भी नहीं समझते। हाल ही में हमने पढ़ा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कुछ डाइरेक्शन या सलाह दी है। अगर कोई गलत बात बतलावे, तो वह फौरन मान लेते हैं और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह सही ही है। लेकिन जो मेथड आज है, अगर उसे सुधारने की आशा हो, तो मैं समझता हूं कि वैसे यह किसी कमेटी ने नहीं कहा है, किताब तो मेरे पास है नहीं कि मैं किसी किताब का रेफ़रेंस दे दूं, कि उसमें ऐसा और वैसा कहा है। एक प्रैक्टिकल बात की जाय। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री जी को यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के बारे में काफी तजुर्बा है, मैं यह भी नहीं कहता कि मैं उसके बारे में कुछ जानता हूं। मैं तो केवल उसमें पढ़ा हूं और उसका एक विद्यार्थी रहा हूं। कभी किसी चुनाव में भाग नहीं लिया और कभी स्वप्न में भी इस बात का खयाल नहीं किया कि मैं युनिवर्सिटी के मामलों में दखल दूं। लेकिन जब प्रश्न इस बात का आता है और युनिवर्सिटी की सफलता वायस-चांसलर पर निर्भर करती है, तो उसका चुनाव एक्जीक्युटिव के ही ऊपर सिर्फ न छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसके लिए आप कहते हैं कि उसमें पार्टीबन्दी हो सकती है। पहले कोर्ट में होती थी और अब एक्जीक्युटिव में होगी। इसलिए मेरी राय है कि एक्जीक्युटिव को सलाह देने के लिए एक्सपर्ट्स को रख दिया जाय। उसके सुझाव पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल विचार करके गवर्नर के पास भेज दे, तो सब से अच्छा हो। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण को सुना था जो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के समय दिया था। उन्होंने कहा था कि आटोनोमी के पक्षपाती लोग, जब हम वायस-चांसलर को चुनने का अधिकार एक्जीक्युटिव को देते हैं, तो कहते हैं कि बाहर वालों को दिये जायं, इसमें वे बतायें कि युनिवर्सिटी की आटोनोमी किस प्रकार से रहेगी? मेरा कहना तो यह है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल को तो वे अधिकार रहेंगे ही लेकिन एक सब-कमेटी की भांति वह एक सेलेक्शन कमेटी बना दें। जिस प्रकार एक्जीक्युटिव अन्य सब-कमेटीज बनाती है, उसी प्रकार से यह भी एक सब-कमेटी के तौर पर होगी, जो उसको सलाह देगी। अब बजाय इसके कि एक्जीक्युटिव कौंसिल कोई कमेटी बिठाये, हम चाहते हैं कि वह बिल के अन्दर ही आ जाय कि तीन आदमियों की एक कमेटी होगी, जिसमें से दो एक्जीक्युटिव कौंसिल के नुमाइन्दे होंगे, जिसमें टीचर्स न होंगे, बाहर के लोग होंगे, एजुकेशनिस्ट्स होंगे तथा एक वाइस-चांसलर साहब का प्रतिनिधि होगा। ये तीन आदमी हिन्दुस्तान के कोने-कोने से ऐसे आदमी को तलाश करेंगे, जो यूनिवर्सिटी का भार वहन कर सकता हो, वे उससे जाकर प्रार्थना करेंगे और अगर उनकी स्वीकृति मिल जाय, तो उनका नाम प्रोपोज कर देंगे। इसमें यूनिवर्सिटी को कोई तकलीफ न होगी। यह भी कहा जायगा कि बाहर के बड़े-बड़े लोग चुनाव में भाग क्यों लेने लगे? वे तीन आदमियों के नाम दिये जाना पसन्द नहीं करेंगे। वे तो कहेंगे कि हम चुनाव में जाना नहीं चाहते। लेकिन आज का जमाना वह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी की सेवा करने के लिए अगर तीन नाम पेश किये जायं, तो उनमें से दो अपने नाम को विड्रा कर लेंगे। यह तो सवाल मेरे खयाल में तभी से उठा है, जब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गड़बड़ हुई। अगर वह गड़बड़ न होती, तो ऐसा प्रश्न आज हमारे सामने न भी आता। इसलिए यह जो मेरा प्रेजेंट अमेंडमेंट है, वह यूनिवर्सिटी के उस क्लाज को इम्प्रूव करेगा। अगर यह एक्स्पर्ट कमेटी बन जायगी, तो वाइस-चांसलर का चुनाव भली भांति हो सकेगा। अपर हाउस में अभी चेंज हुआ है तथा माननीय मन्त्री जी को शिक्षा के बारे में बहुत तजुर्बा है तथा हमें यह भी विश्वास है कि लखनऊ युनिवर्सिटी से जो दो नुमाइन्दे चुने जायेंगे वे गुप्ता जी के रहते हुए खराब नहीं होंगे, अच्छे ही होंगे, एजुकेशनिस्ट्स होंगे, इसके अतिरिक्त एक चांसलर महोदय द्वारा चुना जायगा, उनको भी छांटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी, मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो यह संशोधन पेश किया है, मैं इसका विरोध करता हूं। इस संशोधन का जो पहला हिस्सा है, उसको देखने से यह मालूम

पड़ता है कि उसके द्वारा बहुत सी ग्री बात चाही जा रही है। लेकिन वास्तव में जो पहला हिस्सा है, उसको देखते हुए अगर दूसरे हिस्से को पढ़ें, तो यह मालूम पड़ेगा कि दूसरे हिस्से में एक बहुत ही लम्बा चौड़ा खतरा छिपा हुआ है। पहले हिस्से में कहा गया है कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति चांसलर के द्वारा होगी, यह ठीक मालूम पड़ता है। लेकिन दूसरे हिस्से में यह है कि जिस चुनाव पद्धति को दूर करने के लिए इतनी सिफारिशें हुईं और राधाकृष्णनन् रिपोर्ट में भी कहा गया है, वाइस-चांसलर के चुनाव की जो पद्धति है, उसको दूर करना है। इसके अलावा हमने देखा कि मूथम कमेटी रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इस चुनाव पद्धति को दूर करना है और हमने यह भी देखा कि राधाकृष्णनन् कमेटी के सामने जिन साक्षियों के बयानात हुए, उनमें से ऐसे महान व्यक्ति है, जैसे डाक्टर अमरनाथ झा और उन्होंने भी कमेटी के सामने यह कहा कि हमें इस चुनाव पद्धति को दूर करना है। इस समय इन्हीं कारणों से युनिवर्सिटियों में दलबन्दी और पार्टीबन्दी है, जिसकी वजह से युनिवर्सिटीज का अनुशासन ढीलाढाला हो रहा है। लेकिन जो संशोधन रखा गया है, उसमें जो कुछ शब्द दूसरे हिस्से में प्रयोग किया गया है, वह सेलेक्शन का है। मैं नहीं समझता कि जो कोर्ट करीब १८० सदस्यों की होगी, उससे यह सेलेक्शन कैसे हो सकता है? सेलेक्शन का जो कार्य होता है, वह तो एक छोटी मोटी समिति करती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—एक्जीक्युटिव कौंसिल होगी। मैंने आज्ञा ले ली है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, जो मुझे एजेंडा मिला है, उसमें शब्द कोर्ट लिखा हुआ है।

अधिष्ठाता—यह तय हो चुका है कि कोर्ट को एक्जीक्युटिव कौंसिल कर दिया जाय।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—आखिर जहां राजस्थान और दिल्ली का जिक्र माननीय उपाध्याय जी ने किया है और जोर दिया है कि वही प्रणाली यहां होनी चाहिए, यह कहा गया है कि यह तीन सदस्यों की समिति होगी, जिसमें एक्जीक्युटिव कौंसिल के दो नामिनी होने चाहिए, और कौंसिल के सामने वह मसला गया, तो दलबन्दी के आधार पर सिफारिश हो सकती है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि इस छोटी समिति में तीन सदस्यों में से दो कौंसिल के सदस्य होंगे और यह बात मालूम पड़ती है कि अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल को अपने ही सदस्य को लाना हो, तो वह अपने नामिनी से कह सकती है, कि तुमको अमुक व्यक्ति की सिफारिश करना है। इसलिए उससे कोई मसला हल नहीं होता है। फिर जो राजस्थान और दिल्ली की प्रणाली है, वह बहुत ही पेचीदा है, और उसमें समय बरबाद होता है। मैं तो समझता हूं कि उसके सामने यह मामला जायगा कि वह इसकी खोज करे कि किन नामों की सिफारिश करना है और उसके बाद वह सिफारिश एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने जायेगी और उसके बाद कौंसिल सिफारिश करेगी चांसलर से। तो जो तीन सदस्यों की समिति है, वह व्यर्थ हो जाती है, जब हम यह देखते हैं कि कौंसिल के भी रिप्रेजेन्टेटिव हैं और चांसलर के भी रिप्रेजेन्टेटिव हैं। यह हो सकता था अगर इसमें कौंसिल के नामिनी नहीं होते। तब सेलेक्शन कमेटी इन्डिपेंडेंट होती और कौंसिल से सिफारिश करती। वही मसला कौंसिल के सामने जाय और फिर वही मसला चांसलर के सामने जाय तो यह एक अजीब सी बात मालूम पड़ती है। यह जरूरी नहीं है कि इस वक्त यह प्रणाली प्रचलित हो, बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो हमारे देश में एक बहुत ही ऐडवांस्ड प्रदेश है, वहां ऐसी प्रणाली लानी चाहिए, जिसके कारण जो दलबन्दी और बुराइयां और खामियां आज हमारी युनिवर्सिटीज में हैं, वे दूर हो जायं। हमारी युनिवर्सिटीज में जो खामियां और बुराइयां हैं, वे दलबन्दी से दूर नहीं हो सकती हैं। मैं तो समझता हूं कि जो संशोधन का रूप सरकार द्वारा हाउस के समक्ष लाया गया है, वह बहुत ही उचित है और उस से हमारे देश का और हमारी युनिवर्सिटीज का उद्धार हो सकता है और हमारी युनिवर्सिटीज में जो त्रुटियां हैं, वह दूर हो सकती हैं। इसलिए यह जो प्रस्तुत संशोधन है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री नवल किशोर—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। जो डिबेट इस बिल पर हाउस में आज हुआ, उसमें बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं, मगर उनके बाद इस संशोधन को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। टीचर्स के प्रेस्टीज की, आटोनोमी और गवर्नमेंट के इन्टरवेंशन वगैरह की बातें कही गयी थीं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन उन सब बातों के विपरीत है और उन सब बातों को स्वयं काट देता है। उपाध्याय जी का कहना यह है कि एक सेलेक्ट कमेटी बनायी जाय, उप-कुलपति के चुनने के लिए। हमारा जो बिल है, उसमें स्पष्ट तौर से दिया हुआ है कि जहां तक सम्भव होगा एक्जीक्युटिव केवल एक नाम की सिफारिश चांसलर को करेगी, और उसके बाद उसको चांसलर एप्वाइन्ट करेगा। इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां तक हो पहले ही चांस में एक नाम तय हो जाय, और अगर एक नाम पर एक राय न हो सके, तो दोबारा मीटिंग की जाय और उसमें तै किया जाय और फिर भी न हो सके, तो तिबारा यदि चांसलर नाम वापिस करें तब फिर यह कोशिश की जाय कि सर्वसम्मति से किसी तरह एक नाम पर सब लोग एक राय हो जायं। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय की हमेशा से यह परम्परा रही है कि वहां कभी दो नाम नहीं भेजे गये और वाइस-चांसलर के पद के लिए कभी कोई झगड़ा या इख्तलाफ नहीं पैदा हुआ। अब उपाध्याय जी कहते हैं कि तीन एजुकेशनिस्ट की एक कमेटी बनायी जाय और उनमें २ व्यक्ति ऐसे हों, जिनका सम्बन्ध युनिवर्सिटी से किसी प्रकार का न हो और एक आदमी चांसलर का नामिनेटेड रहे। इसके माने यह हुए कि पहले एक्जीक्युटिव बैठेगी और २ नाम यू० पी० के अन्दर या बाहर के एजुकेशनिस्ट्स के सोचेगी और वे ऐसे होंगे कि जिनका कोई वास्ता इस विश्वविद्यालय से न होगा। यह भी सम्भव हो सकता है कि उस में इन नामों को छांटने में भी मतभेद हो जाय। कि वह कमेटी ३ से कम नामों की सिफारिश न करे, लेकिन ऊपर की कोई लिमिट नहीं रखी गयी है और उसके बाद वह सिफारिशें एक्जीक्युटिव कौंसिल में जांयगी और वह उन नामों पर जो छंट कर आवेंगे, अपनी रिकमेंडेशन देगी,और उसके बाद चांसलर उनमें से एक को एप्वाइन्ट करेंगे। उनके अमेंडमेंट से चांसलर के हाथ में अधिक पावर जाती है, हालांकि वह आटोनोमी की बड़ी बात कहते हैं, लेकिन इस संशोधन से आप उनको अधिक इनिशियेटिव व अधिकार देते हैं। एक तरह से अगर आप गौर करें, तो आप ने तो एक्जीक्युटिव को स्वयं उस अधिकार से वंचित किया है, और जो इस सम्बन्ध में बिल उसको देता है, उसको पूर्णतया चांसलर के ही हाथ में छोड़ा है। इस तरह आटोनोमी का हनन होता है। फिर एक्जीक्युटिव में भी हमारे जो डीन्स आदि होंगे, वह भी हमारी युनिवर्सिटी के विख्यात एजुकेशनिस्ट ही हैं, उन को भी वाइस-चांसलर के चुनने में कोई मौका नहीं दिया गया है। एक तरफ तो उस तरफ बैठे साथी टीचर्स के प्रेस्टीज की और आटोनोमी की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ वह इस संशोधन से दिखाते हैं कि उनको हमारे जो डीन्स हैं और हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स हैं, उन पर विश्वास नहीं है। इस तरह से उनके संशोधन के अनुसार प्रौसेस भी लेंथी हो जायगा। जो तरीका विधेयक में रखा गया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो सब बातों को सोचकर न रखी गयी हो। इसलिए यह जो दिल्ली युनिवर्सिटी का तरीका है, वह यहां के लिए उचित न होगा। जब हमारे विश्वविद्यालय में एक पद्धति चल रही है, और, उसके अनुसार कामयाबी से काम चल रहा है, और वह पद्धति सफल साबित हो रही है, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपनी उस पहली पद्धति को बदलें, और जो पद्धति उन्होंने संशोधन में रखी है, उससे तो हम और भी दूर हट जाते हैं, अपने सिद्धांत से कि चुनाव कम से कम हो। बिल में दी हुई पद्धति का समर्थन राधाकृष्णनन् कमीशन ने भी किया है, और मूथम रिपोर्ट ने भी इस को प्रथम प्रिफ़ेंस दिया है।

मैं समझता कि यह किसी माने से भी किसी युनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा शान की बात नहीं है, न वहां के एक्जीक्युटिव कौंसिल के लिए, न टीचर्स के लिए और न प्रोफेसरों के लिए। तो मैं माननीय उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वे उस पद्धति को सपोर्ट करें, जो कि इस बिल में दी गयी हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर बहस बन्द की जाय।

अधिष्ठाता—अभी आपोजीशन से सिर्फ एक ही स्पीच हुई है, एक और हो जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सिद्धान्त के दृष्टिकोण से भी और व्यवहार के दृष्टिकोण से भी, उत्तम है, और सब से ऊंचा आदर्श है और व्यावहारिक भी है, मैं व्यवहार पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि माननीय गुप्त जी व्यवहार पर ज्यादा जोर देते हैं, वे केवल आदर्शवादी ही नहीं, बल्कि व्यवहारवादी अधिक हैं, तो जो व्यवहार में सर्वोत्तम सिद्धान्त माना जा चुका है, उसके सम्बन्ध में अगर कोई सिद्धान्त रखते हैं, तो उस वक्त आटोनोमी की याद आ जाती है कि आटोनोमी का हनन हो रहा है। मैं क्या बताऊं श्रीमन्, एक सेन्ट्रल एजुकेशन ऐडवाइजरी बोर्ड हमारे प्रदेश में है। उसमें हमारे प्रदेश के शिक्षा मन्त्री जी उसके प्रतिनिधि ह, एजुकेशन सेक्रेटरी भी उसके मेम्बर हैं और शायद डाइरेक्टर भी उसके मेम्बर हैं। सालाना उसकी मीटिंग हुआ करती हैं। उस सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने एक मीटिंग में देहली और राजस्थान की सिफारिशों को मंजूर किया है। मैंने उसकी रिपोर्ट को देखने की कोशिश की है। कोई नोट आफ डिसेंट हमारे शिक्षा मन्त्री जी का नहीं है, और न यू० पी० के किसी प्रतिनिधि ने उस मीटिंग में एक शब्द कहा है और सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में बैठकर कहते हैं कि हां साहब ठीक है, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं, और जब उसको इस बिल में लाने की बात आती है, तो सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड जो इस देश की सर्वोच्च शिक्षा संस्था है, उसकी बात को भल जाते हैं। और यहां आटोनोमी की याद आ जाती है। तो श्रीमन्, ऐसी द्वैध प्रवृत्ति की हमारी सरकार है। ऐसी सरकार के बारे में किसी सुन्दर या असुन्दर शब्दों की मीमांसा तो नहीं करना चाहता, लेकिन यह व्यवहार दुखजनक अवश्य है। फिर यह कहा गया कि आप एक्जीक्युटिव कौंसिल के हाथों से वाइस-चांसलर को चुनने का अधिकार छीन ले रहे हैं। क्या-क्या कहा जाय, देहली युनिवर्सिटी ऐक्ट को अगर पढ़ा जाय, तो उसमें यह नहीं है कि वाइस-चांसलर को किस प्रकार चुना जायगा। उसमें तो लिखा है—

"Vice-Chancellor shall be elected according to the provisions provided for him in the Statutes."

इतनी आटोनोमी देहली युनिवर्सिटी ऐक्ट में है कि वाइस-चांसलर के एलेक्शन को उन्होंने स्टैट्यूट पर छोड़ दिया, और देहली युनिवर्सिटी ने खुद स्टैटयूट बनाये और उसमें उन्होंने अपना चुनाव का तरीका रखा। उन्होंने लेजिस्लेचर से आर्डर नहीं लिया बल्कि खुद वहां के प्रोफेसरों ने स्वयं स्टैट्यूस को बनाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया यह भी सोचने की बात है। अगर माननीय नवल किशोर जी की व्याख्या को हम मंजूर कर लें, तो सेलेक्शन कमेटी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वाइस-चांसलर के लिए आप सेलेक्शन कमेटी पसन्द नहीं करते, तो फिर प्रोफेसरों के लिए सेलेक्शन कमेटी क्यों, हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स के लिए सेलेक्शन कमेटी क्यों, लेक्चरर के लिए सेलेक्शन कमेटी क्यों और रीडर के लिए सेलेक्शन कमेटी क्यों ? और वह भी बाहर के दो एक्सपर्टस् उसमें होंगे। छोटे अधिकारियों के लिए और छोटे अध्यापकों के लिए तो आप सेलेक्शन कमेटी और एक्सपर्टस् की व्याख्या करेंगे, जो आउटसाइडर हो और युनिवर्सिटी का एम्पलाई भी न हो। लेकिन जो एकेडेमिक हेड, कीपर आफ दि यूनिवर्सिटी कांग्रेस है और जो विश्वविद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था का एकेडेमिक हेड भी है, जो शैक्षिक प्रधान भी है उसके लिये आप कोई सेलेक्शन कमेटी की व्यवस्था नहीं रखेंगे यह कहां का एकेडेमिक प्रिंसिपल है, यह कहां का शैक्षिक सिद्धान्त है ? तो यह जो उपाध्याय जी का संशोधन है उसमें केवल इतनी ही बात है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जिस प्रकार सेलेक्शन कमेटी का निर्माण लेक्चरार, रीडर या प्रोफेसरों के लिये किया करती है उसी प्रकार वाइस-चांसलर के लिये भी एक कमेटी का निर्माण करेगी। अब इसमें तारीफ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की बात यह है कि उसमें एक चांसलर महोदय का भी नामिनी होगा। हम इसको नहीं चाहते थे लेकिन हमने सरकार को एक मौका दिया, क्योंकि सरकार हमेशा ही चांसलर महोदय के अधिकार बढ़ाने को उत्सुक रही है। भले ही हम यह नहीं चाहते थे कि चांसलर का एक नामिनी इसमें रहे, लेकिन हमने सरकार की एक परीक्षा की कि नहीं इसमें एक नामिनी उसका भी रहेगा और उसे अपनी इच्छाओं के विपरीत रखा। लेकिन इसपर भी आपको एतराज हो गया और आपने यह कहा कि यह क्यों आ गया। फिर इसमें यह भी कहा गया कि एक मत कैसे हो पायेगा। तीन नाम से ज्यादा तो नहीं हो पायेंगे। मैं क्या कहूं? यही बात राजस्थान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में है। उसका मतलब यह है कि अगर उसका ठीक इंटरप्रेटेशन लिया जाय, तीन ही नाम छांटें, तीन से कम या ज्यादा का सवाल नहीं है। कम तो छांट सकते हैं, लेकिन ज्यादा न छांटें। तो इसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के २ नामिनीज और चांसलर का एक नामिनी मिलकर सम्पूर्ण क्षेत्र के किसी एक योग्य एजूकेशनिस्ट को छांट लें और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने पेश करें। अगर यह राजी नहीं होते तो दूसरे साहब राजी हो जायंगे। तो इस प्रकार युनिवर्सिटी ज्यादा हो जायगी। अगर आप राधाकृष्णनन् कमीशन की रेकमेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप को सेलेक्ट कमेटी बनानी पड़ेगी और स्वयं मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में प्रदेशीय सरकार को चिट्ठी लिखी है वह इसलिये लिखी है और उसमें लिखा है कि राधाकृष्णनन् कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ही आप इस बिल को बनायें। राधाकृष्णनन् कमीशन ने लिखा है कि वाइस-चांसलर को चांसलर एक्जीक्यूटिव कौंसिल की रेकमेंडेशन पर नियुक्त करेगा। दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जहां तक होगा एक मत से एक नाम भेजेगी चांसलर के पास और उसमें एलेक्ट भी इस प्रकार करेगी कि एक ही नाम एलेक्ट हो। अगर एलेक्शन की जरूरत हो और कनवेसिंग किसी प्रकार की नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कंवेसिंग करेगा तो वह डिस्क्वालीफाई हो जायगा। तो आप सोचें कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल किस प्रकार एक ही नाम दे सकती है। वह एक नाम तभी दे सकती है जब कि उसमें ऐसे नाम पेश हों कि जिन पर उसमें—एक्जीक्यूटिव कौंसिल में—कोई कंट्रोवर्सी न हो। ऐसे नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल नहीं उपस्थित कर सकती है, बल्कि वह काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है, अगर एक कमेटी हो जिस पर कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पूरा विश्वास हो, वह ऐसा आसानी से कर सकती है। तो इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल की ओर से एक नाम की सिफारिश होने के लिये सबसे अच्छा तरीका सेलेक्ट कमेटी का है। इसमें कोई बहस की बात नहीं है और दिल्ली और राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के ऐक्ट में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। यहां यह भी कहा गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी तक कभी एक नाम से ज्यादा भेजा ही नहीं गया। ठीक है, शायद एक दो बार और ऐसा ही हो, लेकिन हम तो उस समय की कल्पना कर रहे हैं कि जब माननीय गुप्त जी यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर न रहें। वह देश के बड़े नेता हैं, देश को उनकी आवश्यकता है और जैसा माननीय पंत जी के साथ हुआ कि उनको सेंटर में बुला लिया गया, उसी प्रकार अगर हमारे गुप्त जी को भी कहीं जाना पड़ा, वह भी अगर सेन्टर में चले गये, वह ट्रेजर, लखनऊ युनिवर्सिटी के न रहे तो फिर क्या होगा? फिर एकमत शायद न रहे। तो हमें तो सब परिस्थितियों के लिये एक विधान बनाना है। क्योंकि गुप्त जी रहें या न रहें इस हिसाब से तो हमें यूनिवर्सिटी का विधान बनाना नहीं है और फिर जो हमने कन्सेशन दिया है कि चांसलर का भी एक नौमिनी रहे सेलेक्शन कमेटी में, उस कन्सेशन को भी नहीं मानते हैं और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन की जो सिफारिश है उसको भी नहीं मानते हैं तो बलिहारी है इस सरकार की बुद्धि की।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से इम्पौर्टेंट क्लाजेज आ रहे हैं, जिन पर हम लोग कुछ समय और लेंगे और नारायणदत्त जी के कहने से जो कुछ ग़लतफहमी माननीय नवल किशोर जी को हो गई थी मेरे इस अमेंडमेंट के रखने से, उसे दूर करने की कोशिश की लेकिन वह सोचते ही नहीं हैं, इसलिये तब्दीली होने की आशा कम मालूम पड़ती है। जहां तक नारायणदत्त जी ने कहा उसी पर मैं भी जोर देना चाहता था। बस यही जोर दिया जा रहा है कि साहब पुराना सिस्टम जो है वह बहुत अच्छा है लखनऊ में.....

अधिष्ठाता—माननीय उपाध्याय जी हमारी तरफ मुखातिब हो कर कहें तो अच्छा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अधिष्ठाता महोदय, कभी-कभी उधर देख लेने से मुझे कुछ इन्सपिरेशन होने लगता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यही कह रहा था कि नारायण दत्त जी ने जिस चीज पर जोर दिया था कि आज मान लिया जाय कि गुप्त जी इतने सालों से चल रहे हैं, उनके रहते हुये कोई झगड़े की आशा मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर वह चले गये तो फिर क्या होगा, उसका भी तो इलाज हो। इसका मुझे खतरा है इसलिये पहले ही प्रावीजन क्यों न कर लिया जाय, नहीं तो फिर बिल लाने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे इस चीज का खतरा है। जो अमेंडमेंट सरकार की ओर से आया है मैं उसको बुरा भी नहीं कह रहा हूं और उसमें तो मुहर भी लग गयी है राधाकृष्णन कमीशन की, इसलिये सरकार ने जब मान लिया और अच्छा भी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन मेरे इस संशोधन में अगर कोई और डिफ़ेक्ट हो तो मैं इसे वापस लेने को तैयार हूं। मेरे अमेंडमेंट में कोई संशोधन तो बतायें, मेरे अमेंडमेंट में कोई संशोधन देते तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। खाली विरोध कर दिया नवल किशोर जी ने और वह भी इसलिये कि हम लोगों की तरफ से आया है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। डिफेक्ट्स बताये कि तुम्हारे संशोधन में यह डिफेक्ट्स है। वीरेन्द्रपति जी ने कहा कि दलबन्दी होगी। मैं उस दलबन्दी ही को तो बचाना चाहता हूं। तीन आदमियों के बाहर के नाम ले लें, एक हृदयनाथ कुंजरू जी का, एक आचार्य नरेन्द्रदेव जी का, एक राधाकृष्णन् जी का, तो दलबन्दी कहां रही? तीनों जो आदमी हैं इनमें से कोई हो जायगा। वह अच्छा रहेगा। तो दलबन्दी का कहां सवाल रहा? किसी के वे कैन्डीडेट भी नहीं हैं, तीन नाम सजेस्ट कर दिये हैं कि यह हिन्दुस्तान के बड़े विद्वान हैं, यह सब अच्छे हैं और इन तीनों के नाम कमेटी के सामने भेज दें। उसको तो कमेटी के सामने भेज देंगे तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर दलबन्दी कहां से शुरू होगी? मैं समझता हूं कि वह सबसे अच्छा सेलेक्शन होगा। दलबन्दी को दूर करने का वही तरीका है और अगर नहीं तो जो तरीका आप ने रखा है उससे क्या दलबन्दी नहीं होगी? जो तीन आदमियों के नाम एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने आगे को भेजे उनमें से एक अगर छंट गया और दो कम्बाइंड हो गये तो उस वाइस-चांसलर को वह चलने नहीं देंगे यूनिवर्सिटी में। हां, अगर एक ही नाम भेजते हैं तो कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। लेकिन तब फिर एक ही क्यों नहीं रख देते हैं? तीन की भी क्यों प्रथा रखी गयी? अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का तजुर्बा हमारा यह कहता है कि वहां से सिर्फ एक ही नाम आज तक भेजा गया तो फिर यह क्यों नहीं रखा जाता कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव एक के अलावा दूसरा नाम नहीं भेज सकती है? अगर ऐसा कर दें तो हमें तसल्ली हो जायगी कि चलो पार्टीबन्दी नहीं है, यूनैनिमसली उसका नाम चला जाता है। लेकिन जो आज की व्यवस्था है, जो वोट का तरीका है उसमें अगर ऐसा नहीं हो सकेगा कि सब एकमत हो जायं और तीन नाम भेजे गये तो ऐसा समझा जायगा कि तीन दल हो गये। उन्होंने तीन नाम भेजे। अगर उनमें वह आदमी नहीं है जिसे वह छांटना चाहते हैं तो फिर वह उन्हें वापस कर दें, फिर तीन आदमियों के नाम जायं, तो यह व्यवस्था सारी पार्टीबन्दियों की जड़ तथा सारे झगड़ों की जड़ होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो आदमी वहां जाय वह बाहर के आदमियों से छंटा हुआ व्यक्ति हो। जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, वही यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर हो सकें। इसलिये माननीय मंत्री जी मेरे इस बड़े महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार करें और भले ही वह कुछ संशोधन उसमें कर लें, लेकिन वह अवश्य इसे स्वीकार करें।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है मैं उस संशोधन से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि वह संशोधन, लखनऊ विश्वविद्यालय का जहां तक सम्बन्ध है उसकी उस परम्परा को बिगाड़ने वाला है जो परम्परा विश्वविद्यालय ने, उसके अध्यापकों ने, उसके विद्वानों ने और उसके कुछ सदस्यों ने जो कि विभिन्न समयों पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, बनाई है। क्या वजह है कि जब तक कोई ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुई जिसकी वजह से हमें उस परम्परा में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी हो, हम उस परम्परा को, संशोधन के द्वारा तोड़ने की कोशिश करें? हम सब प्रदेश के रहने वाले और खास कर वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध रखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कृतज्ञ हैं कि ऐसे समय में जब प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर के चुनाव के सिलसिले में संघर्ष रहा करता था। लखनऊ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने, उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक ऐसी परम्परा हमारे बीच में बना दी, जिसे हम आसानी से मान सकते हैं और जिस पर चलकर हम उस संघर्ष को बचा सकते हैं जिसको दूर करने के लिये हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये मूथम कमेटी की नियुक्ति की और उसी सिफ़ारिशों पर विचार करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये एक संशोधन कर के विधेयक उपस्थित करने की चेष्टा की। मैं नहीं जानता कि उस परम्परा को तोड़ने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है? आखिर को जिस परम्परा को जैसा मैंने कहा लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने बनाया, वे अध्यापक हमारी श्रद्धा के पात्र हैं और हम उनके ऋणी हैं और आज जब हम उपाध्याय जी के संशोधन को मान लें तो उससे वह परम्परा बिगड़ती है, वह परम्परा टूटती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो संशोधन इसी प्रकार का इसी सदन ने स्वीकार किया था और जो विधेयक इसी सदन में सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में उपस्थित हुआ उसमें जहां तक वाइस-चांसलर की नियुक्ति का विषय रहा, उसमें सरकार के ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय की परम्परा का बहुत असर पड़ा है और उसी परम्परा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में अभी उसी निर्णय को रखवाने की चेष्टा की है जो कि विधेयक में इस सदन के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इलाहाबाद में वाइस-चांसलर की नियुक्ति के विषय में कई दफ़े झगड़ा हुआ। कई दफ़े दूसरे नाम भेजे गये और उससे दुष्परिणाम उत्पन्न हुये। उन्हीं का निराकरण करने के लिये हमने एकमत वाली परम्परा को, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने हमारे बीच में ३४ वर्षों में बनायी है, उसको वहां चलाने के लिये इस विधेयक में प्रयत्न किया है। मैं नहीं समझता कि चाहे पहले की यूनिवर्सिटी में इस नयी प्रथा की स्थापना की गई हो, चाहे सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कोई नयी योजना वाइस-चांसलर की नियुक्ति के विषय में निर्धारित की गयी हो, उन सबके रहते हुये और उन सब सुझावों के रहते हुये कोई इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम लखनऊ विश्वविद्यालय की परम्परा को तोड़ें और जिन परम्पराओं को बनाने में डाक्टर बीरबल साहनी, डा० बहल, डा० कैमरन, डा० राधाकमल मुकर्जी, प्रोफ़ेसर सिद्धान्त और अन्य हमारे विश्वविद्यालय के प्रारम्भ काल के संचालकों ने हिस्सा लिया हो, हम आज उस परम्परा को उनकी अनुपस्थिति में तोड़ दें। साथ ही जब वह परम्परा ऐसी है जो कि उन विशेषज्ञों ने मान ली है [जो कि राधाकृष्णन् कमीशन के सदस्य थे...

श्री नारायणदत्त तिवारी—किन्होंने मान ली है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राधाकृष्णन कमीशनन् ने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कार्यकारिणी को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि वह एकमत से एक व्यक्ति का नाम चांसलर महोदय के पास वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिये सिफ़ारिश के रूप में भेजे। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तो यही मतलब है कि एकमत से एक नाम निर्णय किया जावे चाहे अनआफ़िशल ढंग से, चाहे आफिशल ढंग से उस कार्यकारिणी में बैठ कर। बहरहाल चेष्टा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यही होनी चाहिये कि एक ही नाम वहां भेजा जाय। जो सुझाव माननीय उपाध्याय जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है वह सुझाव अलावा उस आटोनोमी के अपहरण करने के, जिसका जिक्र अभी कई सदस्यों ने किया, वह कई और ऐसी बातें हमारे बीच में पैदा करता है कि जो कि हमें अव्यावहारिक सी मालूम होती हैं। दो व्यक्ति बाहर के, एक व्यक्ति चांसलर महोदय का नियुक्त किया हुआ, जिसे विश्वविद्यालय में और उसका कार्य करने में कि किस प्रकार से कार्य होता है, उसका कोई ज्ञान नहीं है, और तीसरा ऐसा आदमी मंजूर करते हैं जो कि कार्य करने में अध्यक्ष के नाते असमर्थ रहे, तो क्या यह बुद्धिमत्ता होगी, दूरदर्शिता होगी कि हम ऐसे तीन आदमियों के नामों पर विचार करें, जिनका कोई संबंध और जिनके विषय में कोई विचार कार्यकारिणी ने स्वयं नहीं किया है? अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति वाइस-चांसलर विश्वविद्यालय का नियुक्त किया जाय तो उसे कार्यकारिणी का सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होना चाहिये। वह तभी सम्भव हो सकता है जब कि उस व्यक्ति के चुनने में उनका हाथ हो जो कि कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। यदि हमने बाहर के तीन आदमियों की कमेटी नियुक्त कर दी और उन्होंने तीन बड़े-बड़े प्रख्यात व्यक्तियों के नाम जो इस प्रदेश के रहने वाले भी न हों, उनके नाम सिफारिश के रूप में भेज दिये हों, तो क्या बिना कार्यकारिणी के सहयोग के और बिना उनके साथ काम करके उनमें से चुना हुआ वाइस-चांसलर अपने कार्य की पूर्ति कर सकता है ? आखिर उस वाइस-चांसलर को रोजमर्रा के कामों में कार्यकारिणी के सहयोग से विश्वविद्यालय के कार्यों का संचालन करना पड़ेगा और कार्यकारिणी में अध्यापकों के अलावा बाहर के भी व्यक्ति होते हैं और वह व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो अपनी जगह पर रहते हुये विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन में दिलचस्पी रखते हैं तो किसी वाइस-चांसलर को अगर सफलता के साथ किसी विश्वविद्यालय का कार्य करना है तो यह तभी संभव हो सकता है जब कि उस बोर्ड का उसे सहयोग प्राप्त हो जिस संस्था का उसको नियुक्ति के विषय में सिफारिश करने के अधिकार मिले हुये हैं।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा परिस्थिति अधिनियम में है, जिसको कि हमने एक कानून के रूप में स्थान दिया है वही मौजूदा परिस्थिति रखी जाय और मानी जाय और वह मौजूदा परिस्थिति कानून के तहत में रहते हुये, परम्पराओं के तहत में रहते हुये यह कार्यकारिणी एकमत से एक नाम वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिये चांसलर महोदय के पास भेजेगी और इसके विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और उसके जो सीनियर टीचर्स हैं उन्होंने भी कुछ निर्णय किये हैं, कुछ सुझाव दिये हैं और उनमें उन्होंने इस सुझाव को मंजूर नहीं किया है कि बाहर के तीन आदमी कुछ नामों की सिफारिश एक्जीक्यूटिव कौंसिल को करें। अगर ऐसी बात हमारे बीच में नहीं है, न अध्यापकों ने सुझाव दिया है, न कार्यकारिणी ने सुझाव दिया और न पुरानी परम्पराओं के अनुसार यह सुझाव कोई व्यावहारिक सुझाव है तो फिर क्यों खामख्वाह इस नई चीज को इस विधेयक में रखने की चेष्टा की जाय ?

इसलिये मैं उपाध्याय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सबकी मंशा यह है कि एकमत से कोई नाम कार्यकारिणी द्वारा वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिये चांसलर महोदय के पास भेजा जाय तो इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राधाकृष्णन् कमीशन, मूथम कमेटी की रिपोर्ट और सेडलर कमीशन की रिपोर्ट्स में विश्वविद्यालय के विधान के विषय में जो बातें उपस्थित की गयी थीं उन सब ने वाइस-चांसलर की नियुक्ति के विषय में कुछ न कुछ बातें रखी हैं और जहां तक लखनऊ विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है उसमें सैडलर कमीशन की बुनियाद पर ही यह कोर्ट को नहीं दिया गया था और आज भी जो हमने नये विधेयक लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिये बनाये हैं, उनमें कोर्ट से अधिकार छीन लिया है, क्योंकि कोर्ट से चुना हुआ व्यक्ति काफी दिक्कत में पड़ जाता था। लोगों की खुशामद करनी पड़ती थी और काफी दौड़ना पड़ता था और यह खुशामद की प्रवृत्ति वाइस-चांसलर में काफी कमजोरी पैदा करती थी, उसके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न करती थी, जिससे वह अपने पद का स्तर ऊंचा नहीं रख पाता था।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसी कारण से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रचलित पद्धति का ही समावेश इन दोनों विधेयकों में किया गया और इस चीज़ को इनमें किया गया कि एकमत से नाम कार्यकारिणी द्वारा वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिये चांसलर के पास भेजा जाय।

मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा कि हम उपाध्याय जी के संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड का हवाला दिया। मैं नहीं जानता कि उसने कैसे यह सिफारिश कर दी। आखिर राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश तो मौजूद थी और इसमें अलावा राधाकृष्णन् के हमारे विश्वविद्यालय के दो बड़े अध्यापक डाक्टर बहल और प्रोफेसर सिद्धान्त जो इसके मेम्बर थे, उन्होंने इसमें कार्य किया और उन्होंने अपने सारे अनुभव को उन सिफारिशों में खींचकर रख दिया, जो अनुभव उन्होंने विश्वविद्यालय की तहत में कार्य करके प्राप्त किया था। ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का जो तजुर्बा है क्यों हम उसे बदल दें और क्यों उसके विपरीत कार्य करें? इसलिये मैं समझता हूं कि जो मौजूदा परिस्थिति है और जिसमें हमने थोड़ा संशोधन इस ओर ही किया है कि नियुक्ति एकमत से हो, तब हमें उसी को स्वीकार करना चाहिये और उसके विरुद्ध यदि कोई संशोधन आये तो उसको अस्वीकृत कर देना चाहिये। मैं इन चन्द शब्दों के साथ जो संशोधन, माननीय उपाध्याय जी ने उपस्थित किया है उसको मंजूर करने में असमर्थ हूं और उनसे यही निवेदन करूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उस परम्परा को तोड़ने की चेष्टा न करें जो उसके अध्यापकों ने, उसके सदस्यों ने वर्षों के विश्वविद्यालय के संचालन के बीच में हमारे सामने उपस्थित की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी --सेंट्रल ऐडवाइज़री बोर्ड आफ़ एजुकेशन में आपके नुमायन्दे ने क्या कहा था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब नुमायन्दे ने क्या कहा यह तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल मैं इस विधेयक को इस सदन में उपस्थित कर रहा हूं और अपने अनुभव की बुनियाद पर मैं क्या चीज सही समझता हूं उसको उपस्थित करता हूं और मैं यह कहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल में भी जो संशोधन रखा गया है, मेरे आग्रह व मेरी राय से रक्खा गया है और मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर रखा गया है। मैं यह कह सकता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो परम्परा एकमत से वाइस-चांसलर नियुक्त करने की है, उसने लखनऊ विश्वविद्यालय में वह दूषित वातावरण पैदा नहीं होने दिया है, जिस दूषित वातावरण को हम आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखते आये हैं। आज हमारा कर्तव्य है कि उस परम्परा का हम अनुकरण करें, जिसने हमें उस दूषित वातावरण से अलग रखा है न कि हम एक ऐसी चीज रखने की चेष्टा करें, जिससे कि विश्वविद्यालय के वातावरण में और दोष उत्पन्न हों।

अधिष्ठाता--मैं माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी के संशोधन को, जो इस प्रकार है आपके सम्मुख रखता हूं:--

खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० क स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"10—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and be selected and appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) A Committee of three educationists two of whom shall be persons not connected with the University or any college, nominated by the Executive Council, and one person nominated by the Chancellor, who shall also appoint one of the three as Chairman of the Committee shall select

not less than three persons and shall report its selection to the Executive Council. The Executive Council shall make recommendation to the Chancellor, on the persons so selected, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 10 की उपधारा (4) को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(4) No person—

(*a*) who has not been a teacher of a University for ten years, or

(*b*) who has not received adegree of Doctorate from a University, or

(*c*) who has at any time previously held the Office of Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8), shall be eligible for appointment."

अधिष्ठाता महोदय, कल जब माननीय गुप्त जी ने यह कहा था कि आज हमारा प्रदेश टीचर्स को, अध्यापकों को गौरवान्वित कर रहा है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को चीफ़ मिनिस्टर बना रहे हैं जो किसी समय टीचर रहा है, यह बात सुन करके सचमुच मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि गुप्त जी ने कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री के बोलने का जो ट्रेन्ड था, जब यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में उन्होंने भाषण और उत्तर दिया था तो टीचर्स को होल्ली कंडम किया, कम से कम माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के भाषण से इतना तो प्रकट ही हुआ है कि उन्होंने टीचर्स की कुछ रेस्पेक्ट (इज्जत) को तो मेंटेन किया और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण था, उस पर बहुत कुछ पानी फेरने का प्रयत्न तो किया। अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुप्त जी ने जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत किया उस समय इस बात को कहा था कि हमारा जो विधेयक प्रस्तुत है, राधाकृष्णन् कमीशन, मूथम कमेटी और आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी आदि की रिपोर्ट पर निर्भर है। मैंने वाइस-चांसलर की नियुक्ति की धारा देखी तो इतना जिम्मेदार पद होते हुये भी उसके लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गयी, कोई अनुभव उसकी कोई योग्यता नहीं है कि कौन वाइस-चांसलर हो सकता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि चाहे राज्य का छोटे से छोटा पद हो, हर एक पद के लिये, चाहे वह चपरासी का ही क्यों न हो, उसकी कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन रखी गयी है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि आखिर जो वाइस-चांसलर नियुक्त होगा वह कैसा व्यक्ति होगा? इस समय मेरे पास मूथम कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। माननीय नेकराम जी शर्मा पास में रखे हुये हैं, उसको पढ़ कर वह देख लें। मूथम कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की है कि जो वाइस-चांसलर हो वह एक एजूकेशनिस्ट (शिक्षा-शास्त्री) हो। जहां तक राधाकृष्णन् कमीशन का मत है, मैं आप की आज्ञा से उसके दो एक वाक्य पढ़ देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इतना और बता दूं, माननीय गुप्त जी ने यह कहा और जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी का यही कंवेशन (परिपाटी) रहा है कि वाइस-चांसलर (उपकुलपति) की नियुक्ति पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से यह कह देना चाहता हूं यद्यपि छोटे मुंह बड़ी बात होगी, इस यूनिवर्सिटी में जितने वाइस-चांसलर्स की नियुक्तियां हुईं उनमें डा० चक्रवर्ती और आचार्य नरेन्द्रदेव के अलावा जितने वाइस-चांसलर हुये हैं, प्रायः थर्ड ग्रेड के नान अकेडेमिशियन ही हुये हैं, एजूकेशनिस्ट नहीं थे। मैं आपको कई ऐसे नाम बता सकता हूं जिनमें बहुत से ऐसे थे जो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे, जिनका एजूकेशन के मामले में कोई अनुभव नहीं था। चूंकि यह यूनिवर्सिटी एरिस्टोक्रैटिक ढंग की रही है, इसलिये उसी एरिस्टोक्रैसी में से उनकी नियुक्तियां होती रही हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन

[श्री जोरावर वर्मा]

कमीशन के सामने जो श्री प्रद्युम्न जोशी ने गवाही दी है, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, शायद मेरी बात न मानी जाय। जो दूसरे वॉल्यूम का पार्ट वन है, उसके पेज १८३ पर प्रद्युम्न जोशी जी ने गवाही देते हुये कहा है—

"In our teaching Universities of Allahabad and Lucknow the tradition that has been followed so far has varied while the former has produced distinguished Professors to take over those responsibilities, in the latter after Dr. Chakravarty the place has invariably gone to non-academic men. It is growingly felt that a Vice-Chancellorship should be the crowning reward of a long academic life and should not become a subject of mere political loyalties."

अधिष्ठाता—इसका हिन्दी में तर्जुमा कर दीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसकी एविडेंस है ?

श्री जोरावर वर्मा—श्री प्रद्युम्न जोशी की। राधाकृष्णन् कमीशन के सामने उन्होंने गवाही दी है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राधाकृष्णन् कमीशन के सामने आप के जैसे भी आदमी जा सकते थे।

श्री जोरावर वर्मा—कम से कम जो यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित थे वही गये हैं आप जैसे। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था .....

अधिष्ठाता—आपने जो पढ़ा उसका तर्जुमा कर दीजिये।

श्री जोरावर वर्मा—श्री प्रद्युम्न जोशी ने साक्षी के रूप में कहा .....

श्री नेकराम शर्मा—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं वर्मा जी से जब से हमने शासन की बागडोर संभाली है तब से कितने डिप्टी कलेक्टर्स वाइस-चांसलर बनाये हैं ?

श्री जोरावर वर्मा—मैं इसी प्वाइंट पर आ रहा हूं, आप धीरज रक्खें। जहां तक राधाकृष्णन् कमीशन की राय है उसमें साफ दिया हुआ है कि ऐसा आदमी वाइस-चांसलर होना चाहिये जो बहुत ही शिक्षाशास्त्री हो और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति हो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट कमांड करता हो। यह राधाकृष्णन् कमीशन की राय है। मैं इस धारा में चाहता हूं कि यह चीज जोड़ दी जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा कि हुआ भी, बहुत से आदमी जिनका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है, सिर्फ पोलिटिकल बेसिस पर जिनको मिनिस्ट्री में कोई जगह नहीं मिली, ऐसे आदमी को यूनिवर्सिटी पर लादा जा सकता है। अधिष्ठाता महोदय, एक ए० वी० मिश्र हैं जो हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में प्रो० चांसलर थे। उन्होंने अपनी ओपीनियन पेज २२४ (उसी खंड के) पर राधाकृष्णन् कमीशन के सामने दी है और इस बात की ओर संकेत किया है कि राजनैतिक परिस्थिति को देखते हुये यह आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर नियुक्त करते समय यह ख्याल रखें कि वह शिक्षा शास्त्री हो, ऐसा आदमी न हो जिससे पोलिटिकल बेसिस पर उसे कोई जगह न मिली हो, इसलिये वह यूनिवर्सिटी पर लाद दिया गया हो। अधिष्ठाता महोदय, पेज २२४ में उन्होंने साक्षी के रूप में यह कहा है —

"The Vice-Chancellor should be a high ranking academician who can overawe the professors and inspire the students. Politicians make bad Vice-Chancellors, firstly, because they lack the academic virtue, and secondly because they are habituated to the use of foul methods of political strife."

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसने कहा है ?

श्री जोरावर वर्मा—ए० वी० मिश्र ने जो हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस के प्रो-चांसलर थे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——क्या कहा?

श्री जोरावर वर्मा—ए० वी० मिश्र ने अपनी राय दी जो मैंने पढ़ कर सुनायी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—समझ में नहीं आया, क्या कहा?

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि गुप्त जी या तो बात को सुन नहीं रहे हैं या उनके ईयर (कान) काम नहीं कर रहे हैं या माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। मैं इसके लिये क्या कर सकता हूं कि राधाकृष्णन् कमीशन ने ऐसे आदमियों की शिक्षा के सम्बन्ध में राय ली है, यह मेरा दोष नहीं है, राधाकृष्णन् कमीशन का दोष है।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता—(श्री जोरावर वर्मा से) आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय गुप्त जी प्रश्न और संदेह प्रकट कर रहे हैं। मुझे लाजमी है कि मैं उनकी शंकाओं का समाधान करूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिये ताकि मैं अपना भाषण पूरा कर सकूं।

अधिष्ठाता—कृपा कर शांति से सुनें, वर्मा जी के बाद आपको उत्तर देने या प्रश्न करने का अधिकार है। बीच में बार-बार टोकना ठीक नहीं मालूम होता।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि लोगों को यह शक पैदा हो सकता है जिनकी ओर मैंने संकेत किया। माननीय गुप्त जी जिनको बड़ा आदमी समझते हों अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं उसी का मत पढ़ कर सुना दूं। डाक्टर अमरनाथ झा की राय सुनाऊं? उनकी भी यही ओपिनियन है और आचार्य नरेन्द्रदेव की भी यही ओपिनियन है कि वाइस-चांसलर जो हो वह एजुकेशनिस्ट (शिक्षाशास्त्री) हो। इसलिये मैं यह समझता हूं कि वाइस-चांसलर जैसे पद के लिये हमें ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिये जो कम से कम कोई न कोई शिक्षा संबंधी क्वालिफिकेशन रखता हो। प्रोफेसर हुमायूं कबीर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं, उनकी भी यही राय है। मेरा यह संशोधन बहुत कुछ उन्हीं की राय पर आधारित है कि वाइस-चांसलर ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो किसी युनिवर्सिटी में कम से कम १० वर्ष तक अध्यापक रहा हो या किसी अच्छे कालेज में ५ साल तक प्रिन्सिपल रहा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को यह शक हो सकता है कि ऐसा आदमी भी यूनिवर्सिटी पर लादा जा सकता है जो शिक्षा से सम्बन्ध न रखता हो। जैसा कि माननीय नेकराम जी शर्मा ने कहा है कि कितने डिप्टी कलेक्टर्स वाइस-चांसलर हुये, यह चाहे न हुआ हो, लेकिन एजूकेशन संबंधी कोई क्वालिफिकेशन न रखते हुये बहुत से लोग वाइस-चांसलर हुये हैं। वाइस-चांसलर ऐसा आदमी होना चाहिये जिसको एजूकेशनल क्वालिफिकेशन तो हो ही और उसके साथ ही साथ वह यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल भी कर सके। गत वर्ष जैसा कांड इस यूनिवर्सिटी में हुआ मैं उसकी ओर संकेत नहीं करना चाहता। लेकिन यह बता देना चाहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी वहां के वाइस-चांसलर पर है जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सका। इसका कारण यही है कि अभी तक जो वाइस-चांसलर इस यूनिवर्सिटी में हुए उनका एजूकेशन से कोई सम्बन्ध नहीं था। शिक्षा मंत्री और गुप्त जी ने यह कहा था कि टीचर्स ने ही ऐसा किया है और शिक्षा मंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि कुछ पोलिटिशियन टीचर्स ऐसे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में यह सब गड़बड़घुटाला किया। मैं आपको क्या बतलाऊं? यह ठीक है, उनकी ऐसी राय हो सकती है, लेकिन जितनी पुस्तकें और कमीशन्स की रिपोर्ट मैंने देखी हैं उनमें उसी प्रकार पढ़ा है, देखा है कि यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर ऐसा व्यक्ति नहीं होना

[श्री जोरावर वर्मा]

चाहिये जिसकी कुछ क्वालिफिकेशन न हो, वह नॉन अकेडेमीशियन न हो। क्योंकि वह यूनिवर्सिटी के टीचर और विद्यार्थियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वह उनमें कांफिडेंस पैदा नहीं कर सकता है। इसलिये मैंने जो यह संशोधन रखा है तो हमारे मंत्री जी कम से कम इस पर विचार तो करें। यह ऐसी कोई बात नहीं है जो सिद्धांत के विरुद्ध हो। यूनिवर्सिटी ही सबसे बड़ा शिक्षा का केन्द्र है। वहां से सबको ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है और हमारे देश के लिये वहीं से नेता पैदा होने हैं। ऐसी जगह पर कोई बड़ा विद्वान ही होना चाहिये। हमारे गुप्त जी को मालूम है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत से विख्यात डाक्टर हैं, लेकिन उनमें से किसी भी डाक्टर को आज तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वह यूनिवर्सिटी के इस जिम्मेदार पद पर बैठ सके हों। मैं माननीय गुप्त जी से अनुरोध करूंगा कि मेरा यह संशोधन उपयुक्त और छोटा सा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उनके सिद्धांत के विरुद्ध जाती हो। इन शब्दों के साथ मैं उससे फिर अनुरोध करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे दुख है कि मेरे मित्र वर्मा जी ने जिस भाषा में इस संशोधन को सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है वह भाषा कम से कम उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जिसने कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी कार्य किया हो। एक अशिक्षक ही, इन विश्वविद्यालयों के बारे में जिन्होंने एकमत से अपने वाइस-चांसलर का चुनाव किया है, उसके बारे में इस प्रकार का आक्षेप कर सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने महज विश्वविद्यालय के अध्यापकों को ही नहीं बनाया, बल्कि उसने अपना वाइस-चांसलर ऐसे लोगों को भी बनाया है जो बड़े-बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, जो बड़े-बड़े विद्वान भी रहे हैं और त्यागी भी रहे हैं और जिन्होंने अपने त्याग से विद्यार्थियों में और वहां के अध्यापकों में एक इन्सपिरेशन पैदा किया है। उनके कथन में लखनऊ में थर्ड ग्रेड वाइस-चांसलर नियुक्त किये गये हैं। डा० परांजपे लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हुये हैं, जगतनारायण मुल्ला लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हबीबुल्ला हुये हैं, लेकिन वह कैसे व्यक्ति थे ? वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर तजुर्बा हासिल किया था और जो अपनी अपनी जगह पर काफी योग्यता रखते थे। अगर वर्मा जी का कथन यह है कि सिर्फ अध्यापक जिन्होंने डाक्टरेट की डिग्री ले ली है और १० साल तक नौकरी कर ली है वही व्यक्ति वाइस चांसलर के उपयुक्त हो सकते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके विचारों का दायरा बहुत संकुचित है। यह सत्य है कि जो वाइस-चांसलर नियुक्त किये जायं वह योग्य होने चाहिये और वह ऐसे व्यक्ति होने चाहिये, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया हो और योग्यता प्राप्त की हो और वह व्यक्ति वाइस-चान्सलर के पद पर रह कर वाइस-चांसलर के पद को सुशोभित कर सकते हैं और वही कार्यभार का सम्यकरूप से संचालन कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ने जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया है क्या वह ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यभार नहीं संभाल सकते थे ? क्या उनके अन्दर इतनी योग्यता नहीं थी ? आचार्य नरेन्द्रदेव और डाक्टर चक्रवर्ती का उन्होंने नाम लिया। आचार्य जी हमारे साथी रहे हैं और उनकी हम इज्जत करते हैं लेकिन जिस वक्त मैं आचार्य नरेन्द्रदेव का नाम वाइस-चांसलर पद के लिये ले कर गया तो वहां पर जो बड़े-बड़े डाक्टर थे और पंडित थे उन्होंने कहा कि यह क्या विद्यार्थियों का स्कूल है जो उनका नाम लाये हो। यह तो स्कूल के एक अध्यापक रहे हैं। लेकिन वह वाइस-चांसलर नियुक्त हुये और उनके कार्य की सब लोगों ने प्रशंसा की। तो आप का यह कथन कि डाक्टर ही जिसने डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली हो, वही वाइस-चांसलर पद के लिये उपयुक्त है वह उचित नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर डाक्टर ही हर बात का पंडित नहीं है जो कि वाइस-चांसलर के पद को सुशोभित कर सकता हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अनुसंधान कर सकते हैं और अपना समय लेबोरेट्री में अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन वह शासन कार्य को नहीं चला सकते, क्योंकि वे इस योग्य नहीं होते । मैंने विश्वविद्यालय के बड़े-बड़े अध्यापकों को और अपने गुरुजनों को देखा है जो कि बड़े सीधे और पढ़ाने में योग्य थे और कोटेशन्स उद्धृत कर सकते थे लेकिन वह कभी भी वाइस-चांसलर के पद को सुशोभित या उसके कार्यभार को नहीं चला सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आशुतोष मुकर्जी, जयकर इत्यादि ने कहीं अध्यापक का कार्य किया ? वे ऐसे व्यक्ति हैं और होंगे भी जिन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाकर योग्य बनाया है, लेकिन अगर आज वाइस-चांसलर की नियुक्ति में अगर हम उसके दायरे को सीमित कर दें तो यह बहुत गलत बात होगी। बहुत से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो अपने विषय में बहुत विद्वान होते हैं मगर यह लाजमी नहीं है कि वे सभी अच्छे वाइस-चांसलर भी हो सकें । हमारा दुर्भाग्य है कि आज प्रवृत्ति यह है कि अगर किसी आदमी को बड़ी ऊंची तनख्वाह मिलती रही हो और उसे वाइस-चांसलर बना दिया जाय तो उसके पीछे सब चलने के लिये तैयार रहते हैं। क्या डाक्टर साहनी, बहल, राधाकमल मुकर्जी और प्रोफेसर सिद्धांत ऐसे व्यक्ति नहीं थे, जिनको नियुक्त किया जा सकता था ? लेकिन यह कहना सभी इस योग्य हैं जो १० वर्ष तक टीचर रहे हों, गलत होगा । मैं कहता हूं कि यह कहना एक शर्म का और गैरजिम्मेदारी का कथन है जिसे विश्वविद्यालय के हित में नहीं कहना चाहिये। मुझे दुख है कि उन्होंने थर्ड रेट और थर्ड क्लास आदमियों की बातें कहीं । वे ऐसा कहकर उन लोगों पर चपत लगा रहे हैं जिन्होंने उनके चुनने में हिस्सा लिया है । यह बात उन बहुत से विद्वानों के लिये लागू होती हैं जो आज जीवित नहीं हैं और आप उनकी ख्याति पर धब्बा लगाते हैं। मैं ऐसे आदमियों की राय मानने के लिये तैयार नहीं हूं जो कि इन विषयों पर कोई ठीक राय न दे सकें। विश्वविद्यालय के साथ यह विश्वासघात करना है कि आज जो व्यक्ति नहीं हैं उनको और विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और अध्यापकों को चपत लगावें कि तुमने निकम्मे आदमियों को रखा है। एक परम्परा और मर्यादा के अन्दर रहकर ही हमें आलोचना करनी चाहिये और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो कि हमारे विश्वविद्यालय के स्तर को नीचे की ओर ले जावें। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह मानते हैं कि अगर एक टीचर इस काबिल है कि वह वाइस-चांसलर बनाया जावे तो उसका आखिरी कैरियर वाइस-चांसलर की नियुक्ति में खत्म होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे टीचर हैं तो उनकी नियुक्ति की जाय, क्योंकि उनका शिक्षा का क्षेत्र रहा है और उन्हें अवश्य उस पद को सुशोभित करके विश्वविद्यालय से हटना चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो कहें कि विश्वविद्यालय के अध्यापकगण जो कि योग्य हों, जिन्होंने जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया हो, उनको वाइस-चांसलर के पद से वंचित कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति वाइस-चांसलर के पद पर की जाय । लेकिन अगर हम विश्वविद्यालयों के इतिहास को देखें तो हमें पता लगेगा कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालयों की रचना की है, जैसा कि मदनमोहन जी मालवीय कोई शिक्षक नहीं थे उन्होंने एक काशी विश्वविद्यालय जैसी संस्था की रचना की, लेकिन वे कहीं भी शिक्षक, पंडित या विद्वान् नहीं रहे । वे देश के एक नेता थे और उन्होंने नेता के रूप में रह कर उस विश्वविद्यालय की रचना की । इसी प्रकार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना सैयद अहमद खां साहब ने की, वह भी कोई अध्यापक नहीं थे । उन्होंने विश्वविद्यालय की रचना करके लोगों को एक नया मार्ग दिखलाया । लेकिन आप ऐसा प्रतिबन्ध लगा कर ऐसे लोगों को रोक देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय में अध्यापकों को नियुक्त करें अगर वे इस योग्य हों । लेकिन क्या आपको ज्ञात नहीं हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस के तहत में तमाम गड़बड़ियां हुयीं ? किसके तहत में हमारे सामने तमाम शिकायतें आयीं । क्या श्री महाराज सिंह के जमाने में शिकायतें आयीं ? क्या आचार्य नरेन्द्रदेव के जमाने में शिकायतें आयीं ? शिकायतें उन्हीं लोगों के सामने आयीं जिनको आप पंडित कहते हैं। डा० अमरनाथ झा का नाम लिया जाता है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे एक बहुत बड़े विद्वान् हुलेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि शिकायतें आना उसी समय से प्रारंभ हुआ जबकि वे ही वहां

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के वाइस-चांसलर हुये ? क्या आपको पता नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी की शिकायतें आनी जब से प्रारम्भ हुयीं तब वहां कौन वाइस-चांसलर था ? लिहाजा हमें ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिये। आपको ऐसे व्यक्तियों पर लांछन नहीं लगाना चाहिये, जिनको सब लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। आपका इशारा आचार्य जुगुलकिशोर जी की तरफ था। आचार्य जुगुल किशोर जी आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उन व्यक्तियों में से हैं जो वहां के बहुत अच्छे विद्यार्थियों में से रहे हैं। आज उनके साथी चीफ जस्टिस होकर चले गये तो अगर उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो कौन सी गलती कर दी गयी ? क्योंकि वे एक सीधे आदमी हैं, वे किसी के विरुद्ध कुछ कहना पसन्द नहीं करते। क्योंकि वे किसी एक विशेष पार्टी के आदमी हैं, इसलिये आप उनका मजाक इस सदन में उड़ाते हैं। यही नहीं, मैं ऐसी तमाम बातों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना चाहता हूं और आदरपूर्वक माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि किसी के प्रति हमें इस प्रकार के विचार प्रकट करने नहीं चाहिये। हमें ऐसी परम्परायें बनानी चाहिये जिसका दूसरे भी अनुसरण कर सकें। अगर हम आलोचना भी करें तो हमें उन्हीं परम्पराओं के तहत करनी चाहिये। हम जो बातें करते हैं विद्यार्थी उनका अनुकरण करेंगे। अगर हम विश्वविद्यालय में अनुशासन चाहते हैं, वहां के अध्यापकों में अनुशासन चाहते हैं तो हमें नयी परम्पराओं के अन्दर चलना होगा और जो व्यक्ति वहां आदर के स्थानों पर बैठे हुये हैं उनका निरादर करने की चेष्टा करना, उनको जनता की नजर में गिराना उचित और मुनासिब नहीं है। अगर हम विश्वविद्यालयों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें उनको उच्च दृष्टि से ही देखना होगा।

आपने डाक्टरेट की बात कही। ठीक ह अगर कोई वाइस-चांसलर डाक्टर होता है तो बहुत ही अच्छा है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन और जो दूसरे विद्वान् लोग हैं उनके लिये जो आप रोक लगाना चाहते हैं इस संशोधन के द्वारा वह ठीक नहीं है। चूंकि यह संशोधन पाबन्दी लगाता है इस कारण से मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता और सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन इस संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान न करे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं। मैंने इस संशोधन को बड़े ताज्जुब से पढ़ा। जहां तक किसी पद के लिये क्वालिफिकेशन लगाने का सम्बन्ध है उसमें बहुत सारी आपत्तियां हैं, जहां तक सरकारी पदों का सम्बन्ध है, जैसे सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि के लिये बंधन लगाया जाता है कि इतनी योग्यता इन के लिये रक्खी जाय। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि मेरे माननीय मित्र ने वाइस-चांसलर के पद के लिये भी बन्धन लगाने की चेष्टा की है। जहां तक भारत के विधान का सम्बन्ध है मुझे नहीं मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रांत के चीफ मिनिस्टर के लिये इस प्रकार का कोई बन्धन लगाया गया हो या कोई क्वालिफिकेशन रखी गयी हो कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जब तक कि कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं रखता है तब तक उस पद पर वह नहीं बिठाया जा सकता है। वाइस-चांसलर के लिये उन्होंने तीन बातें रखी है और उसमें आर, आर (or, or) शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात् पहले या तो वह टीचर होना चाहिये, टीचर किस यूनिवर्सिटी के हों इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आजकल तरह-तरह की यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। कुछ संगीत की भी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, आखिर किस यूनिवर्सिटी से उनका मतलब है ? उन्होंने कहा है कि वह १० वर्ष तक टीचर रहा हो, वह कहां का टीचर हो, रीडर हो या प्रोफेसर हो इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। वह अच्छा टीचर हो या बेकार टीचर हो, अच्छा हो या कैसा हो, इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई १० वर्ष तक टीचरी कर ले तो वह वाइस-चांसलर के योग्य माना जायगा। फिर आप फरमाते हैं कि डाक्टर की डिग्री उसके पास होनी चाहिये। इसका भी स्पष्टीकरण आपने नहीं किया कि आनरेरी डाक्टर हो या उसने बाकायदा कुछ पढ़ कर, रिसर्च करके डाक्टरी हासिल की हो। इससे मतलब यही मालूम होता है कि शायद इसमें आनरेरी डाक्टर नहीं आवेंगे। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो जैसा कि हमारे

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हमारे यहां के बहुत सारे योग्य व्यक्ति, जैसे मौलाना आजाद हैं, जो इस वक्त केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हैं, अगर यह बन्धन लगा दिया जाय तो मेरे खयाल में वे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर नहीं हो सकेंगे। और भी बहुत से व्यक्ति जो अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं जो शिक्षित हैं और शिक्षा की योग्यता के कारण अगर वे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर बना दिये जायं तो उस पद की शोभा होगी। लेकिन अगर इन बन्धनों को मेरे मित्र रखेंगे तो मेरे ख्याल में इस माप से बहुत से लोग गिर जायेंगे। फिर एक सिद्धांत का सवाल आता है और मेरे माननीय मित्र ने मूथम कमेटी की रिपोर्ट की ओर भी संकेत किया। कुछ टीचर की तरफ़ से मांग आयी थी कि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर टीचर्स ही हों। इस पर मूथम कमेटी ने गहराई के साथ रोशनी डाली है। मूथम कमेटी ने बतलाया है कि किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं होना चाहिये। अगर कोई टीचर या कोई डीन या कोई प्रोफ़ेसर हो जिसे इस पद के लिये एक्जीक्यूटिव कमेटी नामजद कर दे तो कोई वजह नहीं है कि सिर्फ इसलिये कि वह टीचर है वाइस-चांसलर के पद पर न रखा जाय। लेकिन मूथम कमेटी ने भी कहा है कि यह सिद्धांत रखना कि केवल टीचर ही वाइस-चांसलर हों, यह भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि आज जो वाइस-चांसलर का काम करते हैं वे केवल शिक्षा का ही काम नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ-साथ उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को देखते हुए बहुत मुमकिन है कि कोई टीचर या प्रोफेसर या डीन हो सकता है जिसकी शिक्षा के काम में इतनी लगन हो कि वह दीन-दुनिया को ही भूल गया हो और उसे अगर वाइस-चांसलर के पद पर बैठा दिया जाय तो बहुत मुमकिन है कि वह उस कार्य को ठीक से कर सकने में असमर्थ हो। इसमें कोई निन्दा की बात नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि एक विशेष गुण के आदमी को ही वाइस-चांसलर के पद पर जाना चाहिये। आज उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गयी है जिनमें शासन के भी बहुत से काम हैं और उसके लिये केवल टीचर्स ही हों और बाहर का कोई न हो, इसके लिये मूथम कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस सिद्धांत को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं। मैं अपने माननीय मित्र से बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह के बन्धन लगाने की चेष्टा करने में कोई मुनासिब बात नहीं है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल नाम भेजेगी तो कम से कम यह समझ लेना चाहिये कि वह जिम्मेदारी से तीन नाम भेजेगी, वह किसी गैरजिम्मेदार आदमी का नाम नहीं भेजेगी, वह किसी चलते-फिरते आदमी का नाम नहीं भेजेगी। वह जो तीन नाम भेजेगी वह बहुत सोच समझ कर भेजेगी कि ये लोग वाइस-चांसलर के पद के काबिल हैं कि नहीं हैं और जाहिर है कि जब किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर के पद के लिये नामजद करते हैं तो उसकी योग्यता और शिक्षा भी देखी जाती है और कोई वजह नहीं है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल इन तमाम बातों को न देखे। माननीय मंत्री जी ने तो बहुत ही विशेष रूप से इस सम्बन्ध में कहा और मैं तो केवल थोड़े से शब्दों में ही इसका विरोध कर रहा हूं और मेरी समझ में यह बहुत ही नामुनासिब संशोधन है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इधर से क्लोजर मूव होने से हमारे बहुत से बोलने वाले बोलने से रह गये। मुझे दुख है कि माननीय गुप्त जी ने इस संशोधन को मालूम नहीं किस लाइट में लिया, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम हो गया कि जिसके पैर में बिवाई नहीं फटती है उस को पराई पीर मालूम नहीं होती। माननीय गुप्त जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और टीचर्स की जिस भाषा में निन्दा की उस भाषा का मैंने प्रयोग नहीं किया और न मैं अपने को उस तरह की भाषा का उपयोग करने का अधिकारी ही समझता हूं, लेकिन मुझे इतना अनुभव तो हो ही गया.....

अधिष्ठाता—उनकी भाषा पार्लियामेंटरी थी, अगर वह पार्लियामेंटरी न होती तो मैं उनको रोक दिये होता।

श्री जोरावर वर्मा---आप ने कृपा करके मुझे भी नहीं रोका, इसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा कैसी ही रही हो, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की निन्दा अवश्य की । इसी वाइस-चांसलरी के चुनाव के लिये वहां भ्रष्टाचार रहा.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने "भ्रष्टाचार" शब्द कभी नहीं कहा ।

श्री जोरावर वर्मा---अगर पुरानी कारेस्पांडेंस को देखा जाय तो कई बार.....

अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी ने इस समय जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने शब्द "भ्रष्टाचार" का प्रयोग नहीं किया ।

श्री जोरावर वर्मा---मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी खराबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रही हो, वाइस-चांसलर के चुनाव में, लेकिन उसकी ओर संकेत अवश्य हुआ था। यह तो निश्चय ही है और इस को सभी शिक्षा शास्त्री जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर के चुनाव में गुप्त जी द्वारा कथित गड़बड़ी और पार्टीबंदी के होते हुये भी उस विश्वविद्यालय ने ऐसे-ऐसे विद्यार्थी पैदा किये हैं कि जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने सौभाग्य प्राप्त किया है . . . .

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसे एक तो आप ही हैं।

श्री जोरावर वर्मा---जी नहीं, मैं वहां का विद्यार्थी नहीं हूं । इसके सबूत में मैं यह भी बता दूं कि आप अपने सेक्रेटेरियट को ही देख लें तो आप को मालूम हो जायगा कि यहां के काम करने वाले कम से कम ६० प्रतिशत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही आये हुए हैं और वहां पर हमेशा जो भी वाइस-चांसलर रहे हैं वह शिक्षा शास्त्री रहे हैं । मंत्री जी ने कहा है कि मैंने कोई बेसिक या प्राइमरी स्कूल कभी नहीं खोला । मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने कई प्राइमरी स्कूल खोले हैं और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का अध्यापक रहा हूं और हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों में वाइस-प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी रह चुका हूं और मुझे बहुत कुछ शिक्षा का अनुभव भी है । अगर मुझे से शांति से कहा जाता तो मैं आसानी से अपने संशोधन को वापस ले लेता, जो संशोधन यहां आते हैं यह जरूरी नहीं है कि वह मान ही लिये जायं। लेकिन अफ़सोस यह है कि सुझाव रूप में संशोधन लाने पर किसी के लिये यह कहा जाय कि वह कुछ नहीं जानते यह सदस्यों का अपमान है। ऐसी बातें कर के तो सदन के उस अधिकार को ही एक प्रकार से छीन लेना है जो सदन के सदस्य होने से प्राप्त हुए हैं । मंत्री जी ने कहा है कि हम उन लोगों के साथ इनसल्ट कर रहे है जिन्होंने ऐसा कहा है मैं क्या बताऊं ? क्या माननीय मंत्री जी सचमुच चाहते ही हैं कि ऐसा ही हो ? तो माननीय उपाध्याय जी ने जो एक संशोधन रखा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसी गड़बड़ी हुयी थी उसके लिये एक जांच कमेटी नियुक्त कर दी गयी थी। आप कहते हैं कि यहां यूनिवर्सिटी में कोई गड़बड़ी नहीं है । तो यह तो और भी आवश्यक हो जाता है और जो इस बात का सबूत भी है कि आप एक जांच कमेटी नियुक्त कर देते ताकि लोगों को मालूम हो जाता कि वास्तविकता क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सिर्फ़ आपकी अकेले की मांग है।

श्री जोरावर वर्मा---जी नहीं, उपाध्याय जी ने अपने भाषण में जांच कमेटी की मांग की थी मैं तो यह जानता हूं कि आप जांच करवाना नहीं चाहते और इसीलिये वहां जांच हो नहीं रही है। यह कौन नहीं जानता कि आज प्रदेश का सिंहासन हिल रहा है, वह आपके संकेत पर हिल रहा है । यूनिवर्सिटी क्या आपके संकेत पर सारे सूबे का शासन हिल रहा है । यह कौन नहीं जानता, यह कहने की बात थोड़े ही है जिसे आप कहते हैं ? किसी व्यक्ति पर कटाक्ष करने का मेरा आशय नहीं था । मैं कब कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को अनुभव नहीं है । माननीय मंत्री जी बहुत

अनुभवी हैं, बड़ी सेवायें उन्होंने की हैं और सेवायें करके बहुत अनुभव प्राप्त किया है। मैंने अपने बल पर बहुत सी बातें कही हैं लेकिन वह मूथम कमेटी और राधाकृष्णन् कमेटी को पढ़ने की कृपा करें।

डाक्टर सीताराम---उसके पृष्ठ १५४ को देख लें।

श्री जोरावर वर्मा---जी, आपके पहले ही उसे पढ़ बैठे हैं। माननीय मंत्री जी तो खुद ही अथारिटी हैं चाहे जो कुछ कहें लेकिन आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि कोई कमेटी ऐसी नहीं है जिसने यह सुझाव न दिया हो कि कोई न कोई शिक्षा-योग्यता का प्रतिबन्ध वाइस-चांसलर के चुनाव के लिये अवश्य होना चाहिये। मूथम कमेटी को देखिये। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अच्छे एजूकेशनिस्ट, शिक्षा विद को वाइस-चांसलर चुना जाना चाहिये। राधाकृष्णन जी ने भी, जो इस देश के ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात विद्वान् हैं उन्होंने भी यही स्पष्ट राय दी है कि एमीनेंट एजूकेशनिस्ट विख्यात शिक्षा शास्त्री इस पद पर रहने चाहिये। मैंने पहले जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल चल रहा था तब माननीय राधाकृष्णन् कमेटी की जो राय थी वही शब्द लिखकर संशोधन रूप में रख दिया था तब तो हमारे उधर के माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि आपका जो अमेंडमेंट है वह वेग (अनिश्चित) है, इसमें डिस्क्रिप्शन खुला हुआ नहीं है। अगर अब जरा सा खुलासा कर दिया तो उसकी व्याख्या होने लगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---जरा दम लेकर कहिये।

श्री जोरावर वर्मा---जी हां, मेरे तो इतना दम है कि कितने बेदम हो चुके हैं।

(सदन में हंसी छा गई)

अधिष्ठाता---आप रामकुमार जी शास्त्री की सलाह से काम न लीजिये और अपना भाषण जारी रखिये।

श्री जोरावर वर्मा---आप अधिष्ठाता महोदय, कृपया उन लोगों को शांत करके मेरी मदद कीजिये।

अधिष्ठाता---मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को सदन में शांति रखनी चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा---जी, यही मदद मैं श्रीमन् से चाहता हूं। अभी हमारे माननीय काटजू साहब ने एक बात और कही कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल कुछ इधर-उधर के आदमियों को तो चुन नहीं लेगी। यही तो शिकायत है कि वह ऐसे ही आदमियों को चुन लेती है। जब लोगों को मिनिस्टरी में, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीशिप और स्पीकरी में जगह नहीं मिलती तो यहां लाकर यूनिवर्सिटी पर उसको लाद दिया जाता है। मैंने आपको दो-तीन कमेटियों की, उनके विद्वानों की रायें पढ़कर इस सम्बन्ध में सुनाई हैं। डाक्टर अमरनाथ झा ने तो साफ़ शब्दों में कहा है कि ऐसे आदमियों को यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर जैसे महान् पद के लिये नहीं रखना चाहिये। यह बात साफ़ झलकती है कि आप यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, बनाये हुये हैं और पार्टी पालिटिक्स बढ़ा रहे हैं। यह तो अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षा में इस प्रकार के बंधनों को तोड़ते जाते हैं वह चाहे जो हों आज आगे बढ़ लें और बंधनों को तोड़ लें लेकिन दुनियां उनका स्वागत नहीं कर सकती, चाहे वह मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो और चाहे कोई भी कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उसे सेवा करने से कौन रोक सकता है? महात्मा गांधी ने हमारे देश में जन्म लेकर इसका एक आदर्श हमारे सामने रख दिया है। सेवा की भावना हमें उनका आदर्श अपने सामने रख कर सीखनी चाहिये और अपने में लाना चाहिये। महात्मा गांधी आजन्म देश की सेवा करने पर भी उस पार्टी के चार आने के सदस्य भी नहीं हुए। तो ऐसे लोगों को सेवा करने से कौन रोक सकता है? अगर उनका भी ऐसा ही विचार होता (मंत्री जी की ओर संकेत करके) तो वे राष्ट्रपति बन

[श्री जोरावर वर्मा]

सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके विपरीत देश के सामने एक आदर्श रखा । मैं चाहता हूं कि अगर वह वास्तव में महात्मा गांधी के आदर्श को अपना आदर्श मानते हैं तो उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करना ही चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने डाक्टर जयकर, आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे व्यक्तियों के लिये कहा कि वे कुछ नहीं थे । आचार्य नरेन्द्रदेव देश के गिने चुने शिक्षा शास्त्रियों में से हैं लेकिन उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं थे ।

अधिष्ठाता—नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री जोरावर वर्मा—उन्होंने कहा था कि वह बहुत ही छोटे थे । उन्होंने डाक्टर आशुतोष, डाक्टर जयकर और आचार्य नरेन्द्रदेव का नाम लिया था । पता नहीं कि उन्होंने कहते हुये यह अनुभव भी किया था या नहीं कि उनके नाम के साथ डाक्टर भी लगा हुआ है । शायद उन्होंने यह शब्द पहले ही पढ़ हो । डाक्टर तो वाइस-चांसलर हो ही सकता है चाहे वह डिगरी आनरेरी हो अथवा यूनिवर्सिटी की । डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी भी हैं और मैं समझता हूं कि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड इतना नीचा नहीं हुआ है कि वह फालतू लोगों को भी डिगरी दे दे । (काफ़ी हल्ला-गुल्ला होने पर)

अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री जोरावर वर्मा—इस प्रकार का शोर हो रहा है और उसमें भी मैं अपना भाषण जारी रखूं यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? आखिर इसमें परेशान होने की क्या बात है, पता नहीं चलता । वास्तविक बात यह है कि भाषण बहुत ही चुटीला है और इसलिये सहा ही नहीं जाता है । तो मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डाक्टर आशुतोष और डाक्टर जयकर जैसे व्यक्ति अब आ ही नहीं सकते हैं । पता नहीं कि उन्होंने क्या सोच कर कहा ? अगर वह शिक्षित व्यक्ति को ही वाइस-चांसलर बनाना चाहते हैं तो मेरे संशोधन में भी डाक्टर शब्द रखा हुआ है और इसको मानना तो उनके लिये गर्व की बात होती । मदनमोहन मालवीय जी के बारे में कहा गया । जहां तक मुझे मालूम है वह वाइस-चांसलर कभी नहीं रहे । दूसरे व्यक्तियों को उन्होंने इज्जत दी और यूनिवर्सिटी की जो सेवा वह बाहर से कर सकते थे उन्होंने की ।

अधिष्ठाता—पं० मदनमोहन मालवीय वाइस-चांसलर रहे हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—लेकिन अपनी दुर्बलता को उन्होंने छिपाया तो नहीं और इसमें कोई शक नहीं कि वह महान् विद्वान् समझे गये । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उस दल से कहना चाहता हूं कि अगर वह यह समझते हों कि शिक्षा सम्बन्धी कोई योग्यता होनी चाहिये वाइस-चांसलर की, किसी रिकग्नाइज्ड डिगरी की बात हो, तो मैं यह सारे बंधन हटा लेता हूं, अपना संशोधन मैं वापस ले लूंगा अथवा उनके भावों के अनुसार उसमें हेर फेर कर दूंगा वह अपना सुझाव पहले दे लें कि वे क्या योग्यता रखना चाहते हैं । लेकिन मैं पहले यह बात समझना चाहता हूं कि वह कोई बंधन लगाना चाहते हैं या नहीं । ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट में जिसे कोई जगह न मिल सके उसको यूनिवर्सिटी पर लाद दिया जाय । अधिष्ठाता महोदय, इसमें मुझे कोई जिद नहीं, लेकिन आज यूनिवर्सिटियों की बड़ी बेइज्जती हो रही है और यह कहा जा रहा है कि पार्टीबंदी के आधार पर सेलेक्शन वहां हो रहा है । माननीय काटजू साहब ने एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बड़ी तारीफ की । वह तो कठपुतली है चांसलर के हाथ में । वहां चांसलर ही सब कुछ है, उसके ही नामिनीज ज्यादा से ज्यादा उसमें है । मैं तो कहता हूं कि इस संशोधन को न मान कर आपने स्वयं राधाकृष्णन् कमीशन और मयम कमेटी की सिफारिशों का अपमान किया है । मैंने किसी आदमी का नाम नहीं लिया था । अधिष्ठाता महोदय, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस प्रकार का आदमी होना चाहिये । तो उस दल की तरफ़ से कहा गया कि अच्छा है कम से कम अगर ऐसा हो । माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को माना ।

लेकिन पता नहीं क्यों, उन्होंने कहा है कि ऐसा हो। मैं तो चाहता हूं कि वह यह कहते कि ऐसा ही आदमी होना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वह डिग्री वाली बात को खत्म कर देना चाहते हैं तो कम से कम कोई और योग्यता तो रखें जिसको टीचर और विद्यार्थी भी मानें। एक्जीक्यूटिव कमेटी में कम से कम जो टीचर्स हैं उनकी बात को प्रिफ़रेंस दिया जाय। तब मैं समझूं कि आप शिक्षा की उन्नति के लिए इच्छुक हैं। अधिष्ठाता महोदय, अब मैं क्या कहूं बजाय इसके कि वह मेरी बातों का उचित उत्तर देते ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मुझे सन्तोष होता कि जो मैंने संशोधन रखा है वह ठीक नहीं है। जहां तक शासन का सम्बन्ध है, शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश की बात है....

अधिष्ठाता---अभी कितना समय आप लेंगे? मुझे एक घोषणा करनी है।

श्री जोरावर वर्मा---बस मैं अभी खत्म करता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि कम से कम मुझे इतना तो बता देते कि कितनी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता मानी जाती, तब तो मैं इस बात को स्वीकार कर लेता। फिर अधिष्ठाता महोदय, एक्जीक्यूटिव कमेटी, जैसा मैंने बताया कि चांसलर महोदय, चांसलर क्या गवर्नर और फिर ऐसा चांसलर जो कि एक पार्टी पालिटिक्स के ऊपर काम करे, कैसे कहा जा सकता है कि गवर्नर द्वारा नामीनेटेड जो उसके मेम्बर होंगे, इस बात का निर्णय दे सकेंगे कि वाइस-चांसलर ऐसा नियुक्त करें। बस, मैं और अधिक क्या कहूं क्योंकि सब कहना-सुनना बेकार है।

कतिपय स्थायी समितियों के उपनिर्वाचन के कार्य-क्रम की सूचना

अधिष्ठाता---मुझे एक घोषणा करनी है। विधान सभा के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा कुछ स्थायी समितियों की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित स्थायी समितियों में उनके सामने दिये हुए स्थान रिक्त हैं :---

स्थायी समिति का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या
हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति	१
शरणार्थी स्थायी समिति	२
सामान्य प्रशासन स्थायी समिति.	२
सार्वजनिक निर्माण (विद्युत) स्थायी समिति ..	१
जेल स्थायी समिति	१
रसद स्थायी समिति	२
यातायात स्थायी समिति	१
सहकारी स्थायी समिति	१

इनमें नामीनेशन के लिये २४ दिसम्बर मुकर्रर है, १ बजे तक और स्क्रूटिनी होगी ४ बजे तक और निर्णय होगा २७ दिसम्बर तक।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

उद्योग मंत्री (श्री हुकम सिंह)---मैंने कोशिश की कि मैं वर्मा जी की बात को समझूं। वर्मा जी ऐसा चाहते हैं कि योग्य आदमी कोई वाइस-चांसलर हो और इस तरफ़ के लोगों के भी यही विचार हैं। तो जब वाइस-चांसलर योग्य आदमी हो तो च्वाइस करने का फ़ील्ड भी बहुत विस्तृत होना चाहिये। लेकिन जो संशोधन

[श्री हुकुम सिंह]

इनका है उससे च्वाइस का जो फील्ड है वह संकुचित हो जाता है। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं वर्मा जो सरीखे लोग वाइस-चांसलर के काबिल नहीं हैं। यह भी प्रोफेसर रह चुके हैं। वाइस-चांसलर हो सकते हैं। लेकिन यह तरीका नहीं मौका ढूंढ़ने का कि औरों को एक्स्कलूड कर दो। विस्तृत फ़ील्ड रखिये च्वाइस का और जो काबिल होंगे चुन लिये जायंगे। यह सिर्फ़ इतना कारण है। तरमीम के पास हो जाने से तो मकसद चाहे पूरा हो जाय, लेकिन जनता का हित उसमें नहीं। योग्यतम आदमी ढूंढ़ने की कम गुंजाइश रहती है। ख्वाह टीचर हो या कोई हो अगर वह विद्वान् है और सुयोग्य है तो उसको वाइस-चांसलर होना चाहिए। एक प्राविज़न में इसे क्यों कंफाइन कर देते हैं। उसे कन्फाइन करने से गलतफ़हमी होने का अन्देशा है। मैं भी यही समझा, मुमकिन है मेरी भी गलतफ़हमी हो, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैंने यह समझा कि वर्मा जी शायद अपना भी कोई चांस लाना चाहते हों। इस वजह से मैं कहता हूं कि इस तरमीम को वापस ले लीजिए, बाहर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे ?

अधिष्ठाता---अब मैं श्री जोरावर वर्मा के संशोधन को लेता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--- अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा सा...

अधिष्ठाता---अब समय नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---शायद मैं वापस ले लेता जवाब देने के बाद।

(अधिष्ठाता की अनुमति के उपरान्त)

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने ऐसी बातें कहीं जिससे मुझे शक है कि अगर मेरा यह संशोधन रहता है तो माननीय मंत्री जी निश्चित ही वाइस-चांसलर नहीं हो सकते हैं। इसलिये कम से कम उनकी सुविधा के लिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ दिसम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर।)

बस्ती जिला में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालयों की संख्या तथा स्थान।

सरकारी—

१—(एलोपैथिक)

(१) जिला अस्पताल, बस्ती।
(२) महिला अस्पताल, बस्ती।
(३) बारहमी।
(४) रुदौली।
(५) कठैला।
(६) इटवा।
(७) गौर डिस्पेंसरी।

२—(आयुर्वेदिक)

(१) विक्रम जीत।
(२) पोखरा।
(३) बखौराबाजार।
(४) पथरा बाजार।
(५) हरीहरपुर।
(६) दनवल।
(७) सत्तनवा।
(८) महराजगंज।
(९) सोहना।
(१०) भन्डरवा।
(११) तेमरी।
(१२) कलवारी।
(१३) मवगांव।
(१४) मनहर।

३—(यूनानी)

(१) कादिराबाद।
(२) बहादुरपुर।
(३) सेमरियावां।

सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय—

१—(एलोपैथिक)

(१) खलीलाबाद।
(२) शोहरतगढ़।
(३) पनढावल।
(४) डोमरियागंज।
(५) हरैया।
(६) बानपुर।
(७) बौरीपुर।
(८) बांसी औषधालय।

२—(आयुर्वेदिक)

(१) तेतरी बाजार।

३—(यूनानी)

(१) भरावबीया।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२५६ एस० ए०-१९५५—८००।